




वार्षिक प्रतिवेदन **ANNUAL REPORT**

2020 - 2021













वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

तटीय जलकृषि प्राधिकरण





भारत भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय मत्स्यपालन विभाग

5वीं मंजिल, पशुपालन और मत्स्यपालन इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स वेट्रिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई—600 035

वेबसाइट: https://www.caa.gov.in



प्रकाशित द्वारा

सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन और संपादन

कृपा वसंत एंटॉनी जेवियर ए कनकसाबपति डी प्रिया जी रमेश कुमार एस

मुद्रित द्वारा

विषय सूची

	प्रस्तावना	7
	कार्यकारी सारांश	9
1	सीएए के बारे में	14
	2020–21 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	16
	सीएए के लक्ष्य और उद्देश्य	18
	प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य	18
	भारत में एसपीएफ लिटोपेनेयस वैनमेई कल्चर का विनियमन	20
	एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट का प्रमाणन	21
2	लक्ष्य और प्रदर्शन	23
	वार्षिक लक्ष्य और प्रदर्शन	24
3	प्राधिकरण की बैठकें और विशेषज्ञ समिति की बैठकें	26
	प्राधिकरण की बैठक	27
	प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की बैठकें	29
	जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी पर तकनीकी सिमति पर बैठकें	29
	डीओएफ द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक	30
	देश में एनबीसी और बीएमसी की स्थापना और संचालन की समीक्षा करना	
4	तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण और नवीकरण	31
	2006 से मार्च 2021 तक राज्यवार सीएए पंजीकृत फार्म	33
	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान फार्मों का पंजीकरण	39
	तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीकरण	40
	चालू वर्ष (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्यवार विवरण	41
	एसपीएफ एल. वनमेई खेती का राज्यवार प्रदर्शन	42
5	हैचरियों का पंजीकरण और नवीकरण	46
	विदेशी ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करना और भारतीय हैचरियों द्वारा आयात करना	49
	एसपीएफ एल वैनमेई ब्रूडस्टॉक का आयात	49
	भारत में एसपीएफ एल. वैनमेई हैचरियों का विकास	49
	2020—21 में हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण	50
	बीज उत्पादन से संबंधित प्रमुख उपलब्धि	50
	एसपीएफ एल. वननामेई बीज उत्पादन के लिए नौपली पालन हैचरियां (एनआरएच)	51
6	जलकृषि इनपुट पर विनियम	53
7	पर्यावरण की संबंधी निगरानी	57
8	निगरानी	59
	डेकापॉड इरिडेसेंट वायरस 1 या डीआईवी1 संक्रमण की स्क्रीनिंग	59
	एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई	59
	एल. वननामेई बीज उत्पादन में सीएए दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए हैचरियों के खिलाफ कार्रवाई	60

	अनधिकृत एल. वननामेई बीज उत्पादन की जांच के लिए औचक निरीक्षण	60
	हैचरियों और एनआरएच में जैव सुरक्षा उपायों की जांच	61
	जलीय इनपुट निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई	61
9	आउटरीच गतिविधियां	62
10	नई पहल	64
	विजयवाड़ा में सुविधा केंद्र	64
	तटीय जलीय किसानों के लिए पहचान पत्र (आईडी)	64
11	2021-22 के लिए लक्ष्य	66
12	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी	68
13	संस्थानिक गतिविधियां	70
	हिंदी सप्ताह समारोह	70
	स्वच्छता पखवाड़ा	70
	सतर्कता सप्ताह समारोह	71
14	झींगा पालन 2006-2021 की राज्यवार समीक्षा	73
	आंध्र प्रदेश (एपी)	74
	गोवा	76
	गुजरात	76
	कर्नाटक	78
	केरल	79
	महाराष्ट्र	80
	ओडिशा	81
	तमिलनाडु	83
	पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी)	85
	केन्द्र शासित प्रदेश	86
	प्रशासनिक और लेखा मामले	
15	वित्तीय वास्तविक वित्तीय का सारांश	87
16	प्राधिकरण के कर्मचारी और वर्तमान संगठनात्मक संरचना	88
17	भर्ती / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन / प्रतिनियुक्ति	89
18	सूचना का अधिकार अधिनियम	89
	अनुलग्नक वर्ष 2020–21 के लिए सीएजी की वार्षिक लेखा और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	90
1	तुलन पत्र	91
2	आय और व्यय लेखे	92
3	प्राप्ति और भुगतान लेखे	93
4	तुलन पत्र की अनुसूची (1 से 11)	98
5	आय एवं व्यय की अनुसूचियां (12 —13)	107
6	लेखाकारण नीतियां	109
7	आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	112
8	अंशदायी भविष्य निधि / सामान्य भविष्य निधि / पेंशन निधि	114
9	सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	117
10	वर्ष 2020—21 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्पष्टीकरण	122

संक्षिप्ताक्षर

एआईएसएचए अखिल भारतीय झींगा हैचरी एसोसिएशन

ए एंड एन अंडमान और निकोबार एक्यूएफ जलीय संगरोध सुविधा

एक्यूसीएस जलीय संगरोध और प्रमाणन सेवाएं

बीएमसी ब्रुडस्टॉक गुणन केंद्र

सीआईबीए केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान

सीएमएफआरआई केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

सीआरजेड तटीय विनियमन क्षेत्र

डीएएचडी एंड एफ पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

डीआईवी1 डेकापोड इरिडेसेंट वायरस 1

डीएलसी जिला स्तरीय समिति डीओएफ मत्स्यपालन विभाग

ईआईए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन ईएमपी पर्यावरण प्रबंधन योजना ईटीएस बहिस्त्राव उपचार प्रणाली जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर

आईडी पहचान पत्र

आईएचएचएनवी संक्रामक हाइपोर्डमल और हेमटोपोइएटिक नेक्रोसिस वायरस

आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एलओपी अनुमित पत्र एमओए कृषि मंत्रालय

एमओएफएएच एंड डी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एमपीईडीए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

एनबीसी न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र

एनबीएफजीआर राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

एनएफडीबी राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड एनआरसीपी राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम

ओआईई पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन (पूर्व में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजोटीज (ओआईई)

पीपीएल पेरेंट पोस्ट लार्वा

आरजीसीए राजीव गांधी जलकृषि केंद्र एसएलसी राज्य स्तरीय समिति एसपीएफ विशिष्ट रोगजनक मुक्त

टीएफए कुल कृषि क्षेत्र डब्ल्यूएसए जल प्रसार क्षेत्र

डॉ. वि. कृपा सदस्य सचिव Dr. V. KRIPA Member Secretary



तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय चेन्नई.६०००३५, तमिलनाडु, भारत

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Chennai - 600 035, Tamil Nadu, India



प्रस्तावना

भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) सभी तटीय जलकृषि गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की नियामक शाखा है। तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 और अधीनस्थ विधानों के अंतर्गत दिए गए अधिदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए पिछले 15 वर्षों में संगठन द्वारा कई सुधार किए गए हैं। विनियमों ने देश में जलकृषि गतिविधियों की प्रगति के तरीके पर बहुत प्रभाव डाला है, और एक आधुनिक नियामक के रूप में, हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहायता उपाय किए गए हैं कि एक स्वस्थ विनियमन भी जलकृषि क्षेत्र के अच्छे विकास की सुविधा प्रदान करता है। विदेशी सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ ब्रुडस्टॉक के आयात से लेकर शुरू होने वाले सभी पहलुओं पर सीएए के सख्त नियामक नियंत्रण के तहत 2009 से भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रजातियों एल. वननामेई की खेती की अनुमति के साथ झींगा कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार, बीज उत्पादन और पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों ने हजारों तटीय ग्रामीणों की आजीविका बचाई है और राष्ट्र को 2020—21 में 843361 टन झींगा की खेती के साथ वैश्वक जलकृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की है।।

यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सीएए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले (संदर्भ एस जगन्नाथ बनाम भारत संघ, 1996) को बरकरार रखा है और झींगा जलकृषि के लिए मैंग्रोव, नमकीन और कृषि भूमि के रूपांतरण की अनुमित नहीं दी है। इसी प्रकार, डीएलसी ने खेती के लिए किसी वन आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य या कछुए के घोंसले के शिकार क्षेत्र की सिफारिश नहीं की है। इन सभी बिंदुओं ने पिछले 15 वर्षों के दौरान तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की है और भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और नाजुक क्षेत्रों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण महत्व दिया है और जलकृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा है। तटीय जलकृषि पर सीएए दिशानिर्देशों ने पिछले 15 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्रों में सामान्य संसाधन उपयोग से संबंधित मुद्दों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करके तटीय समुदायों में सामाजिक सदभाव का भी समर्थन किया है।

वर्ष 2020—21 के दौरान, कोविड—19 महामारी ने बार—बार तालाबंदी और कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति की संख्या पर प्रतिबंध के कारण सीएए के सुचारू कामकाज को प्रभावित किया है। हालांकि, सीएए कर्मचारियों और निगरानी सहायकों ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुद्री राज्यों में समय पर हैचरी नवीकरण के लिए निरीक्षण अनुसूची के अनुसार किए गए थे, जिससे उद्योग को अपने परिचालन को जारी रखने में मदद मिली, विशेष रूप से एसपीएफ ब्रुडस्टॉक के आयात से संबंधित।

में सीएए टीम और राज्य मत्स्यपालन विभागों, सीआईबीए और एआईएसएचए की निरीक्षण समिति के सदस्यों की भी सराहना करता हूं, जो कोविड—19 प्रतिबंधों के कारण होने वाली किठनाइयों के बावजूद क्षेत्र के दौरे और निरीक्षण में शामिल हुए। तटीय जिलों और डीएलसी के कलेक्टरों ने भी कृषि पंजीकरण और नवीकरण आवेदनों पर कार्रवाई की है तथा सीएए को इसकी सिफारिश की है। सीएए इन समितियों की बहुत प्रशंसा करता है जिन्होंने समय पर कार्रवाई करके हितधारकों को सहयोग प्रदान किया है।

सीएए ने वर्ष के दौरान अपने दायित्वों को पूरी लगन से पूरा किया है और जलकृषि के नियामक के साथ—साथ प्रचार पहलुओं पर प्रभाव जारी रखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां रहीं हैं, जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पिछले 15 वर्षों के दौरान सीएए की समग्र उपलब्धियों की मुख्य विशेषताओं को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, तटीय जलकृषि की राज्यवार समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है। एक नई पहल का हवाला देने के लिए, सीएए ने पंजीकृत किसानों और अन्य हितधारकों को पहचान पत्र जारी करना शुरू कर दिया है।

2020—21 के दौरान विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के साथ बातचीत ने सीएए अधि नियम और नियमों में बदलाव की आवश्यकता का संकेत दिया है। आगामी वर्षों में, जलकृषि क्षेत्र विविधता लाएगा और अधिक लाभदायक तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को भी लाएगा। सीएए की जिम्मेदारी बढ़ना तय है और अधिक आवश्यकता—आधारित सलाह को सख्ती से विकसित करने और सीएए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे जो पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्ध तंत पर तैयार किए गए हैं।

सीएए माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह और माननीय मत्स्यपालन राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान के सहयोग के माध्यम से ही अधिदेशित जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम था, जिसके लिए मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करती हूं। मत्स्यपालन सचिव डॉ. राजीव रंजन, आईएएस, संयुक्त सचिव डॉ. जे. बालाजी, आईएएस और श्री सागर मेहरा तथा डीओएफ स्टाफ के सहयोग और मार्गदर्शन के कारण ही सीएए का सुगम कामकाज संभव हो पाया था। मैं सीएए के सभी कर्मचारियों की ओर से इस सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूँ।

सीएए प्राधिकरण ने भी सीएए के कामकाज पर समय—समय पर सलाह दी है और मैं प्राधिकरण के सम्मानित सदस्यों के प्रति सम्मानपूर्वक आभार व्यक्त करती हूं। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निरंतर सहयोग के साथ, सीएए आगामी वर्षों में अधिदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखेगा।

जय हिंद



कार्यकारी सारांश

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, जिसे भारत की संसद द्वारा अधिनियमित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 24) के तहत स्थापित किया गया था, ने वर्ष 2020 में राष्ट्र की सेवा के 15 गौरवशाली वर्ष पूरे किए। फरवरी 2019 तक सीएए कृषि मंत्रालय के अधिन था। कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना एफ.एन. 1/21/21/2018—कैब दिनांक 05.02.2019 द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग मंत्रालय के गठन के साथ, सीएए ने मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली के तहत काम करना शुरू कर दिया।

2005 से 2021 की अवधि के दौरान, सीएए तटीय जलकृषि और तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहा था, जो जीवों और वनस्पतियों के एक समृद्ध तथा विविध समूह के लिए एक उत्पादक प्राकृतिक वास प्रदान करता है। सीएए ने पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्धांत का पालन किया है और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों को लागू किया है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और दो दशक पहले पालन किए गए विनाशकारी और अनियमित पद्धतियों की तुलना में अधिक कुशल हैं।

66 जिलों और 12 राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों की स्तरीय समिति के सहयोग से, जिसमें संबंधित राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के कृषि, वन, मत्स्यपालन और राजस्व विभागों तथा एमपीईडीए से भी प्रतिनिधित्व हैं, तटीय क्षेत्र में खेतों का पंजीकरण सीएए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया गया है। प्राधिकरण की 65 बैठकों के माध्यम से 15 वर्षों के दौरान, सीएए ने 42,287 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ 61,917 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को कवर करते हुए 40,780 फार्मों को पंजीकृत किया है।

वर्ष 2020—21 में कुल 2210 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 1449 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र वाले 1646 खेतों को समितियों द्वारा अनुमोदित किया गया तथा संबंधित किसानों को पंजीयन प्रमाण—पत्र जारी किये गये साथ ही कुल क्षेत्रफल 3387 हेक्टेयर एवं 2370 जल विस्तार क्षेत्र वाले 1680 खेतों का नवीनीकरण किया गया। इसके साथ ही, 58.75 हेक्टेयर के जल विस्तार क्षेत्र वाले 48 झींगा फार्मों को एसपीएफ एल. वन्नामेई की खेती के लिए, निरीक्षण के बाद और त्वरित जांच के लिए अनुमोदित किया गया था।

भारत सरकार के अनुमोदन से, विदेशी प्रजातियां, एल.वन्नामेई, जिसे सफेद लैग झींगा के नाम से जाना जाता है, तटीय गांवों में खेती की जाने लगी। बीज सबसे महत्वपूर्ण इनपुट होने के नाते, सीएए ने नीलंकरई में जलीय संगरोध सुविधा में सख्त संगरोध के बाद सीएए पैनलबद्ध अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से विशिष्ट रोगजनक मृक्त (एसपीएफ) ब्रुडस्टॉक के आयात के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया था, जिसे एमपीईडीए के तहत आरजीसीए द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। सीएए के इस 15वें वर्ष में, हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रति वर्ष 95,150 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता के साथ 293 हैचरियां सीएए द्वारा पंजीकृत की गई हैं। प्रतिवर्ष 13605 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता के साथ 147 नौपली पालन केंद्र भी हैं। 2020–21 के दौरान, पंद्रह नई हैचरियों की अनुमित दी गई थी और एसपीएफ एल. वननामेई बीज उत्पादन के लिए 209 का नवीनीकरण किया गया था। एसपीएफ एल. वन्नामेई के 5.20.100 जोडी ब्लंडस्टॉक के आयात के लिए कूल 293 हैचरियों को अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था।

सीएए ने एसपीएफ ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सीआईबीए, एनबीएफजीआर, एक्यूसीएस और एनएफडीबी के विशेषज्ञों के साथ तकनीकी समिति ने सीएए प्रतिनिधियों के साथ संभावित ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की सुविध् ॥ और प्रक्रियाओं का गंभीर मूल्यांकन किया है और 14 आपूर्तिकर्ताओं, एल. वन्नामेई के लिए 12 और पी. मोनोडॉन के लिए 2 आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। झींगा हैचरी ऑपरेटरों और एक्यूएफ प्रबंधन टीम के लाभ के लिए सीएए वेबसाइट में सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची पोस्ट की गई थी।

एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आयात करने वाली हैचरियों की सूची भी समय—समय पर सीएए वेबसाइट में अद्यतन की गई थी। यह उन किसानों के लाभ के लिए है जो गुणवत्तायुक्त बीज प्राप्त करने के लिए हैचरी से संपर्क कर सकते हैं। 2020—21 के दौरान, हैचरी ऑपरेटरों द्वारा देश में 2,76,346 ब्रूडस्टॉक का आयात किया गया था और एक्यूएफ ने गंभीर तालाबंदी और कर्मियों के स्वास्थ्य के खतरों के बावजूद सावधानीपूर्वक सभी स्टॉक को संगरोध किया है। खेत और हैचरी संचालन में एंटीबायोटिक का उपयोग उद्योग के लिए खतरा रहा है, खासकर निर्यात के दौरान। सीएए ने 20 एंटी—बायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये सीएए दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध हैं और वेबसाइट में भी अपलोड किए गए हैं। हालांकि, बीज के अलावा जलकृषि आदानों में एंटीबायोटिक को शामिल करने और किसानों द्वारा इनके उपयोग से कृषि उपज में एंटीबायोटिक की उपस्थिति भी हो सकती है। सीएए ने 2015 से यह प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया कि उत्पाद एंटीबायोटिक मुक्त हैं। उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता को इंगित करने वाले दस्तावेजों की जांच के आधार पर 13 राज्यों से आठ श्रेणियों के तहत 3,574 उत्पाद एंटीबायोटिक—मुक्त इनपुट के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें से 104 रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पंजीकृत किए गए थे। सीएए ने औचक निरीक्षण किए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करके और नकली स्टॉक को नष्ट करके चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हैचरियों और फार्मों में जैव सुरक्षा उपायों और ईटीएस का आवधिक रूप से निरीक्षण किया गया।

निगरानी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक के फार्मों/हैचरियों से पानी के नमूने एकत्र किए गए थे। इनका विश्लेषण आवश्यक सुविधाओं के साथ सरकारी/विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं में किया गया था।

प्राधिकरण की दो बैठकें बुलाई गईं और डीएलसी द्वारा अनुशंसित सभी पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया। एक्यूएफ के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए गठित तकनीकी समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं और हितधारकों के मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

कोविड—19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न तटीय जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।







2005 से सीएए के माननीय अध्यक्ष और सदस्य सचिव



न्यायमूर्ति डॉ. ए. के. राजन अध्यक्ष सीएए (06.01.2006 से 05.01.2012)



न्यायमूर्ति के. रविराजा पांडियन अध्यक्ष सीएए (20.05.2013 से 19.05.2016 तक)



डॉ. वाई.एस. यादव सदस्य सचिव, सीएए (22.12.2005 से 15.11.2007)



डॉ. पी. रविचंद्रन सदस्य सचिव, सीएए (16.11.2007 से 31.04.2008 (आई/सी) (01.05.2014 से 30.09.2014 (आई/सी) (01.10.2014 से 30.06.2016)



डॉ. आर. पॉल राज सदस्य सचिव, सीएए (01.05.2008 से 30.04.2014)



डॉ. के. एन. कुमार, आईएएस सदस्य सचिव, सीएए (01.07.2016 से 16.09.2016 (आई/सी)



डॉ. के. के. विजयन सदस्य सचिव, सीएए (17.09.2016 से 22.10.2017 (आई/सी)




डॉ. सी. गोपाल सदस्य सचिव, सीएए (23.10.2017 से 18.05.2019)



श्रीमती एल. रानी कुमुदिनी, आईएएस सदस्य सचिव, सीएए (22.05.2019 से 02.03.2020 (1/सी)
















सीएए के बारे में









सीएए के बारे में

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का आरंभ

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 1994 का 561 (जगन्नाथन बनाम भारत संघ) में अपने फैसले में तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण पर चिंता जताई थी और केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों तथा समुद्र तट की रक्षा के साथ—साथ देश में स्थायी और जिम्मेदार तटीय जलकृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया था।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना भारत की संसद द्व ारा अधिनियमित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी, जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

सीएए अधिनियम के अनुसार, तटीय जलकृषि को श्तालाबों, पेनों, बाड़ों या अन्यथा, तटीय क्षेत्रों में, झींगा, झींगा, मछली या खारे पानी में किसी अन्य जलीय जीवन में नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धनश के रूप में परिभाषित किया गया हैय लेकिन इसमें ताजे पानी का जलकृषि शामिल नहीं हैश। तटीय क्षेत्र का अर्थ है समुद्रों, निदयों, खाड़ियों और बैकवाटर की हाई टाइड लाइन (एचटीएल) से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर भूमि का क्षेत्र।

प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार तटीय जलकृषि पद्ध तियों का पालन करते हुए तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को बढ़ावा देना और तटीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न हितधारकों की आजीविका की रक्षा करना है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005


अधिनियम सं. 24 का 2002

तटीय क्षेत्रों (एचटीएल से 2 किमी) में तटीय जलकृषि से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।









तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 अधिनियम सं. 2002 का 24

तटीय क्षेत्रों (एचटीएल से 2 किमी दूर) में तटीय जलकृषि से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है।

अध्यक्ष रिक्त

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

डॉ. के. के. विजयन

निदेशक.

केंद्रीय खारा पानी जलकृषि संस्थान, चेन्नई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ) (2 नवंबर, 2018 से पुन: नियुक्त)

डॉ. जी. धरणी

वैज्ञानिक 'एफ'.

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, (तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ) (2 नवंबर, 2018 से प्रभावी)

डॉ. डब्ल्यू. भरत सिंह

वैज्ञानिक 'एफ',

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार

(पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

(2 नवंबर, 2018 से प्रभावी)

सदस्य

सदस्य

सदस्य







सदस्य

सदस्य

डॉ. जे. बालाजी, आईएएस संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार

श्री के. एस. श्रीनिवास, आईएएस अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एमपीईडीए हाउस, पैनमपिल्ली एवेन्यू, कोचीन, केरल (4 जनवरी, 2019 से)

श्री मोहम्मद शाहिद, आईएएस सदस्य मत्स्यपालन आयुक्त, मत्स्यपालन विभाग,

गुजरात सरकार (2 नवंबर, 2018 से)

श्री अनूप कुमार, आईएएस सदस्य

सचिव (मत्स्यपालन) कृषि और एडीएफ विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार (2 नवंबर, 2018 से)

डॉ. के. गोपाल, आईएएस सदस्य

प्रधान सचिव, पश्पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई (2 नवंबर, 2018 से)

श्री प्रभात कुमार मिश्रा, आईएएस सदस्य

प्रधान सचिव, मत्स्यपालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता (2 नवंबर, 2018 से)

डॉ. (श्रीमती) वी. कृपा सदस्य

सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार (20 अप्रैल 2020 से)





प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 'तटीय क्षेत्रों' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करना और इससे संबंधित मामलों के लिए हैं।

प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन, फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण, पर्यावरण पर प्रभावों की निगरानी, जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण, प्रदूषण का कारण बनने वाले तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या ध्वस्त करने, सभी तटीय जलकृषि आदानों, जैसे बीज, फीड, विकास अनुपूरकों, रसायनों और तटीय जलकृषि में प्रयुक्त होने वाले अन्य आदानों के लिए मानक तय करने और देश में तटीय जलकृषि गतिविधियों की समग्र निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त है।



प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के अध्याय IV, उसके तहत बनाए गए नियमों और मार्च 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट किए गए हैं। सीएए, अन्य बातों के साथ—साथ, तटीय जलकृषि क्षेत्र के व्यवस्थित और सतत विकास के लिए विनियम बनाएगा ताकि गतिविधि में शामिल विभिन्न हितधारकों के सामाजिक—आर्थिक लाभों के लिए पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृषि को स्विधाजनक बनाया जा सके।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तटीय जलकृषि प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारी सभी तटीय, खारे और खारे जलकृषि फार्मों तथा हैचरियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। अधिसूचित क्षेत्र के भीतर देश में उचित जैव स्रक्षा के साथ लिटोपेनेयस वननामेई की खेती और बीज उत्पादन की अनुमित के लिए विशेष जोर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय शुरू किए गए हैं।

तटीय जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ अपने फार्मों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए मान्य है, जिसे समय—समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया मौजूदा फार्मों, नए फार्मों के साथ—साथ उन फार्मों के संबंध में जारी रखी जाएगी जिन्हें भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों के लिए पुनर्निर्मित किया जा सकता है।








तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर समुद्र, खाड़ियों, निदयों और बैकवाटर की उच्च ज्वार रेखा से दो सौ मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमित नहीं है। तथापि, यह शर्त अधि वियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित किए गए मौजूदा फार्मों अर्थात् फार्मों और सरकार अथवा सरकार के किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रचालित गैर—वाणिज्यिक और प्रायोगिक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं होती है। हालांकि, ऐसे सभी फार्मों को सीएए में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस तरह के पंजीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 14 में प्रावधान के अनुसार तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

सीएए को राज्य स्तरीय सिमतियों (एसएलसी) और सीएए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित जिला स्तरीय सिमतियों (डीएलसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो तटीय जलीय कृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर प्राथमिक संबंध हैं। 2 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र तक के फार्मों के मामले में, डीएलसी, संतुष्टि पर, पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीधे सीएए को आवेदनों की सिफारिश करेगाय और 2 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के फार्मों के मामले में, डीएलसी मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए फार्म का निरीक्षण करेगा और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेगा, जो संतुष्टि होने पर पंजीकरण के लिए सीएए को सिफारिश करेगा।



प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कायर्रु सीएए नियम, 2005 की धारा 5


- यह सुनिश्चित करना कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले तटीय समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए कृषि भूमि, नमक पैन भूमि, मैंग्रोव, गीली भूमि, वन भूमि, गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि और सार्वजनिक उद्देश्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के लिए भूमि को जलकृषि फार्मों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता हैय
- संपूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और पर्यावरण अनुकूल विकास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त

- कार्यनीतियां तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्यध् संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह देनाय
- राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सामान्य अवसंरचना, सामान्य जल ग्रहण, निस्सरण नहरों और सामान्य बहिस्त्राव शोधन प्रणालियों के निर्माण के लिए सलाह देना और सहायता प्रदान करनाय
- जल निकायों और पाले गए जीवों तथा अन्य जलीय जीवन के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, फीड, विकास की खुराक तथा रसायनों के लिए मानक तय करेंय
- पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल
 प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से संबंधित जांच तथा
 अध्ययन करनाध्योजनाएं बनाना या प्रायोजित करनाय





District Level Committee (DLC)



The diverse nature of the constitution of the committee is to ensure that the guidelines which are mandatory are adhered to

- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़े और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक—आर्थिक जानकारी एकत्र करना एवं प्रसारित करनाय
- तटीय जलकृषि और संबंधित गतिविधियों के सतत विकास से संबंधित सामग्री तैयार करनाय
- तटीय संसाधनों के सतत उपयोग और उचित तथा
 न्यायसंगत साझाकरण के बारे में प्रचार एवं कर्मियों को
 प्रशिक्षण देनाय
- तकनीकी मैनुअल और अन्य तकनीकी ब्रोशर तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियों, उप—समितियों और कार्य समूहों का गठनय
- फार्म के मालिकों को तटीय पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए संशोधन करने के लिए निर्देशित करनाय
- स्थिरता सुनिश्चित करने के लिएय या तटीय पर्यावरण के हित में पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने तथा आजीविका की सुरक्षा के हित में मौसमी बंद करने का आदेश देनाय
- पंजीकरण रद्द करना जहां किसी भी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त किया है या इन नियमों के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण के प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया होय
- तटीय जलकृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटना,
 जिसमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इसे भेजा जा सकता हैय

 समय—समय पर दिशा—निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करना।

भारत में एसपीएफ एल. वननामेई कल्वर का विनियमन

पश्धन आयात अधिनियम, 1898 (पश्धन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण को हैचरियां पंजीकृत करने और एसपीएफ लिटोपेनेयस वैनमेई के ब्रुडस्टॉक के आयात की अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। विदेशी ब्लंडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के परामर्श से सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया था। संगरोध के लिए जैव सुरक्षा आवश्यकताएं, आयात परमिट, प्रवेश पत्तन, पूर्व-सीमा संगरोध आवश्यकताएं, आयातित ब्रूडस्टॉक के आगमन पर संगरोध आवश्यकताएं, कीटाणुशोधन विधियां और अन्य विवरण उपर्युक्त अधिसूचना में निहित उक्त दिशानिर्देशों में विस्तार से दिए गए हैं।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के अंतर्गत एसपीएफएल. वैनमेई के आयात और प्रजातियों की खेती के लिए हैचरियों को विनियमित करने हेतु दिशा—निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा—निर्देशों में आवेदकों के लिए एल. वननामेई प्रजनन करने के लिए









बॉक्स

सीएए और एसपीएफ ब्लडस्टॉक का आयात

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अनुमोदित विदेशी एसपीएफ ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल वन्नामेई के ब्लंडस्टॉक के आयात के लिए अनुमित प्रदान करने और ब्लंडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकताओं को आवंटित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि पश्धन आयात अधिनियम, 1898 (पश्धन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित) के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडी एंड एफ) द्वारा जारी 15 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के तहत जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है।

सीएए को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के तहत अधिसूचना के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए एसपीएफ एल. वननामेई हैचरियों तथा खेतों की निगरानी करने का भी अधिकार है।

मानदंड, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल वननामेई बीजों के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रियाएं तथा फार्मों के अनुमोदन एवं संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड और विनियम शामिल हैं।

हैचरी संचालकों और झींगा किसानों द्वारा सुचारु संचालन की सुविधा के लिए, भारत सरकार मार्च, 2012 में एक अधिसूचना के माध्यम से सीएए नियम, 2005 में और संशोधन के साथ एल. वन्नामेई के एसपीएफ किशोरों के पालन के लिए 10 ग्राम तक के आयात की अनुमति देकर सामने आई। वयस्क ब्रुडस्टॉक, अनुमत हैचरी के बीच नौपली की बिक्री, और पर्याप्त सुखाने की अवधि के बाद एक प्रजाति की संस्कृति को दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित करने के लिए। यह अधिसूचना अनाधिकृत स्टॉक को नष्ट करके या सीएए की निरीक्षण टीम द्वारा स्टॉक की जब्ती और निपटान के माध्यम से एल वन्नामेई के अनधिकृत बीज उत्पादन और खेती से निपटने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत करती है।

16 फरवरी, 2015 को एक संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत पेनियस मोनोडन के लिए पंजीकृत खेतों को शून्य जल विनिमय के बाद कम स्टॉकिंग घनत्व वाले एल. वननामेई कल्चर को अपनाने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। तटीय जलकृषि प्राधिकरण हैचरियों और फार्मों को एल वननामेई खेती करने की अनुमति देने और इस उद्यम के सतत विकास

के लिए फार्मों एवं हैचरियों के निरीक्षण और निगरानी में इन दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। एसपीएफ एल. वननामेई की शुरूआत ने बड़ी संख्या में परित्यक्त झींगा फार्मों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया और इसके परिण गामस्वरूप देश में कृषि झींगा के उत्पादन और निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

दिनांक 16 फरवरी 2015 को जीएसआर सं. 100 (ई) के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा अनुबंध-4 के रूप में दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें सीएए नियम 2005 में संशोधन किया गया था ताकि उन फार्मों को अनुमति दी जा सके जो पेनियस मोनोडॉन के लिए पंजीकृत हैं।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण इस उद्यम के सतत विकास के लिए फार्मी और हैचरियों के निरीक्षण तथा निगरानी के माध्यम से हैचरियों एवं फार्मों को एल वननामेई खेती करने की अनुमति देने में इन दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। एसपीएफ एल. वननामेई की शुरूआत ने बड़ी संख्या में परित्यक्त झींगा फार्मों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया था और इसके परिणामस्वरूप देश में कृषि झींगा के उत्पादन और निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

एंटीबायोटिक मृक्त आदानों का प्रमाणन

तटीय जलकृषि उत्पादों के खाद्य सुरक्षा मुद्दों के संबंध में उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, तटीय जलकृषि


वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और उसके तहत नियमों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सभी जलकृषि आदानों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया था जो चिंताजनक एंटीबायोटिक दवाओं से मुक्त हैं। जलकृषि आदानों के सभी विनिर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) से अनुरोध है कि वे अपने प्रत्येक उत्पाद के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें और इसे पंजीकृत कराएं। पंजीकृत उत्पादों की

पहली सूची 2016 में जारी की गई थी। आवेदन प्रोफार्मा और पंजीकरण के नियम तथा शर्तें सीएए वेबसाइट (www-caa-gov-in) पर उपलब्ध हैं एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदान जैसे लार्वा फीड, वयस्क फीड, फीड एडिटिव्स, प्रोबायोटिक्स, रसायन, ड्रग्स और प्रतिरक्षा—उत्तेजक सीएए में पंजीकृत हैं तथा सूची समय—समय पर सीएए वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।



लक्ष्य ^{और} प्रदर्शन









लक्ष्य और प्रदर्शन

सीएए नियम के अनुसार, सीएए के वार्षिक प्रतिवेदन में, वर्ष के लिए नियोजित लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया जाना है और प्रदर्शन की रिपोर्ट की जानी है। तदनुसार 2020—21 के लिए वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं। प्रत्येक श्रेणी के तहत विवरण बाद के खंडों में दिए गए हैं।

वार्षिक लक्ष्य और प्रदर्शन

	लक्ष्य	उपलब्धि
1	प्राधिकरण की बैठकें: कार्यान्वयन के लिए उचित निर्णय लेने हेतु दो महीने में कम से कम एक बार प्राधिकरण की बैठकें आयोजित करना।	प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित की गई थीं। कोविड—19 महामारी प्रतिबंधों के कारण अधिक बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका था। प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की गई थी, और सभी संबंधित हितधारकों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।
2	तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण जिला और राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों के साथ प्रस्तावों की प्राप्ति के अधीन अतिरिक्त 3,000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद थी।	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और पंजीकरण, नएध्नवीकरण के 3326 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।
3	एल.वननामेई खेती के लिए अनुमोदन आवेदनों की जांच के बाद एल.वननामेई खेती के लिए अनुदान अनुमोदन।	एसपीएफ एल. वननामेई की कल्चर के लिए 58.75 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र वाले 48 झींगा फार्मों को मंजूरी दी गई थी।
4	एसपीएफ ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल करना आवश्यकता के आधार पर और मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।	एक आपूर्तिकर्ता को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची में जोड़ा गया था और झींगा हैचरी प्रचालकों तथा एक्यूएफ प्रबंधन टीम के लाभ के लिए सीएए वेबसाइट पर विवरण पोस्ट किया गया था।







5 हैचरियों का नवीनीकरण और 15 नई हैचरियों की अनुमति दी गई थी और एसपीएफ एल वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए 209 का नवीनीकरण किया गया पंजीकरण ब्रुडस्टॉक आयात कोटे का उनकी क्षमता के था। सीएए द्वारा सूचीबद्ध 12 आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामेई के ब्रुडस्टॉक के 5,21,050 जोड़े आयात करने के लिए आधार पर आबंटन। कुल मिलाकर 293 हैचरियों को वार्षिक आवंटन आदेश जारी किया गया था। 6 13,605 मिलियन बीजध्वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ एसपीएफ एनआरएच का पंजीकरण नौपल्ली पालन हैचरियों द्वारा एसपीएफ एल. एल वननामेई बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के वन्नामेई के बीज उत्पादन के लिए प्राप्त आवेदनों साथ 25 नौपली पालन हैचरियां जारी की गई थीं। पर कार्यवाही।

7 जलकृषि गतिविधियों की निगरानी हैचरी प्रचालकों द्वारा सीएए दिशानिर्देशों का उल्लंघन उत्पादित बीज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सीएए द्वारा निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सीएए ने औचक निरीक्षण किए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करके तथा नकली स्टॉक को नष्ट करके चुककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

8 जैव स्रक्षा और ईटीएस सीएए दिशानिर्देशों के उल्लंघन विशेष रूप से जैव सुरक्षा उपाय और ईटीएस से संबंधित हैं।

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडी और केएआर में स्थित हैचरियों और फार्मों में जैव सुरक्षा उपायों और ईटीएस की जांच की गई थी।

9 एक्यूएफ का कार्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समितियों की बैठकें आयोजित एक्यूएफ पर विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थी और हितधारकों के मुद्दों तथा एक्यूएफ के सुचारू संचालन के लिए सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

10 एंटीबायोटिक मुक्त जल-आदान एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण। उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता को इंगित करने वाले दस्तावेजों की जांच के आधार पर आट श्रेणियों के तहत 3574 उत्पादों को एंटीबायोटिक-मुक्त आदानों के रूप में पंजीकृत किया


11 पानी की गुणवत्ता की निगरानी बहि:स्राव उपचार प्रणाली (ईटीएस) से निकलने वाले अपशिष्ट जल का नमूना और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी की गुणवत्ता मानदंड सीएए द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुरूप हैं।

निगरानी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक के फार्मींध्हैचरियों से पानी के नम्ने एकत्र किए गए थे। इनका विश्लेषण सरकारीधविश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं में किया गया था।

12 आउटरीच कार्यक्रम खेतों के पंजीकरण और प्रतिबंधित दवाओं तथा अन्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर किसानों को जागरूक करने के लिए समुद्री राज्यों में जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित करना।

कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न तटीय जिलों में लघु कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।



प्राधिकरण की बैठकें और विशेषज्ञ समिति की बैठकें









प्राधिकरण की बैठकें

"प्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, सीएए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो प्राधिकरण बैठकें आयोजित की थीं, इसके अलावा सीएए के अधिदेश के अनुसार अलग-अलग उद्देश्यों के साथ अन्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठकें भी आयोजित की गई थीं। बैठकों की इन दो श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है।

प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण की दो बैठकें बुलाई गईं थींय बैठकों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण तालिका 1 में संक्षेपित किया गया है। पंजीकरण के लिए आवेदनों को मंजूरी देने के अलावा, प्राधिकरण ने सीएए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली हैचरियों को कारण बताओ नोटिसध बंद करने के आदेश जारी करने, जलीय कृषि गतिविधियों के कारण सामाजिक समस्याओं पर कार्रवाई, अपंजीकृत

हैचरियों के खिलाफ कार्रवाई, हैचरियों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा, फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की निगरानी, विदेशी झींगा ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के लिए वैश्विक विज्ञापन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। एसपीएफ एल. वननामेई के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक परिवहन के लिए हवाई माल ढुलाई कनेक्टिविटी और तटीय जलकृषि इनपुट के पंजीकरण तथा सीएए से संबंधित अन्य प्रासंगिक तकनीकी और प्रशासनिक मामले।

चूंकि सीएए के अध्यक्ष का पद रिक्त था, इसलिए 64वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों ने श्री के. श्रीनिवास, अध्यक्ष, एमपीईडीए को प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना था, जैसा कि सीएए अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण की 65वीं बैठक के लिए महाराष्ट्र सरकार के सचिव श्री अनूप कुमार को अध्यक्ष और बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया था।

तालिका 1.1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की प्राधिकरण बैठक की मुख्य बातें

64वीं प्राधिकरण बैठकरू 9 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ६४वीं प्राधिकरण बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

- डीएलसी/एसएलसी द्वारा अनुशंसित 1075 झींगा फार्मी के पंजीकरण अनुमोदित किए गए थे।
- 1213 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदित किय गया था।
- ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गोवा के एसपीएफ एल. वननामेई को कल्चर करने के लिए 18 झींगा फार्मों की अनुमति देने का संकल्प लिया गया था।
- पंजीकरण के नवीकरण और क्षमता के आधार पर उचित वार्षिक आबंटन जारी करने के लिए एक सौ तिरासी (183) हैचरियों को अनुमोदित किया गया था।
- पंजीकरण जारी करने और एसपीएफ एल वैनमेई ब्रुडस्टॉक आयात करने की उनकी क्षमता के आधार पर उपयुक्त वार्षिक आबंटन जारी करने के लिए ग्यारह (11) हैचरियों को अनुमोदित किया गया था।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





- तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित एसपीएफ झींगा ब्रुडस्टॉक की आपूर्ति के लिए मैसर्स एक्वा अमेरिका आईएनसी, फ्लोरिडा, यूएसए के पैनल को अनुमोदित और अनुसमर्थित किया गया था।
- सीएए द्वारा जांच की गई पचपन (55) कंपनियों द्वारा प्रस्तुत दो सौ बारह (212) आवेदनों के लिए एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए मानकों के प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- हैचरी की बैंक गारंटी को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की पुष्टि की थी, जिसने सीएए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पंजीकरण रद्द कर दिया था।
- इस प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएए के वार्षिक खातों को अनुमोदित किया था।

65वीं प्राधिकरण बैठकरू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 फरवरी, 2021 को आयोजित 65वीं प्राधिकरण बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

- पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तटीय जलकृषि फार्मों के पांच सौ इकहत्तर (571) आवेदनों को अनुमोदित किया गया था।
- तटीय जलकृषि फार्मों के चार सौ सतसठ (467) आवेदनों के पंजीकरण के नवीकरण और नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- तिमलनाडु और गोवा से प्राप्त एसपीएफ एल. वननामेई के कल्चर के लिए एलओपी जारी करने के लिए सभी इकत्तीस (31) झींगा फार्मों को अनुमोदित किया था।
- पंजीकरण के नवीकरण और उनकी बुनियादी ढांचा क्षमता के आधार पर ब्लडस्टॉक के आयात के लिए उपयुक्त वार्षिक आबंटन आदेश जारी करने के लिए सभी चौबीस (24) हैचरी को अनुमोदित किया था।
- पंजीकरण जारी करने और एसपीएफ एल वैनमेई ब्रुडस्टॉक को आयात करने की उनकी क्षमता के आधार पर उचित वार्षिक आबंटन जारी करने के लिए चौदह (14) हैचरियों को अनुमोदित किया था।
- पंजीकरण जारी करने के लिए पच्चीस (25) नौपली पालन हैचरियों को अनुमोदित किया था।
- तीन सरकारी संगठनों (प) भाकृअनुप केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सम–विश्वविद्यालय), काकीनाडा केन्द्र, (पप) मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय और (पपप) मात्स्यिकी महाविद्यालय एवं अनुसंध्यान संस्थान थुथुकुडी के झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया था क्योंकि सीएए द्वारा जांच किए गए आवेदन सरकारी अनुसंधान संस्थानों के फार्मों के पंजीकरण के लिए दिशा—निर्देशों के अनुसार सही पाये गए थे।
- फिनफिश बीज उत्पादन करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर हैचरियों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए फिनफिश हैचरियों का निरीक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा गठित निरीक्षण समिति के पुनर्गठन को अनुमोदित किया था।
- हैचरियों, फार्मों और आदानों के पंजीकरण तथा नवीकरण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के साथ एक व्यापक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के विकास को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया था।
- भारत के सभी तटीय राज्यों में मछलीध्झींगा पालन के लिए उपयुक्त संभावित क्षेत्रों की पहचान और उन्हें जलकृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से मानचित्रण और जोनेशन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था।
- यह देखते हुए कि सीएए के लिए फार्मों के पंजीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया को अधिक गहनता से तैयार करने तथा सभी तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नमूना संग्रह, जागरूकता कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए अधिक निगरानी सहायकों की आवश्यकता होगी, उसी पारिश्रमिक और शर्तों के साथ पांच (05) अधिक निगरानी सहायकों की नियुक्ति को मंजूरी दी जाएगी जैसािक मौजूदा 12 एमए और प्रशासन के लिए एक सलाहकार को उचित पारिश्रमिक के साथ तय किया गया था।







- सीएए को मंत्रालय के विचार के लिए सीएए अधिनियम, कृषि पंजीकरण और नवीकरण प्रक्रिया में आवश्यक संशोध ानों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
- मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखने के लिए वर्ष 2018-19 के लिए सीएए वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया था।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के वार्षिक खातों को अनुमोदित और अपनाया था।

प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियोंध्तकनीकी समिति की बैठकें

सीएए नियमित रूप से भारत सरकार द्वारा गिठत विशेषज्ञ समितियों की बैठक आयोजित करता है जिसमें सीएए के प्रतिनिधि अध्यक्ष या सदस्य संयोजक होते हैं। 2020—2021 में, चेन्नई में एक्यूएफ के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए 2 जून 2009 को भारत सरकार के आदेश सं. 35029/13/2008—एफवाई (टीएंडई) के तहत गठित तकनीकी समिति की दो बैठकें और देश में झींगा न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र (एनबीसी) और ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों (बीएमसी) की स्थापना और संचालन की समीक्षा के लिए दिनांक 2 दिसंबर 2020 के आदेश सं. जे—15001/24/2020—एफवाई (ई—17736) द्वारा भारत सरकार द्वारा गठित समिति की एक बैठक आयोजित की गई थीं।

जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी पर तकनीकी समिति की बैठकें

तमिलनाडु के नीलंकरई में जलीय संगरोध सुविधा एनएफडीबी से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित की गई थी और एमपीईडीए के आरजीसीए द्वारा प्रबंधित और संचालित की जाती है। इस सुविधा का उपयोग अब आयातित ब्रुडस्टॉक विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) एल वैनमेई और एसपीएफ पी मोनोडॉन को संगरोध करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एसपीएफ पैरेंट पोस्ट लार्वा (पीपीएल) का संगरोध भी किया जाता है। तकनीकी समिति में एनएफडीबी, सीआईबीए, एमपीईडीए, आरजीसीए, एक्यूसीएस, डीओएफ और सीएए के सदस्य शामिल हैं।

चेन्नई के नीलंकरई में जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए गठित विशेषज्ञ तकनीकी समिति की 19वीं और 20वीं बैठक क्रमशः 29 जुलाई 2020 और 1 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों का उद्देश्य एक्यूएफ में तकनीकी चिंताओं और संचालन पर चर्चा करना और हल करना था तथा लिए गए मुख्य निर्णय तालिका 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.2. 2020–2021 के दौरान जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी के लिए तकनीकी समिति की बैठकों के प्रमुख निर्णय

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 जुलाई, 2020 को आयोजित एक्यूएफ की निगरानी पर तकनीकी समिति की 19वीं बैठक के प्रमुख निर्णय

- एक्यूएफ संचालन को बनाए रखने के साथ—साथ एमपीईडीए पर मौद्रिक बोझ को कम करने की वित्तीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आगामी क्यूबिकल बुकिंग से सामान्य और प्रीमियम क्यूबिकल के संबंध में प्रस्तावित वृद्धि के साथ संगरोध शुल्क में 50% की वृद्धि की जाएगी और पी. मोनोडॉन और पेरेंट पोस्ट लार्वा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि को स्वीकार किया जाएगा।
- समिति ने समिति के अध्यक्ष सदस्य सचिव, सीएए से एक उप—समिति गठित करने की सिफारिश की थी और अनुरोध किया गया था कि वह एक उप—समिति का गठन करें जिसमें एमपीईडीए, सीआईबीए, आरजीसीए, एआईएचए, एक्यूसीएस और सीएए के उपयुक्त प्रतिनिधि शामिल हों, जो एक्यूएफ द्वारा किए जा रहे परिचालन व्यय की समीक्षा कर सकें, सरकार की उपयुक्त योजनाओं से धन प्राप्त करके परिचालन व्यय के कुछ घटकों को समायोजित करने की संभावनाओं का पता लगा सकें।
- आरजीसीए ने समिति से अनुरोध किया था कि वह 1 जुलाई, 2017 से प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कों पर जीएसटी के संग्रह को अनुमोदित करे।





वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 दिसंबर, 2020 को आयोजित एक्यूएफ की निगरानी पर तकनीकी समिति की 20वीं बैठक के प्रमुख निर्णय

- यह निर्णय लिया गया था कि 19वीं बैठक में अनुशंसित उपयोगकर्ता शुल्क के 50% की वृद्धि जारी रखी जा सकती है।
- नए सॉफ्टवेयर का विकास शुरू किया गया था, जिसके जनवरी 2021 के अंत तक चालू होने की उम्मीद थी। इस संबंध में, सेवा प्रदाता और सीएए सिहत हितधारकों के साथ जल्द से जल्द एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर पर अपने इनपुट दिए जा सकें।
- ऑनलाइन क्यूबिकल आरक्षण के लिए आईपी प्रतिबंध 1 जनवरी 2021 से एक आईपी से प्रतिदिन एक बुकिंग के साथ लागू किया जाएगा, लेकिन प्रति तिमाही दो बुकिंग से अधिक नहीं होगा।
- नए सॉफ्टवेयर में एक्यूएफ बुकिंग के लिए अधिकृत बैंक खातों के माध्यम से बुकिंग की अनुमित देने के लिए लाभार्थी हैचरियों के बैंक खातों पर कब्जा करने का प्रस्ताव।
- अधिकतम संख्या में ब्रूडस्टॉक प्राप्त करने और एक्यूएफ में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए 625 पशुओंध्25 किलोग्राम बायोमास को रखने के लिए एक्यूएफ में सभी क्यूबिकल की अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव।
- यह निर्णय लिया गया कि किसी भी क्रॉस—संदूषण को रोकने के लिए एक्यूएफ द्वारा उचित कीटाणुशोधन किया जाएगा, यदि पी. मोनोडॉन के लिए आरक्षित क्यूबिकल्स का उपयोग पी. मोनोडॉन आयातकों से 45 दिनों के नोटिस की आवश्यकता के साथ एल. वैननेमी के लिए किया जाता है।
- अधिभोग दर में वृद्धि करने और एक्यूएफ क्षमता के प्रभावी उपयोग में वृद्धि करने के लिए गैर—व्यस्त मौसम के दौरान एक तिमाही में अधिकतम दो क्यूबिकल के प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव।
- यह भी सुझाव दिया गया कि हैचरी प्रचालकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे क्यूबिकल बुक करते समय नए बैग के लिए अपने विकल्प का उपयोग करें और अग्रिम में आवश्यक भुगतान करें ताकि एक्यूएफ पहले से योजना बना सके।
- पी. मोनोडॉन क्यूबिकल के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को जब्त करने के प्रस्ताव पर अगले वित्तीय वर्ष, यानी अप्रैल 2021 से कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

देश में एनबीसी और बीएमसी की स्थापना और प्रचालन की समीक्षा के लिए डीओएफ द्वारा गठित विशेषज्ञ सिमिति की बैठक

देश में एनबीसी और बीएमसी की स्थापना और प्रचालन की समीक्षा के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन) और संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन) की संयुक्त रूप से अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया था।

समिति की पहली बैठक 21 दिसंबर 2020 को सीएए द्व ारा डीओएफ, नई दिल्ली के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, क्योंकि सदस्य सचिव, सीएए सदस्य संयोजक थे। समिति ने भारत में एसपीएफ ब्लंडस्टॉक उत्पादन सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए दिशानिर्देशों पर एक मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, भारत में एसपीएफ ब्लंडस्टॉक उत्पादन सुविधाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए दिशा–निर्देशों पर एक मसौदा तैयार किया गया था और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।










फार्म पंजीकरण और नवीकरण

CAA अधिनियम, अधिनियम में पिरभाषित तटीय क्षेत्र में प्रचालित देश के सभी तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का अधिदेश देता है। जिला स्तरीय समितियों को नए पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं और 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले फार्मों के आवेदनों को उचित जांच के बाद सीएए में अनुशंसित किया जाता है। बड़े फार्मों (2 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र) के आवेदनों की सिफारिश राज्य स्तरीय समिति को की जाती है जो सीएए नियमों के तहत निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती है। संतुष्टि

पर एसएलसी पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीएए हेतु आवेदन की सिफारिश करता है।

सीएए के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैंग्रोव, कृषि भूमि, नमकीन भूमि, अभयारण्यों और समुद्री पार्कों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का उपयोग झींगा पालन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश पर्यावास स्थलों, सामान्य संसाधन उपयोग, भूजल और अन्य पर्यावरणीय रूप से प्रासंगिक बिंदुओं को








भी महत्व देते हैं, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित होता है।

सीएए फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला और राज्य स्तरीय सिनित्यों द्वारा अनुशंसित और अग्रेषित आवेदनों की जांच करता है और इसे नियमित आधार पर दो महीने में एक बार आयोजित प्राधिकरण की बैठकों में रखता है। चालू वर्ष में प्राधिकरण ने फार्मों के पंजीयन के लिए 1646 आवेदनों पर विचार कर अनुमोदन किया और प्रमाण पत्र सीधे किसानों को जारी किए गए थे। लौटाए गएध्वितरित नहीं किए गए प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यों के संबंधित डीएलसीध्एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेजे गए थे। पंजीकृत फार्मों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट ूबं.इवअ.पद में अंतिम उपयोगकर्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसे समय—समय पर अद्यतन किया जाता है।

2006 से मार्च 2021 तक राज्यवार सीएए पंजीकृत फार्म

पूर्वी और पश्चिमी तटों में फैले, 9 समुद्री राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 66 जिला स्तर की समितियां हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की 12 समितियां भी फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण में सीएए का सहयोग कर रही हैं। पिछले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर के तटीय जलकृषि फार्म का विवरण नीचे दिया गया है।

- 2006—07 के दौरान, सीएए के गठन के तुरंत बाद, कुल क्षेत्रफल 1856.61 हेक्टेयर और 1352.3 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ केवल 1334 फार्म थे। 15 वर्षों में यह बढ़कर 40,780 पंजीकृत फार्मों तक पहुंच गया है, जिसमें 42287 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) के साथ 61,917 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र शामिल है (तालिका 4.1)
- मार्च 2021 तक, पंजीकृत फार्मों का 50 प्रतिशत (50.8%) से अधिक आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद ओडिशा (26.9%), पश्चिम बंगाल (9.8%) और तमिलनाडु (4.8%) हैं। अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फार्मों की संख्या राष्ट्रीय कुल के 4 प्रतिशत से कम थी।
- पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों और उनके डब्ल्यूएसए का कुल क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक था, जो राष्ट्रीय कुल का 47.2 प्रतिशत और 48.8 प्रतिशत योगदान देता था। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल थे।
- देश में अधिकांश (93.9%) फार्म 2 हेक्टेयर डब्ल्यूएसए से कम हैं। 2.01 से 5.0 हेक्टेयर आकार के थोड़े बड़े फार्म 5.2 प्रतिशत थे और केवल 0.4 प्रतिशत फार्म 5.01 से 10 हेक्टेयर की श्रेणी में थे और 0.26 प्रतिशत 10.01 से 40 हेक्टेयर के बड़े आकार के समूह में थे। केवल 15 फार्म 40 हेक्टेयर से ऊपर थे (तालिका 4.1)








तालिका ४.1. २००५-२०२१ से सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विवरण


	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का नाम	कुल क्षेत्र के अधीन फार्मों की सं. (है.)					फार्म का क्षेत्र		
क्र. सं.		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	ए एंड एन द्वीपसमूह	3	1	0	0	0	4	22.18	5.29
2	आंध्र प्रदेश	19824	479	85	56	7	20451	29310.14	20458.73
3	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	12	60.00	38.40
4	गोवा	24	14	3	1	0	42	139.20	101.79
5	गुजरात	220	729	7	1	2	959	4165.52	2984.54
6	कर्नाटक	274	38	1	1	0	314	460.79	350.18
7	केरल	1202	205	12	4	0	1423	2779.61	1912.03
8	महाराष्ट्र	148	112	18	19	6	303	2310.37	1465.42
9	ओडिशा	10966	70	22	22	0	11080	13490.97	8428.61
10	पुडुच्चेरी	68	5	1	0	0	74	120.65	91.69
11	तमिलनाडु	1448	454	48	4	0	1954	5163.46	3812.62
12	पश्चिम बंगाल	4154	10	0	0	0	4164	3894.38	2638.22
	कुल	38331	2129	197	108	15	40780	61917.27	42287.52




चित्र 1: तटीय जलीय कृषि फार्मों का पंजीकरण (क्षेत्रवार) 2005-2021 से सभी तटीय राज्यों में








चित्र 2: तटीय जलीय कृषि फार्मों का पंजीकरण (राज्यवार) 2005 और 2021 से सभी तटीय राज्यों में




चित्र 3: 2005 से 2021 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंजीकृत खेतों की संख्या




चित्र 4: 2005 से 2021 तक आंध्र प्रदेश में पंजीकृत खेतों की संख्या








चित्र 5: 2005 से 2021 तक दमन और दीव में पंजीकृत खेतों की संख्या




चित्र 6: 2005 से 2021 तक गोवा में पंजीकृत खेतों की संख्या




चित्र 7: 2005 से 2021 तक गुजरात में पंजीकृत खेतों की संख्या








चित्र 8: 2005 से 2021 तक कर्नाटक में पंजीकृत खेतों की संख्या




चित्र 9: 2005 से 2021 तक केरल में पंजीकृत खेतों की संख्या




चित्र 10: 2005 से 2021 तक महाराष्ट्र में पंजीकृत खेतों की संख्या








चित्र 11: 2005 से 2021 तक ओडिशा में पंजीकृत खेतों की संख्या




चित्र 12: पुडुचेरी में 2005 से 2021 तक पंजीकृत खेतों की संख्या



चित्र 13: 2005 से 2021 तक तमिलनाडु में पंजीकृत खेतों की संख्या







चित्र 14: 2005 से 2021 तक पश्चिम बंगाल में पंजीकृत खेतों की संख्या

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान फार्मों का पंजीकरण


- रिपोर्टिंग अवधि 2020—21 के दौरान, सभी समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1646 फार्मों को पंजीकृत किया गया था (तालिका 4.2)। कुल कृषि क्षेत्र 2210.
 र हेक्टेयर था जिसमें 1449 हेक्टेयर का डब्ल्यूएसए शामिल था।
- सबसे अधिक आवेदन ओडिशा (731 सं.) से थे, इसके बाद आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से थे।
- 2 हेक्टेयर क्षेत्र से कम आकार के छोटे फार्मों के मालिक आवेदकों ने 94.8 प्रतिशत का गठन किया, इसके बाद 2.01 से 5 हेक्टेयर (4.7%) के फार्मों का गठन किया। 5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर से अधिक बड़े किसान एक प्रतिशत से कम बने थे और 40 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र का कोई आवेदन नहीं था।

तालिका 4.2. अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विवरण


		कु	ल क्षेत्र व	ने अधीन	फार्मी व	की सं. (है	t.)	फार्म व	न क्षेत्र
क्र. सं.	राज्यों का नाम	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अ ^ह ाक	कुल	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	ए एंड एन द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	448	1	0	0	0	449	456.10	309.11
3	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	1	1	1	0	0	3	16.42	10.78
5	गुजरात	74	61	0	0	0	135	467.30	339.01
6	कर्नाटक	4	0	0	0	0	4	3.97	3.24
7	केरल	35	3	0	0	0	38	51.30	41.45
8	महाराष्ट्र	14	1	0	0	0	15	30.09	19.23
9	ओडिशा	731	2	2	4	0	739	927.63	564.10
10	पुडुच्चेरी	11	0	0	0	0	11	12.99	10.59
11	तमिलनाडु	34	8	2	0	0	44	126.18	69.48
12	पश्चिम बंगाल	208	0	0	0	0	208	118.68	82.19
	कुल	1560	77	5	4	0	1646	2210.7	1449.2







चित्र 15: सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण (क्षेत्रवार) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक



चित्र 16: सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण (राज्यवार)। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक

तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण अवधि की समाप्ति से दो महीने पहले नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद डीएलसी द्वारा प्राप्त आवेदन को एक नया आवेदन माना जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया का नवीनीकरण सितंबर 2012 से चल रहा है और मार्च 2021 तक पंजीकरण के नवीकरण के लिए 17,653 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 12,300 हेक्टेयर) के कुल क्षेत्रफल के साथ लगभग 9,368 फार्मों को अनुमोदन प्रदान किया गया था (तालिका 4.3)।









		कु	ल क्षेत्र	के अधी	न फार्मों	की सं. (व	है.)	फार्म क	ग क्षेत्र
क्र. सं.	राज्यों का नाम	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 ਦੀ 31 [©] 1क	कुल	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	पश्चिम बंगाल	11	0	0	0	0	11	9.86	6.23
2	ओडिशा	1733	75	6	7	1	1822	3036.6	1809.29
3	आंध्र प्रदेश	5503	139	17	14	4	5677	9208.69	6572.8
4	तमिलनाडु	837	210	17	3	0	1067	2569.217	1907.86
5	पुडुच्चेरी	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
6	केरल	193	67	3	0	0	263	430.57	323.9
7	कर्नाटक	90	8	1	0	0	99	152.77	121.71
8	गोवा	22	10	2	0	0	34	96.63	69.8
9	महाराष्ट्र	82	20	16	6	2	126	846.94	566.26
10	गुजरात	22	231	0	2	1	255	1241.35	881.81
11	दमन एवं दीव	0	9	0	0	0	9	45	29
12	ए एंड एन द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	8498	769	62	32	8	9368	17653.107	12300.73

चालू वर्ष (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्यवार विवरण


कुल मिलाकर, 3,388 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 2,370 हेक्टेयर) के कुल क्षेत्र वाले किसानों से 1,680 आवेदन प्राप्त हुए थे, (तालिका 4.4) और इसे प्राधिकरण द्वारा उस आशय के नवीकरण और अनुमोदन के लिए अनुमोदित किया गया था। चालू वर्ष (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्य—वार विवरण तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4. अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण का विवरण


		कु	ल क्षेत्र व	हे अधीन	फार्मों ।	की सं. (है.)	फार्म व	का क्षेत्र
क्र. सं.	राज्यों का नाम	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	आंध्र प्रदेश	1122	17	8	4	1	1152	1908.36	1346.34
2	गोवा	5	4	1	0	0	10	29.00	21.30
3	गुजरात	4	55	0	0	0	59	250.80	175.55
4	कर्नाटक	39	2	0	0	0	41	57.04	44.99
5	केरल	14	0	0	0	0	14	16.46	10.92
6	महाराष्ट्र	6	0	0	0	0	6	12.22	9.72
7	ओडिशा	144	3	3	1		151	290.47	170.71
8	तमिलनाड	183	49	12	3	0	247	823.45	591.20
	सकल जोड़	1517	130	24	8	1	1680	3387.80	2370.73







चित्र 17: अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सभी तटीय राज्यों में खेतों का नवीनीकरण (क्षेत्रवार)



चित्र 18: अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सभी तटीय राज्यों में खेतों का नवीनीकरण (राज्यवार)

एसपीएफ एल वननामेई खेती का राज्यवार प्रदर्शन

वर्ष 2020—21 के दौरान, प्राधिकरण ने 80.49 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 58.75 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए के साथ 48 फार्मों को पंजीकृत किया है। सभी 48 फार्मों को एसपीएफ एल. वननामेई खेती के लिए एलओपी जारी किए गए थे। सीएए द्वारा अनुमोदित हैचिरयों द्वारा आपूर्ति किए गए एसपीएफ बीज (पीएल 12—15) इन खेतों में स्टॉक किए गए थे और फसल तक जैव—सुरक्षित परिस्थितियों में खेती का संचालन जारी रहा था। सीएए ने अब तक मार्च 2021 तक 2,623 एसपीएफ एल वननामेई फार्मों को एलओपी पंजीकृत और जारी किए हैं, जिसमें कुल 12,815

हेक्टेयर क्षेत्र और 8,591 हेक्टेयर का डब्ल्यूएसए शामिल है, फार्मों का राज्य—वार विवरण तालिका 4.5 में प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2009—10 से 2020—21 के दौरान सभी तटीय राज्यों में जारी किए गए एलओपी की संख्या के संदर्भ में एल. वनमेईफार्मों की वृद्धि तालिका 4.6 में प्रस्तुत की गई है। देश ने खेती में भी तेजी से वृद्धि देखी, जो शुरू में 2009—10 के दौरान 1,744.9 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र के साथ 107 फार्मों के साथ शुरू हुआ, जो बारह वर्षों की अवधि के भीतर 2020—21 के दौरान 12,815 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 8,590 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ लगातार बढ़कर 2,623 खेतों फार्मों तक पहुंच गया है।








तालिका 4.5: एसपीएफएल वननामेई की स्थापना (दिसंबर 2009) से मार्च 2021 तक खेती वं	5
लिए दी गई अनुमतियों का राज्य-वार विवरण	

क्र.सं.	राज्य	फार्मों की सं.	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	आंध्र प्रदेश	720	6,266.83	4,313.13
2	तमिलनाडु	214	1267.14	878.61
3	गुजरात	97	1075.88	769.69
4	महाराष्ट्र	55	1247.29	755.73
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97
6	ओडिशा	1479	2702.58	1693.72
7	गोवा	9	41.11	29.33
8	पुडुच्चेरी	19	46.2	32.52
9	दमन एवं दीव	3	60	38.4
10	पश्चिम बंगाल स	1	3	2
11	केरल	2	32.56	20.46
	कुल	2,623	12,815	8,591



चित्र 19: एसपीएफ एल. वन्नामेई की शुरूआत से अब तक की खेती का राज्य-वार विवरण (दिसंबर 2009 से मार्च 2021 तक)

ओडिशा राज्य ने विकास में बहुत योगदान दिया है और 2010—11 के दौरान 140.08 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 83.78 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ पांच फार्मों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है और 2020—21 के दौरान 2702 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र तथा 1693 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ 1479 फार्मों के स्तर तक पहुंच गया है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (87 हेक्टेयर) के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2009—10 के दौरान 720 फार्म (टीएफए 6266 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 4313 हेक्टेयर) और 2020—21 के दौरान 414 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल वाले 38 फार्मों और 2010—11 के दौरान 258 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र वाले 214 फार्मों में 1267 हेक्टेयर का कुल कृषि क्षेत्र और 878 हेक्टेयर, 2020—21 का जल प्रसार क्षेत्र के साथ तिमलनाडु (तीसरा स्थान) है।

एसपीएफ एल. वननामेई कल्चर को अपनाने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों पर तेजी से कार्यवाही और क्षेत्र में तेजी से विकास का सामना करने के लिए सीएए पंजीकरण जारी करने की सुविधा के लिए, सीएए ने तटीय राज्यों में जिला स्तरीय टीमों (डीएलटी) का गठन किया है, जो 5 हेक्टेयर से कम जल प्रसार क्षेत्र वाले फार्मों का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक जैव सुरक्षा आवश्यकताओं को सत्यापित करने के बाद सीएए के लिए पात्र मामलों की सिफारिश करेंगे।

निरीक्षण दल और जिला स्तरीय टीमों की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव सीएए के स्तर पर आगे की प्रक्रिया की जाती है, जिसके बाद प्रस्तावों को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। सीएए द्वारा अनुमोदन के बाद, फार्मों को पंजीकृत किया जाता है और किसानों को एलओपी जारी किए जाते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





डब्ल्यूएसए (है.) 718.17 453.17 684.38 43.13 286.5 38.4 6160.4 22.09 11.85 7 0 3900.71 तालिका ४.६. 2009–10 से 2020–21 तक सभी तटीय राज्यों में एसपीएफ एल. वननामेई खेती के लिए जारी एलओपी की संख्या 5666.5 1133.03 488.36 651.87 56.3 9152.06 1044.82 31.11 17.07 9 2013-14 टीएफए (है.) 585 123 36 18 79 9 $_{\odot}$ 0 903 21 फार्मों की सं. 377.96 डब्ल्यूएसए (है.) 675.05 38.18 132.64 11.85 38.4 0 3826.88 599.97 16.71 5717.64 997.9 986.54 47.98 0 8436.12 2012-13 547.87 218.24 23.91 17.07 9 5536.61 टीएफए (है.) 113 16 4 $_{\odot}$ 0 0 580 39 29 17 802 क फार्मों सं डब्ल्यूएसाए (है.) 38.18 303.55 291.12 83.78 11.85 0 0 0 2767.58 2.8 3971.46 443.5 514.11 4062.03 691.24 47.98 140.08 5.6 17.07 5921.64 टीएफए (है.) 468 321 16 2 0 79 28 17 फार्मों की सं. डब्ल्यूएसए (है.) 260.12 258.82 174.99 37.38 83.78 0 1648.69 2.8 2466.58 414.35 424.47 140.08 5.6 0 0 0 2010-11 2442.23 47.04 3744.77 271 टीएफए (है.) 192 275 2 0 0 0 38 10 13 16 की सं. फार्मों डब्ल्यूएसए (है.) 0 0 815.44 77.99 168.62 0 0 0 1117.46 55.41 2009-10 272.47 90.14 146 0 0 0 0 0 1744.93 1236.32 टीएफए (है.) 0 9 4 10 0 0 0 0 0 107 87 फार्मों की सं. राज्य का नाम बंगाल दीव तमिलनाडु प्रदेश खं पुदुच्चेरी महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा गुजरात पश्चिम केरल आंध 1 दमन कुल 10 . मः अ $^{\circ}$ 4 2 9 ∞ 6 7

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21







I			2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		IN	2018-19		22	2019-20		22	2020-21	
ਜਾਂ ∌	राज्य का नाम	फामौँ की सं.	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)	फामौँ की सं.	फार्मों की सं	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)	फार्मों की सं.	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)	कामाँ की सं.	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)	की सं.	टीएफए ड (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)	की सं.	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
-	आंध्र प्रदेश	645	5997.32	4131.25	669	0	0	0	6238.5	4289.81	0	0	0	16	27.23	22.38	0	0	0	2	1:	0.94
2	तमिलनाडु	147	1123.82	776.03	164	12	17.95	11.26	1153.89	799.26	12	17.95	11.26	15	39.36	25.82	0	0	0	23	55.94	42.27
т	गुजरात	98	904.51	638:29	97	0	0	0	1075.88	769.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	महाराष्ट्र	46	1192.5	724.51	51	2	9.58	6.50	1228.13	742.73	2	9.58	6.50	2	9.58	6.5	0	0	0	0	0	0
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97	24	0	0	0	72.68	56.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ओडिशा	115	584.32	359.59	148	727	980.09	66.609	1574.85	987.8	727	60:086	66.609	96	122.83	79.39	4	2.36	1.72	22	22.45	14.82
7	गोवा	9	31.11	22.09	7	←	2	1.80	38.11	26.81	F	2	1.80	0	0	0	0	0	0	1	-	0.72
∞	पुडुच्चेरी	2	20.11	14.35	2	7	10.32	6.49	20.11	14.35	7	10.32	6.49	10	15.77	11.68	0	0	0	0	0	0
6	दमन एवं दीव	3	09	38.4	3	0	0	0	09	38.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	पश्चिम बंगाल	1	3	2	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	केरल	1	29.26	18.56	1	0	0	0	32.56	20.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	क्षे	1076	10018.6	6782.04	1197	749	1019.94	636.04	11497.71	7748.28	749	1019.94	636.04	137	214.77	145.77	4	2.36	1.72	48	80.49	58.75

तालिका 4.6 से जारी..









हैचरियों का पंजीकरण और नवीकरण

स्वस्थ बीज लाभदायक और टिकाऊ जलकृषि के लिए प्रमुख इनपुट में से एक है। तटीय जलकृषि फार्मों की जरूरतों को पूरा करने वाली हैचरी सीएए द्वारा पंजीकृत हैं और वे दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं। इस प्रकार सीएए में पंजीकृत निजी और सरकारी हैचरियां एल. वननामेई, पी.मोनोडॉन, फिनफिश और केकड़े के बीज का उत्पादन करती हैं, जिनका उपयोग भारतीय तट पर फैले तटीय जलकृषि किसानों द्वारा किया जाता है।

एल. वननामेई के मामले में, जो एक गैर—देशी प्रजाति (विदेशी) है, एसपीएफ ब्रूडस्टॉक को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केंद्रीय खारा पानी जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और सीएए के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर सीएए द्वारा सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात किया जाता है। विशेषज्ञ समिति ने एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं

को भी अनुमोदित किया है। आयातित ब्र्लंडस्टॉक का संगरोध एमपीईडीए के आरजीसीए द्वारा संचालित जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) में किया जाता है। सीएए एक तकनीकी समिति का नेतृत्व करता है जो एक्यूएफ के कामकाज की निगरानी करती है।

रिपोर्टिंग अविध के दौरान, नई हैचरियों के आवेदनों की जांच और अनुमोदन किया गया था। साथ ही जिन हैचरियों का पंजीकरण नवीनीकरण के लिए होना था, उन पर भी विचार किया गया था। जैसािक इस प्राधिकरण द्वारा अि । सूचित दिशा—निर्देशों में प्रावधान किया गया है, इस प्राधिकरण ने सीएए की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया है, जिसमें डीएलसी, सीआईबीए, एमपीईडीए, एनएफडीबी, डीओएफ और सीएए के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो हैचरी, नौपली पालन हैचरी के पंजीकरण के लिए जैव सुरक्षा तथा स्वच्छता आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति के लिए हैचरियों का निरीक्षण करेंगे और पंजीकृत हैचरियों के लिए एसपीएफ ब्रुडस्टॉक के आयात के लिए वार्षिक आबंटन करेंगे।








बॉक्स-2

भारत में एसपीएफ लिटोपेनेयस वैननेमी कल्वर के महत्वपूर्ण विनियम – भारत सरकार ६ सीएए से जारी अधिसूचनाएं और सलाह



2008: पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत हैचरी पंजीकृत करने और एसपीएफ एल. वननामेई के ब्रुस्टॉक के आयात की अनुमित प्रदान करने के लिए दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की अधि सूचना जारी की गई थी।

2009: तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 एसपीएफ एल वननामेई की शुरूआत के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा—निर्देश, जिसमें एल. वननामेई नस्ल के मानदंड, एसपीएफ एल. वननामेई बीजों के उत्पादन और बिक्री के लिए तकनीकी आवश्यकताओंध्प्रक्रियाओं और फार्मों के अनुमोदन तथा संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड और विनियम निर्धारित किए गए हैं।

2012: सीएए नियम, 2005 में संशोधन करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचनारू हैचरी प्रचालकों और झींगा किसानों द्वारा सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, (प) वयस्क ब्रूडस्टॉक के पालन के लिए एल. वननामेई के एसपीएफ किशोरों को 10 ग्राम तक आयात करने की अनुमति देना, (पप) अनुमत हैचरियों के बीच नौपली की बिक्री और (पपप) पर्याप्त शुष्क अविध के बाद एक प्रजाति के कल्चर को दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित करना। यह अधिसूचना अनिधकृत स्टॉक को नष्ट करके या सीएए के निरीक्षण दल द्वारा स्टॉक के त्याग और निपटान के माध्यम से एल. वननामेई के अनिधकृत बीज उत्पादन और खेती से निपटने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत करती है।

2015: 16 फरवरी 2015 की अधिसूचनारू पेनियस मोनोडन के लिए पंजीकृत फार्मों की शून्य जल विनिमय के बाद कम स्टॉकिंग घनत्व वाले एल. वननामेई कल्चर को लेने की अनुमित देने के लिए निध्र्गारित दिशानिर्देश।

सीएए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडॉन सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुबंध—1 में दिशानिर्देशों में नवंबर, 2015 में संशोधन।







सीएए ने बेहतर ग्णवत्ता वाले एसपीएफ एल वन्नामेई बीजों के उत्पादन को बढाने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया है

हैचरियों के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुपत्र–1 में दिशा–निर्देशों में संशोधन डीएएचडी एंड एफ द्वारा जारी किया गया था ताकि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडॉन सहित) को शामिल किया जा सके।

- निरीक्षण की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।
- प्रत्येक वर्ष एलओपी जारी करने के निपटान के लिए हैचरियों को एलओपी जारी करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है, जिसके द्वारा डीएएचडी एंड एफ पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्शाए गए अनुसार प्रत्येक हैचरी की अनुशंसित क्षमता के अनुसार एसआईपी जारी करता है।
- सीएए अनुमोदित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों के उपयोग की वकालत की ताकि कल्चर की गई उपज में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक मुक्त बीजों की आपूर्ति बढाई जा सके।
- मुख्य हैचरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर हैचरियों के संघ का निरंतर अनुमोदन जारी रखा है ताकि भागीदार हैचरियां (जिनका खराब परिपक्वता प्रदर्शन होता है) को परिसंघ के मुख्य हैचरी में नौपली उत्पादन करने में मदद मिल सके।

तटीय जलकृषि के लिए बीज उत्पादन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है

विदेशी ब्लडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करना और भारतीय हैचरियों द्वारा आयात करना

एल. वननामेई और पी. मोनोडॉन के एसपीएफ झींगा ब्रुडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए गठित तकनीकी मुल्यांकन समिति ने 2018 और 2019 में आयोजित की गई समिति की बैठक के दौरान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत प्रस्तृति के माध्यम

से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन किया था। सीएए ने सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए के परामर्श से आनुवंशिक आधार और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएफ एल. वैननेमी और एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रुडस्टॉक के आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, 14 आपूर्तिकर्ताओं (एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए 12 आपूर्तिकर्ताओं और एसपीएफ पी. मोनोडॉन के लिए 2 आपूर्तिकर्ताओं) को सीएए द्वारा अनुमत हैचरी को एसपीएफ ब्लडस्टॉक की आपूर्ति के लिए पैनल में शामिल किया गया था।

एसपीएफ एल वैनमेई ब्लडस्टॉक का

सीएए द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों में संगरोध, आयात परिमट, पत्तन प्रवेश, सीमा-पूर्व संगरोध आवश्यकताओं और आयातित ब्रूडस्टॉक के आगमन पर संगरोध आवश्यकताओं, कीटाणुशोधन विधियों और अन्य परिचालन विवरणों के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाएं दी गई हैं। एल वैनमेई ब्रुडस्टॉक की लगभग 10,40,200 संख्या को पंजीकृत हैचरियों द्वारा आयात के लिए अनुमतिदी गई थीं।

मई, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के दौरान पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से कुल 2,76,346 ब्रुडस्टॉक का आयात किया गया था (तालिका 5.1)। अप्रैल में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ब्लंडस्टॉक का आयात नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में ब्रूडस्टॉक का आयात शुरू हुआ और हैचरियों ने बीज उत्पादन के लिए इनका इस्तेमाल किया था।

भारत में एसपीएफ एल.वैनमेई हैचरियों की संख्या में वृद्धि

दस वर्षों की छोटी अवधि में भारत में एल. वननामेई हैचरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत (जुलाई, 2009) से नौ के साथ एल. वननामेई हैचरियों की संख्या लगातार बढी है और मार्च 2021 में 293 हैचरियों के स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें प्रतिवर्ष 95150 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता है। सीएए की स्थापना (जुलाई, 2009) से मार्च, 2021 तक देश में एसपीएफ एल. वननामेई हैचरियों की वृद्धि और इस अवधि के दौरान हैचरियों में राज्यवार वृद्धि तालिका 5.1 में प्रस्तुत की गई है |





तालिका 5.1. भारत में सीएए द्वारा अनुमोदित एल. वननामेई हैचरियों का विवरण स्थापना के बाद से (ज्लाई, 2009 से मार्च, 2021 तक)

वर्ष	अनुमत हैचरियों की सं.	उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल)	अनुमत (जोड़े)	आरजीसीए के बीएमसी द्वारा आपूर्ति किए गए ब्रेडस्टॉक जोड़े	आयातित (जोड़े)
2008-09	9	0	0	0	0
2009-10	24	615	15,300	0	12,367
2010-11	21	1329	16100	0	10733
2011-12	74	5608	48720	0	18980
2012-13	105	8295	66360	0	64580
2013-14	117	8776	70,208	0	52,818
2014-15	183	13928	165156	0	99899
2015-16	259	24209	302632	9077	84729
2016-17	281	26783	339300	11065	102360
2017-18	298	29155	368300	16015	1,28,550
2018-19	310	31568	396700	9220	115570
2019-20	315	32518	407700	2025	1,24,957
2020-21	293	95150	520100	9455	1,38,173

2020-21 में हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर पंद्रह हैचरियां और पच्चीस नौपली पालन हैचरियां स्थापित की गई थीं।

कोविड महामारी के दौरान हैचरियों के पंजीकरण के नवीनीकरण के विशेष संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी ने हैचरियों के पंजीकरण की वैधता बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था, जो 31.03.2020 को समाप्त हो गया था। ऑल इंडिया झींगा हैचरीज एसोसिएशन (एआईएसएचए) के परामर्श से, सीएए ने पंजीकरण के नवीनीकरण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था, जिससे हैचरी के स्वामित्व पर स्व—घोषणा एक गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर में प्राप्त की जा सके ताकि हैचरी स्वामित्व को प्रमाणित किया जा सके और सीएए निरीक्षण में तत्परता लाई जा सके।

जिन 242 हैचरियों का पंजीकरण 31.03.2020 को समाप्त हो गया था, उनमें से 225 हैचरियों ने निरीक्षण के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी। सीएए की निरीक्षण समिति द्वारा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तिमलनाडु में लगभग 182 और 43 हैचरियों का क्रमशः लॉकडाउन प्रतिबंधित अविध (मार्च 2020) और लॉकडाउन के बाद (जून, 2020 से मार्च, 2021) के दौरान निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, वर्ष 2020—2021 में 209 हैचरियों का नवीनीकरण किया गया था, जिसकी वैधता 31.03.2025 तक बढा दी गई थी।

बीज उत्पादन से संबंधित प्रमुख उपलब्धि

- हैचरियों को अनुमित देने के लिए गिठत सिमिति की सिफारिश के अनुसार, 2020—21 के दौरान अनुमोदित सभी 293 हैचरियों को वार्षिक आबंटन आदेश जारी किए गए थे।
- 2020—21 के दौरान आयोजित प्राधिकरण की 64वीं और 65वीं बैठकों के दौरान 207 हैचरियों के लिए एलओपी को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- अनुमोदित हैचरियों का उनकी उत्पादन क्षमता सहित राज्य—वार ब्यौरा तालिका 5—2 में प्रस्तुत किया गया है।









राज्य	जिला	हैचरियों की सं.	अनुमत ब्लडस्टॉक की सं.	उत्पादन क्षमता मिलियनध्वार्षिक
तमिलनाडु	चेंगालपट्ट	28	78400	200
	कुड्डालोर	1	3800	120
	नागापट्टिनम	4	19000	550
	विल्लुपुरम	34	114200	12965
आंध्र प्रदश	पूर्वी गोदावरी	69	236200	7452
	गुंदूर	10	46800	1753
	नेल्लोर	63	213800	7455
	प्रकाशम	33	143600	5538
	श्रीकाकुलम	1	4200	240
	विशाखापत्तनम	30	110400	3312
	विजागनगरम	8	30600	810
ओडिशा	गंजम	6	14600	492
गुजरात	गिर—सोमनाथ	3	9000	300
	पोरबंदर	2	9600	13600
ॅमेज ठमदहंस	पूर्व मिदनापुर	1	6000	6000
	कुल	293	1040200	8789800

एसपीएफ एल. वननामेई बीज उत्पादन के लिए नौपली पालन हैचरियां (एनआरएच)

2014—15 की अवधि के दौरान, कई पंजीकृत हैचरियां परिपक्वता में देरी के कारण परिपक्वता अनुभाग के निर्माण में भारी निवेश के बाद भी परिपक्वता सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रही थीं और उपयुक्त तकनीकी व्यक्तियों की कमी के कारण भी। कुछ हैचरी ब्लडस्टॉक की आबंटित संख्या का आयात किए बिना आस—पास की पंजीकृत हैचरियों से नौपली खरीदकर एल. वननामेई बीज उत्पादन पर निर्भर थीं। इसलिए नौपली पालन हैचरियों (एनआरएच) को एक

प्रामाणिक बीज उत्पादन इकाई के रूप में मान्यता दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप पांच वर्षों की छोटी अवधि में भारत में एसपीएफ एल. वननामेई के लिए एनआरएच की काफी वृद्धि हुई। एनआरएच की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो कार्यक्रम के प्रारंभ (2015—16) के समय पांच थी और मार्च 2021 तक प्रतिवर्ष 13605 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता के साथ 147 इकाइयां थीं।


देश में सीएए की स्थापना (2015—16) से मार्च 2021 तक एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियों के लिए अनुमोदित नौपली पालन हैचरियों के विकास की प्रवृत्ति प्रस्तुत की गई है और हैचरियों के नौपली पालन केंद्रों की वर्ष—वार वृद्धि तालिका 5.3 में दर्शाई गई है।





तालिका 5.3. स्थापना (2015–16) से मार्च, 2021 तक भारत में नौपली पालन हैचरियों का विवरण

		अने	मत एनअ	अनुमत एनआरएच की सं.	मं				मता (मि	क्षमता (मिलियनों में)		
7	2015- 16	2016-	2017-	2018-	2019-	2020-	2015- 16	2016-	2017- 18	2018-	2019-	2020-
	—	9	15	21	70	84	40	675	885	3648	5212	7004
	7	—	m	∞	∞	6	125	40	415	885	885	985
C	0	—	4	4	∞	=======================================	0	70	270	392	672	1032
0		0	-	∞	0	11	0	0	100	822	922	1122
0		0	~	5	2	2	0	0	09	440	440	440
0		0	-	9	4	9	0	0	09	294	177	297
0		0		m	m	m	0	0	80	258	258	258
0		0	0	0	—	С	0	0	0	0	160	320
~		—	5	0	9	7	100	30	1615	0	1645	1675
0		0	0	2	4	4	0	0	0	110	260	260
0		0	0	~	—	—	0	0	0	09	09	09
1		0	0	0	—	~	2	0	0	0	2	2
0		—	0	0	—	—	0	0	0	0	100	100
0		0	0	0	—	—	0	100	0	0	20	20
ιΩ		10	3	8	122	147	267	915	3485	6069	10843	13605







6

जलकृषि इनपुट पर विनियम

डीएएचडी एंड एफ और वाणिज्य विभाग के साथ—साथ समुद्री खाद्य निर्यातक संघ द्वारा उत्पादों में एंटीबायोटिक दवाओं का पता लगाने के कारण हाल के दिनों में निर्यात के लिए समुद्री भोजन की बड़े पैमाने पर अस्वीकृति की सूचना पर चिंता व्यक्त की गई थी, सीएए को एक नियामक प्राधिकरण के रूप में झींगा हैचरियों और फार्मों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए सख्त उपाय करने के लिए अधिदेश दिया गया है।

24 जुलाई 2015 को सीएए में झींगा फीड निर्माताओं के साथ आयोजित एक बैठक के बादय जलकृषि आदानों के लिए मानक विकसित करने हेतु समुद्री खाद्य निर्यातकों के साथ इस मुद्दे पर विचार—विमर्श किया गया था। इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जलीय किसानों और हैचरी प्रचालकों को अपनी सुविध्याओं में केवल पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और परिणामस्वरूप जलकृषि आदानों के सभी निर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित)

को इस आशय की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करके सीएए के साथ अपने प्रत्येक उत्पाद को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था कि वे चिंताजनक एंटीबायोटिक दवाओं से मुक्त हैं। क्लोरैम्फेनिकॉल और नाइट्रोफुरन मूल यौगिक और मेटाबोलाइट्स ख्फुराजोलिडोन—एओजेड, फुराल्टाडोन—एएमओजेड, नाइट्रोफरेशन—एएचडी और नाइट्रोफुराजोन (सेमीकार्बाजाइड)—एसईएम।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएए ने फीड एडिटिव, प्रोबायोटिक, लार्वा फीड, वयस्क फीड, रासायनिक, कीटाण गुनाशक, इम्यूनोस्टिमुलेंट और ड्रग्स जैसी आठ श्रेणियों में 104 एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट दर्ज किए थे, जिनकी सूची सीएए वेबसाइट में अपलोड की गई है।

सभी राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी की गई आठ श्रेणियों के तहत एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट के पंजीकरण की कुल संख्या तालिका 6.1 में दी गई है और एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट के संदर्भ में उनका राज्य—वार और वर्ष—वार पंजीकरण तालिका 6.2 में प्रस्तुत किया गया है।









Certificated Antibiotic free Aquaculture inputs by CAA since 2015-16



तालिका 6.1. 2015 से 2021 तक सीएए द्वारा जारी एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (श्रेणी-वार) के पंजीकरण का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	रसायन	31	65	53	376	6	3	534
2	कीटाणुनाशक	11	35	55	180	5	6	292
3	ड्रग	1	2	1	5	0	0	9
4	फीड एड्टिव	72	281	208	859	60	54	1534
5	फीड एडल्ट	27	31	18	44	19	5	144
6	फीड लार्वा	37	11	14	23	2	4	91
7	इम्यूनोस्टिमुलेंट	4	12	19	57	3	1	96
8	प्रोबायोटिक	75	147	130	478	13	31	874
	कुल	258	584	498	2022	108	104	3574



तालिका 6.2. 2015 – 2021 तक सीएए द्वारा जारी एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट का पंजीकरण

क्र. सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	23	120	176	805	28	47	1199
2	दिल्ली	0	2	0	4	0	0	6
3	गुजरात	0	0	39	77	1	8	125
4	हरियाणा	0	0	3	17	8	0	28
5	कर्नाटक	15	17	20	82	10	6	150
6	मध्य प्रदेश	0	0	0	12	0	0	12
7	महाराष्ट्र	36	97	29	140	5	13	320
8	ओडिशा	0	0	0	4	0	0	4
9	तमिलनाडु	117	151	136	198	39	12	653
10	तेलंगाना	66	197	74	658	17	16	1028
11	उत्तर प्रदेश	0	0	11	12	0	0	23
12	उत्तराखंड	0	0	0	3	0	0	3
13	पश्चिम बंगाल	1	0	10	10	0	2	23
	कुल	258	584	498	2022	108	104	3574









पर्यावरण संबंधी निगरानी

वर्ष 2020—2021 में, पंजीकृत फार्मों और हैचरियों की निगरानी के लिए, अपंजीकृत फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण में सहायता करने, फार्मों और हैचरियों से पानी और जानवरों के नमूने एकत्र करने तथा खेतों, हैचरी एवं जलीय शॉप से जलकृषि इनपुट एकत्र करने तथा सभी तटीय राज्यों में तटीय जलकृषि के विभिन्न हॉटस्पॉट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीएए द्वारा सांविदिक आधार

पर बारह निगरानी सहायकों (एमए) को नियुक्त किया गया था।

सीएए टीमों ने फार्म की स्थिति को सत्यापित करने के लिए नियमित निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और गोवा (तालिका 7.1) में स्थित 79 फार्मों का दौरा किया था। जारी किए गए सीएए दिशानिर्देशों के अनुसार विश्लेषण किए गए मुख्य पैरामीटर पीएच, निलंबित ठोस पदार्थ, घुलित ऑक्सीजन, मुक्त अमोनिया (एनएच 3—एन के रूप में), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग—बीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड—सीओडी, विघटित फॉस्फेट (पी के रूप में) और कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) हैं। प्रत्येक पैरामीटर की इष्टतम श्रेणियां तालिका 7.2 में प्रस्तुत की गई हैं।

हैचरियों और फार्मों के ईटीएस के अंतिम निर्वहन बिंदु से एकत्र किए गए पानी के नमूने और इनका विश्लेषण उसी राज्य में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया गया था।

नागपिट्टनम में डॉ. जे. जयलिलता मत्स्यपालन विश्वविद्यालय, विनयानचावडी और तूतीकोडी, कर्नाटक में मैंगलोर मत्स्य कॉलेज, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर और आईसीएआर— केंद्रीय तटीय अनुसंधान संस्थान, गोवा की प्रयोगशालाओं में पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया था। सीएए से भुगतान पर विश्लेषण किया गया था।

परिणामों ने संकेत दिया कि फार्मों और हैचरियों सहित जलकृषि इकाइयों से छोड़े गए पानी की गुणवत्ता सीमा के भीतर थी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय कृषि से प्रदृषित नहीं है।

पानी की गुणवत्ता की निगरानी के अलावा, सीएए ने एनआरसीपी कार्यक्रम में भाग लिया और एमपीईडीए अधि कारियों के साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित 182 हैचरियों का दौरा किया था। टीम ने 45 हैचरियों से बीज के नमूने एकत्र किए थे, जिनका ईआईसी द्वारा एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए उनकी प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया गया था।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





तालिका 7.1. वर्ष 2020-2021 में हैचरियों और फार्मों से एकत्र किए गए पानी के नमूनों का विवरण

		ਦ ਾਂ	ग्रहीत नमूने	कुल संग्रहीत
क्र.सं.	जिला और राज्य का नाम	फार्म	हैचरियां	नमूने
1	नागापट्टिनम, तमिलनाडु	03	02	05
2	रामनाथपुरम, तमिलनाडु	07	-	07
3	चेंगलपट्ट्, तमिलनाडु	-	10	10
4	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	10	02	12
5	कृष्णा, आंध्र प्रदेश	05	-	05
6	पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	05	-	05
7	पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	20	19	39
8	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	05	05	10
9	गंजम, ओडिशा	09	03	12
10	उडुपी, कर्नाटक	04	-	04
11	उत्तर कन्नड़, कर्नाटक	05		05
	गोवा	06	-	06
	कुल	79	41	120

तालिका 7.2. सीएए नियमों के अनुसार जलकृषि फार्मों, हैचरियों, फीड मिलों और प्रसंस्करण इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए मानक

क्र.सं.	पैरामीटर	अंतिम निर्वहन बिंदु	
		तटीय समुद्री जल	क्रीक या एस्टुरीन कोर्स जब एक ही अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग जल स्रोत और निपटान बिंदु के रूप में किया जाता है
1	पीएच	6.0 - 8.5	6.0 - 8.5
2	सस्पेंडेड ठोस पदार्थ मि.ग्रा. / 1	100	100
3	घुलित ऑक्सीजन मि.ग्रा. / 1	3 से अनाधिक	3 से अनाधिक
4	मुक्त अमोनिया (एनएच3–एन रूप में) मि.ग्रा. / 1	1.0	0.5
5	बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड—बीओडी (5 दिन / @ 20°C) मि.ग्रा. / 1 अधिकतम	50	20
6	रसायनिक ऑक्सीजन मांग—सीओडी मि.ग्रा./1 अधि ाकतम	100	75
7	घुलित फास्फेट (पी के रूप में) मि.ग्रा. / 1 अधिकतम	0.4	0.2
8	कुल नाइट्रोजन (एन रूप में) मि.ग्रा. / 1	2.0	2.0







निगरानी

उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और रिकॉर्डध रजिस्टरों का भी सत्यापन किया गया था और आयातित ब्रुडस्टॉक की मात्रा, उनके स्रोत, मृत्यु दर, यदि कोई हो, स्पॉनिंग, अंडे, नौपली, उत्पादितध्बेचे गए लार्वा की संख्या, उन किसानों का ब्यौरा जिन्हें बीज बेचे गए, हैचरियोंध फार्मों के सीएए पंजीकरण की वैधताय उत्पादित झींगा की मात्रा, बेचे गए, प्रोसेसर का नाम और पता जिसे बेचा गया था और दिशानिर्देशों में विस्तृत अन्य विवरणों की जांच की गई थी। किसानों और हैचरियों को सलाह दी गई थी कि वे दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रिकॉर्ड बनाए रखें और यथा निर्धारित सीएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तृत करें। किसानों को जिम्मेदार, पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ जलकृषि पद्धतियों को अपनाने तथा सीएए पंजीकृत एंटीबायोटिक–मुक्त जलकृषि इनपुट और अच्छी जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपी) का उपयोग करके बीज और गुणवत्ता वाले जलकृषि उत्पादों के उत्पादन में शामिल होने की सलाह दी गई थी।

ब्रुडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने में सख्त विनियमन, आयात प्रक्रिया और ब्रुडस्टॉक के संगरोध ने अब तक देश में आयातित ओआईई सूचीबद्ध रोगजनक से मुक्त केवल एसपीएफ एल. वैनमेई ब्रुडस्टॉक का उपयोग सुनिश्चित किया है। इसी तरह, जैव सुरक्षा सुविधाओं के साथ—साथ नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों के अनुमोदन ने यह सुनिश्चित किया कि स्वस्थ उत्पादन के लिए दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किया जाए। इसके अलावा, सीएए द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप फार्मों और हैचरियों के ईटीएस से छोड़े गए अपशिष्ट जल गुणवत्ता मापदंडों की निगरानी की जाती है। इन सभी प्रयासों ने झींगा पालन क्षेत्र को बीमारियों से बचने में सक्षम बनाया है।

डेकापॉड इरिडिसेंट वायरस 1 या डीआईवी1 संक्रमण की स्क्रीनिंग

सभी पैनल में शामिल अंतर्राष्ट्रीय एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं और भारत में आयातकों विशेष रूप से हैचरी प्रचालकों को सलाह दी गई थी कि वे एसपीएफ ब्रूडस्टॉक और भारत में झींगा एक्वाकल्चर उद्योग से जुड़े आर्टेमिया सिस्ट सहित अन्य जीवित सामग्री की डेकापॉड इरिडिसेंट वायरस 1 या डीआईवी 1 के लिए जांच करें तािक भारत में झींगा जलीय कृषि उद्योग की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ओआईई सूचीबद्ध रोगजनकों के अलावा डेकापॉड इरिडिसेंट वायरस 1 या डीआईवी 1 से मुक्त हैं।

एसपीएफ ब्लडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई

चेन्नई के नीलंकरई स्थित जलीय संगरोध सुविधा में ओआईई सूचीबद्ध झींगा रोगजनक, संक्रामक हाइपोर्डमेल हेमटोपोएटिक नेक्रोसिस वायरस (आईएचएनवी) का पता लगाने पर 27—09—2020 को मैसर्स बीएमआर ब्लू जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्तिकर्ता मैसर्स ब्लू जेनेटिक्स, मेक्सिको से आयातित एल. वन्नामेई की पेरेंट पोस्ट लार्वा खेप को भस्म करने की कार्रवाई की गई है। मैसर्स ब्लू जेनेटिक्स, मेक्सिको को ब्रुडस्टॉक और पैरेंट पोस्ट लार्वा या झींगा आनुवंशिक सामग्री के किसी अन्य रूप को भारत भेजने से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि इसकी आपूर्ति के लिए पैनल में शामिल करने पर उचित निर्णय नहीं ले लिया जाता है।







एल. वननामेई बीज उत्पादन में सीएए दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए हैचरियों के खिलाफ कार्रवाई

सीएए द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर, सक्षम प्राधि कारी द्वारा नामित समिति ने 03.06.2020 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के विदावलूर और इंदुकुरपेट मंडलों में स्थित मेसर्स श्री जननी हैचरी में तालाब पाले गए ब्रूडस्टॉक का निरीक्षण किया था और पाया था कि बीज उत्पादन तालाब में पाले गए ब्रूडस्टाक का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। समिति ने सीएए अधिनियम, नियमों और विनियमों के तहत अनिधकृत स्टॉक को नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही, सीएए नियम, 2005 के नियम 10 के तहत प्रदान किए

गए अनुसार 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये) की बैंक गारंटी को लागू किया गया था।

सीएए ने 52 हैचरियों पर भी कार्रवाई शुरू की है, जिसके लिए पंजीकरण की विस्तारित वैधता 30.06.2020 को समाप्त हो गई थी, और उनके सभी प्रचालन को बंद करने तथा अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया था।

अनिधकृत एल. वननामेई बीज उत्पादन की जांच के लिए औचक निरीक्षण

सीएए की निरीक्षण समिति ने 12.11.2020 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के यू. कोठापल्ली और थोंडांगी मंडलों में स्थित नौ अपंजीकृत हैचरियों में अपने औचक









निरीक्षण के दौरान तीन हैचरियों में एल. वननामेई के अनिध ाकृत बीज उत्पादन को पाया था। समिति द्वारा सभी स्टॉक नष्ट कर दिए गए थे और हैचरी प्रचालकों को पंजीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए डीएलसी की मदद लेने की सलाह दी गई थी।

सीएए, डीएलसी, एमपीईडीए और सीआईबीए के सदस्यों वाले निरीक्षण दल ने अनिधकृत बीज उत्पादन के लिए तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में स्थित तेरह अपंजीकृत हैचरियों पर 12.03.2021 को औचक निरीक्षण किया था। एक हैचरी में अनधिकृत बीज उत्पादन पाया गया था और समिति द्वारा सभी स्टॉक नष्ट कर दिए गए थे। सभी तेरह हैचरियों को अपने प्रचालनों को बंद करने तथा अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।

हैचरी और एनआरएच में जैव सुरक्षा उपायों की जांच

सीएए ने हैचरियोंध्एनआरएच के प्रचालकों को परामर्श जारी कर इस बात पर जोर दिया था कि वे उपयुक्त जैव सुरक्षा स्निश्चित करने के लिए और जैव स्रक्षा से समझौता करते हुए एक ही छत के नीचे कई प्रजातियों के पालन से बचने के लिए विशेष रूप से संबंधित हैचरियों को दी जाने वाली प्रजातियों के अलावा किसी अन्य प्रजाति का उत्पादन और बिक्री न करें।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दक्षिणी जोन, चेन्नई के निर्देश पर सीएए ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के चित्तम्रू, वकाडू और कोटा मंडलों में स्थित खारे पानी के जलकृषि फार्मों के क्षेत्रीय मूल्यांकन में भाग लिया है और जिला प्रशासन को इस मुद्दे से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की है।

जलीय इनपुट निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई

सीएए नियम 2005 की धारा प्य के नियम 5 (xii) और उपनियम 11.7 और 11.8 के महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए मानक प्रमाण पत्र हेत् जलकृषि में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की उपस्थिति दर्शाने वाली प्रयोगशाला रिपोर्टों की प्राप्ति पर छह कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।









आउटरीच गतिविधियाँ

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएए समुद्री राज्यों में दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा करके और अन्य अच्छी जलकृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से शामिल था। इस प्रकार, सीएए ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा में किसानों के साथ बैठकें आयोजित की हैं।

कोविड—19 महामारी प्रतिबंधों के कारण अन्य राज्यों को कवर नहीं किया जा सका।

- सीएए में फार्म पंजीकरणध्नवीकरण तटीय जलकृषि
 फार्मों की आवश्यकता और गैर—पंजीकरण के परिण्
 गामों पर किसानों को सीधे और साथ ही किसान समूह
 संगठनों के माध्यम से सलाह दी गई थी।
- झींगा (पी. मोनोडॉन, एसपीएफ एल. वन्नामेई), फिन मछिलयों, केकड़ों और अन्य संसाधनों की खेती के लिए फार्मों के पंजीकरण और नवीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम तटीय राज्यों में और किसानों को संवेदनशील बनाकर आयोजित किए गए थे।
- स्थानीय भाषाओं में तैयार ब्रोशरध्हैंडआउट को जलीय किसानों और संबंधित हितधारकों को वितरित किए

- गए थे, जिसमें विभिन्न तटीय जिलों में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- किसानों और हैचरी कर्मचारियों को एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध तथा खेती के स्टॉक या लार्वा में एंटीबायोटिक अवशेषों का पता लगाने के परिणामों के बारे में शिक्षित किया गया था। जलकृषि में एंटीबायोटिक के उपयोग के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पूर्वी तट पर चार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- षविश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (डब्ल्यूएएडब्ल्यू)ष् पर विभिन्न क्षेत्रों के हैचरी प्रचालकों के साथ एक हितधारक का परामर्श 23 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वाह्न में आयोजित किया गया था। बैठक में एंटीबायोटिक मुक्त झींगा बीज के उत्पादन सहित हैचरियों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक के दौरान सामने आए कार्रवाई योग्य बिंदुओं को हितधारकों को वितरित किया गया है।



Coastal Aquaculture Authority





World Antimicrobial Awareness Week 2020 18-24 November 2020

> Stakeholders' Consultation Program 1 – Hatchery November 23rd, 2020

Strive for High Quality Antibiotic Free Seed

Coastal Aquaculture Authority
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
Sth Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department,













- विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (डब्ल्यूएएडब्ल्यू) पर विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के साथ हितधारकों का परामर्श 24 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वाह्न में आयोजित किया गया था। बैठक में एंटीबायोटिक मुक्त झींगा के उत्पादन सहित फार्मी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान सामने आए कार्रवाई योग्य बिंदुओं को हितधारकों को वितरित किया गया है।
- ऑल इंडिया झींगा हैचरीज एसोसिएशन, तमिलनाड् चौप्टर के प्रतिनिधियों के साथ 11.02.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में हैचरियों के प्रचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
- 12.02.2021 को नागपट्टिनम जिले, तमिलनाडु के झींगा किसानों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।







नई पहल


विजयवाड़ा में सुविधा केंद्र

अधिक मजबूत निगरानी रखने और सीएए नियमों तथा विनियमों को लागू करने एवं सीएए दिशानिर्देशों और विनियमों को अपनाने में किसानों को सहयोग देने की आवश्यकता को समझते हुए, सीएए विभिन्न तटीय राज्यों में इकाइयां ६ सुविधा केंद्र शुरू करना चाहता था। इसके आधार पर, सीएए ने आंध्र प्रदेश सरकार के मत्स्यपालन आयुक्त से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएए के एक सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए लगभग 750 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्र के साथ एक स्वतंत्र कार्यालय स्थान प्रदान करने का अनुरोध किया था। पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव ने 6 मार्च, 2021 को सीएए का दौरा किया था और 18 मार्च, 2021 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में सीएए के पहले सुविधा केंद्र को प्रचालित करने का अनुमोदन प्रदान किया था।

प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सीएए का पहला सुविधा केंद्र 18.03.2021 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरणध्नवीकरण में तेजी लाने, जैव—सुरक्षा पहलुओं पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने, रोग निगरानी, निगरानी, पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी के लिए पानी के नमूनों के नियमित संग्रह, मजबूत डेटाबेस बनाने और जलकृषि इकाइयों की नियमित निगरानी के लिए किसानों और मत्स्यपालन विभाग का सहयोग करना है।

तटीय जलीय किसानों के लिए पहचान पत्र (आईडी)

सीएए ने तटीय जलीय किसानों को आईडी कार्ड जारी करने के लिए औपचारिक रूप से नई पहल शुरू की थी। राज्य के सभी डीएलसी से अनुरोध किया गया था कि वे भारत में तटीय जलीय किसानों को आईडी कार्ड जारी करने के लिए पंजीकृत तटीय जलीय किसानों के मालिकोंध प्रचालकों का व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध करवायें।





वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21













2021-22 के लिए लक्ष्य

कोविड—19 महामारी सीएए के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में, लेकिन तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए, सीएए यह सुनिश्चित करेगा कि हितधारक प्रभावित न हों। हमने उन गतिविधियों की एक सूची तैयार की है जिन्हें हम 2021—22 में लागू करने की योजना बना रहे हैं।

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। शीर्ष पांच झींगा उत्पादन राज्यों पर अधिक ध्यान देने के साथ सभी समुद्री राज्यों में अधि कि फार्मों को पंजीकृत करने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि राज्यवार उत्पादन के एक त्वरित सर्वेक्षण और विश्लेषण ने अधिक किसानों से संपर्क करने और उन्हें सीएए में पंजीकरण / नवीनीकृत करने की आवश्यकता का संकेत दिया था।

हैचरियों और एनआरएच का पंजीकरण और नवीकरण

जिन हैचरियों के पंजीकरण का 2021—22 में नवीनीकरण किया जाना है, उनसे संपर्क किया जाएगा और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया मार्च 2022 से पहले पूरी कर ली जाएगी। नए हैचरी निर्माण के लिए आवेदनों की जांच की जाएगी और बिना किसी देरी के उनपर कार्यवाही की जाएगी।

एल. वाननामेई कल्चर के लिए अनुमोदन

एल.वननामेई कल्चर में स्थानांतरित होने की योजना बना रहे किसानों के आवेदनों को सीएए दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया जाएगा और सीएए में बिना देरी के एलओपी जारी किए जाएंगे।

निरीक्षण और पर्यावरण संबंधी निगरानी

विभिन्न समुद्री राज्यों में विशेष रूप से जैव—सुरक्षा और बिहस्त्राव उपचार से संबंधित सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाएगी। ईटीएस के प्रचालन, तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता का विश्लेषण यह जांचने के लिए किया जाएगा कि क्या वे सीएए दिशानिर्देशों में निर्धारित इष्टतम सीमाओं को पूरा करते हैं। ये दिशानिर्देश जो एहतियाती सिद्धांत और स्थिरता के सिद्धांत जैसे मुख्य पर्यावरण सिद्धांतों पर आधारित हैं, का पालन जलकृषि हितधारकों द्वारा किया जाना है जो प्राकृतिक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

जल ग्णवत्ता विश्लेषण

विभिन्न सरकारी और विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास पानी के नमूनों का विश्लेषण करने की सुविधा है और पूर्वी और पश्चिमी तटों के विभिन्न क्षेत्रों से सीएए द्वारा एकत्र किए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए उनके साथ समझौते किए जाएंगे। तटीय जिलों से एकत्र किए गए पानी के







नमूनों का निकटतम अनुमोदित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाएगा। इससे नमूनों के परिवहन का बोझ कम होगा, तटीय राज्यों में विभिन्न संगठनों के साथ अधिक संबंधों की सुविधा होगी और समय पर कार्रवाई के लिए परिणामों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुमोदन

चूंकि किसानों और हैचरी प्रचालकों के बीच एंटीबायोटिक अवशेषों पर जागरूकता मजबूत हो रही है, इसलिए अिंध कि उत्पादों को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। साथ ही पहले से पंजीकृत उत्पादों का नवीकरण भी 2020—21 में होने की उम्मीद है। इसके अलावा टास्क फोर्स समिति के माध्यम से प्रमाणित उत्पादों के नमूने और निरीक्षण की भी योजना बनाई गई है।

जागरूकता कार्यक्रम

विभिन्न तटीय जिलों में पर्यावरण संरक्षण, फार्म पंजीकरण और नवीकरण, तटीय जलकृषि गतिविधियों के सतत विकास, अच्छी जलकृषि पद्धतियों और रोगाणुरोधी जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विज्ञापन और प्रकाशन

अनिधकृत गतिविधियों के बारे में हितधारकों को सावधान करने और बीमारियों की घटना से बचने के लिए एहितयाती उपाय करने के साथ—साथ स्थायी जलकृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जलकृषि क्षेत्र में होने वाले वर्तमान मामलों तथा घटनाओं पर हितधारकों को सलाह देने के लिए समय—समय पर महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाते हैं।

मैनुअलध्बोशर तैयार करना

सीएए नियमों और विनियमों की मुख्य विशेषताओं, अच्छी जलकृषि पद्धतियों और एंटी—बायोटिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों तथा तटीय जलकृषि के लिए प्रासंगिक अन्य मामलों को उजागर करने वाले ब्रोशर और पैम्फलेट तैयार किए जाएंगे।

कार्यशालाएं और बैठकें

तटीय जलकृषि गतिविधियों में आने वाली समस्याओं को संबोधित करने के लिए हितधारक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां तकनीकी सुधार और अन्य पहलुओं पर विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा। फार्म पंजीकरण और नवीनीकरण में समस्याओं को समझने के लिए डीएलसी सदस्य संयोजकों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।





12

राश्ट्रीय और अंतर्राश्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकोंध्सेमिनारोंध्संगोष्ठियों में सीएए सदस्योंध्अधिकारियों की भागीदारी

अन्य संगठनों द्वारा आयोजित लगभग सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई थीं और इस अवधि के दौरान सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की सूची नीचे दी गई है

राष्ट्रीय

- सदस्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 26.10.
 2020 को आयोजित एनएफडीबी की 38वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव ने 09.01.2021 को ममल्लापुरम, तमिलनाडु में एमपीईडीए द्वारा आयोजित बीएमसी द्व ारा पाले गए एल. वननामेई ब्रुडस्टॉक को फिर से लॉन्च करने के कार्यक्रम में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव ने भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर 08.03.2021 को आयोजित वेबिनार में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव ने केरल विश्वविद्यालय, जलीय जीव विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित सतत समुद्री मत्स्यपालन और जलकृषि पर 12.03.2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया था
 जलवायु परिवर्तन के लिए मत्स्यपालन क्षेत्र की भेद्यता और जलवायु स्मार्ट गांवों के माध्यम से तटीय

- समुदायों की अनुकूली क्षमता और तैयारी बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रमुख भाषण दिया था।
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने हैचरी से एनआरसीपी नमूने एकत्र करने में मुद्दों को हल करने हेतु 15.05.2020 को अधिकारियों और हितधारकों के साथ भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग द्व ारा आयोजित बैठक में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने 07.09.2021 को मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया गया था, तािक यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीित पर चर्चा की जा सके कि मत्स्यपालन क्षेत्र कोविड—19 से प्रभावित होने के बाद अपनी गित हािसल कर सके और 2024—25 तक निर्यात को दोगुना करने के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने प्रधानमंत्री के अपर सचिव के साथ श्डैशबोर्ड के डैशबोर्डश् पर 09.10.2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने 20.10.2020 को एंटीबायोटिक अवशेषों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया था।
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने 11.11.
 2020 को भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्व







ारा आयोजित सागरमाला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अभिसरण में तटीय मत्स्य समुदायों के विकास के लिए परियोजनाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया थाय

- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने
 21.12.2020 को आयोजित देश में एनबीसी और बीएमसी की स्थापना और प्रचालन की समीक्षा के लिए समिति की बैठक में भाग लिया थाय
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने 19.01.2021
 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरजीसीए की 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया थाय
- सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने
 17.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

- एसपीएफ झींगा बीएमसी की स्थापना और प्रचालन के लिए दिशानिर्देशों के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित परियोजना स्क्रीनिंग समिति की 18वीं बैठक में भाग लिया था।
- ◆ निदेशक (तकनीकी) ने 28.10.2020 को आयोजित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की तर्ज पर मत्स्यपालन और जलकृषि परिषद पर मसौदा विधेयक की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए पुनर्गठित विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय

 सदस्य सचिव ने 09.12.2020 और 10.12.2020 को बाइवाल्व मोलस्क स्वच्छता पर आयोजित एफएओ वर्च्अल क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया था।









संस्थानिक गतिविधियाँ

सीएए ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन गतिविधियों को सीएए के सभी कर्मचारियों और निगरानी सहायकों की भागीदारी के साथ समयबद्ध तरीके से योजनाबद्ध और कार्यान्वित किया गया था। हमने कोविड—19 प्रतिबंधों के कारण अन्य संगठनों से किसी मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है। हालांकि, सभी कार्यक्रम कोविड—19 प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग और फेस मास्क पहनना का पालन करते हुए सीएए के भीतर आयोजित किए गए थे। विभिन्न गतिविधियों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है।

हिंदी सप्ताह समारोह

हर साल 14 सितंबर से एक पखवाड़े में राजभाषा सप्ताहधहेंदी सप्ताह मनाया जाता है। इस कार्यालय ने 14.09.2020 से 28.09.2020 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिंदी पखवाड़ा मनाया था। प्रतियोगिताओं में हिंदी टिप्पण और प्रारूपण, क्विज, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग, गायन गीत और नाटक हिंदी में शामिल हैं और वे व्यक्तिगत रूप से और टीम—वार आयोजित किए गए थे। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए थे।

स्वच्छता पखवाड़ा

भारत सरकार द्वारा 02.10.2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण अभियान है। यह माना जाता है कि एक स्वच्छ भारत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इस वर्ष सीएए ने विभिन्न वर्गों में संगठन के भीतर स्वच्छता अभियान का आयोजन करके स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।













सतर्कता सप्ताह समारोह

तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में,

सीएए अधिकारियों ने 27 अक्टूबर, 2020 को अखंडता की शपथ ली हैय सीएए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ष्सतर्कताष् विषय पर प्रश्नोत्तरी और ड्राइंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।



झींगा पालन की राज्यवार समीक्षा 2020-2021











झींगा पालन की राज्यवार समीक्षा 2006-2021

जलकृषि एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न जलीय प्रजातियों की खेती के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियां साल-दर-साल विकसित और परिष्कृत की जा रही हैं। शोधकर्ताओं, योजनाकारों और प्रमोटरों के विभिन्न समूहों द्वारा अनुसंधान एवं विकास और संवध नितमक गतिविधियों ने देश में विभिन्न नए प्रकार की खेती को अपनाया है, विशेष रूप से झींगा पालन के अलावा फिनफिश का केज कल्चर, समुद्री खरपतवार खेती, केकड़ा मोटाई, बाइवाल्व खेती और सजावटी मछली कल्चर। हालांकि, झींगा पालन अभी भी सबसे लोकप्रिय तटीय

जलकृषि गतिविधि के रूप में बना हुआ है और तथ्य यह है कि इससे 2020-21 में 843361 टन का उत्पादन हुआ है, जो जलकृषि के लिए उम्मीदवार प्रजातियों के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख निर्यात उत्पाद के रूप में इन क्रस्टेशियंस की लोकप्रियता का एक वैध संकेत है। हालांकि सीएए में मछली और केकड़ा फार्म पंजीकृत हैं, लेकिन इस 15 साल की अवधि के दौरान सीएए में पंजीकृत अधिकांश किसान तटीय क्षेत्र में तालाबों में झींगा पालन कर रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, 2006 से 2021 तक तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झींगा जलकृषि पर यह खंड प्रस्तुत किया गया है।

COASTAL AQUACULTURE INDIA Global Rank of 2nd India 1st 2021 White-leg shrimp Tiger Shrimp Main resource Letopenaeus vannamei Penaeus monodon Shrimp Production 96.7% 3% 843361 tonnes 815745 tonnes 27, 615 tonnes






समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झींगा पालन की स्थिति की समीक्षा की गई थी और मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। एमपीईडीए द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित एल. वैननेमी और पी.मोनोडॉन उत्पादन पर आंकड़ों का उपयोग विश्लेषण में किया गया था। विभिन्न राज्यों में फार्मों की संख्या, क्षेत्र—वार फार्मों, हैचरियों की संख्या और नौपली पालन हैचरियों की संख्या तथा प्रत्येक जिले में उनकी बीज उत्पादन क्षमता से संबंधित विवरण सीएए के डेटाबेस से हैं। प्रस्तुत राज्यवार समीक्षा वर्णानुक्रम पर है। विवरण अनुबंध 1 में प्रस्तुत किए गए हैं

आंध्र प्रदेश (एपी)

 आंध्र प्रदेश 8.59 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की उत्पादकता के साथ 6,39,894 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है, जो राष्ट्रीय झींगा उत्पादन में 76 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

- राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के अलावा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी के तटीय जिलों में नौ जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) हैं जो तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण और नवीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करती हैं।
- 20343 फार्मों के साथ राज्य का देश के कुल सीएए पंजीकृत फार्मों का 51% हिस्सा है। क्षेत्र के अनुसार,
 93% फार्म 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे फार्म हैं और 6% 2.1 से 5 हेक्टेयर समूह के बीच हैं।
- पूर्वी गोदावरी जिले में राज्यों के कुल 26% का योगदान देने वाले फार्मों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद नेल्लोर और कृष्णा जिले हैं।



चित्र 1 सीएए के साथ पंजीकृत खेतों का जिलेवार कुल क्षेत्रफल (टीए) और राज्य के कुल में उनका प्रतिशत योगदान

- आंध्र प्रदेश में बीज उत्पादन इकाइयों की संख्या सबसे अधिक है, 240 हैचरियों और 132 नौपली पालन हैचरियों सहित 372 हैचरियां हैं। बीज उत्पादन क्षमता 38018 मिलियन प्रति वर्ष है जो देश की कुल झींगा बीज उत्पादन क्षमता का 73% है।
- पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों को छोड़कर सभी तटीय जिलों में हैचरियां स्थापित हैं। तथापि, कृष्णा
- जिले में छह एनआरएच हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 297 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है।
- पूर्वी गोदावरी जिले में 78 हैचरियों और 84 एनआरएच से प्रतिवर्ष 14456 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता है, इसके बाद नेल्लोर जिले में 74 हैचरियों और 11 एनआरएच से प्रति वर्ष 8487 मिलियन बीज उत्पादन होता है।







तालिका 1. आंध्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

जिलेवार फार्म - एपी और राज्य के कुल में उनका योगदान

क्र.सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मो का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %
1	पूर्वी गोदावरी	5390	6795.17	4752.31	26.15	23.05	23.09
2	गुंदूर	2503	3399.48	2618.49	12.14	11.53	12.72
3	कृष्णा	3835	4604.02	2981.58	18.61	15.62	14.49
4	नेल्लोर	3959	7585.97	4646.14	19.21	25.73	22.58
5	प्रकाशम	2123	3496.55	2690.3	10.3	11.86	13.07
6	श्रीकाकुलम	665	904.49	723.85	3.23	3.07	3.52
7	विशाखापत्तनम	128	597.59	472.85	0.62	2.03	2.3
8	विजयनगरम	12	35.77	27.25	0.06	0.12	0.13
9	पश्चिमी गोदावरी	1997	2059.14	1667.47	9.69	6.99	8.1
	कुल	20612	29478.18	20580.24			

तालिका 2. आंघ्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत जिलावार हैचरियों और एनआरएच का विवरण


क्र. सं.	राज्य/जिला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन६ वार्षिक)	अनुमत एनआरएच की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	एचएटी + एनआरएच संख्या	एचएटी + एनआरएच क्षमता
1	नेल्लोर	74	7455	11	1032	85	8487
2	प्रकाशम	36	5538	9	985	45	6523.33
3	गुंटूर	11	1753	3	258	14	2011
4	पूर्वी गोदावरी	78	7452	84	7004	162	14456
5	विशाखापत्तनम	31	3312	11	1122	42	4434
6	विजयानगरम	8	810	5	440	13	1250
7	श्रीकाकुलम	2	240	3	320	5	560
8	कृष्णा			6	297	6	297
	कुल	240	26560.3	132	11458	372	38018.3





गोवा

- राज्य में राज्य स्तरीय समिति के अलावा दो जिलों, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा में डीएलसी हैं, जहां किसानों के तटीय जलकृषि अनुप्रयोग संसाधित किए जाते हैं और पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीएए को सिफारिश की जाती है।
- राज्य में सीएए में पंजीकृत 43 फार्म हैं जो 168 हेक्टेयर (120 डब्ल्यूएसए) के कुल क्षेत्र को कवर करते हैं।
- अधिकांश फार्म (53%) 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के छोटे फार्म हैं और 36 प्रतिशत 2.1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के आकार के फार्म हैं। राज्य में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले फार्म (11%) हैं।
- गोवा में कोई पंजीकृत हैचरियां या नौपली पालन हैचरियां नहीं है।
- 2.44 मीट्रिक टनध्हेक्टेयरध्वर्ष की उत्पादकता के साथ 2020—2021 कुल उत्पादन 7.8 मीट्रिक टन बताया गया है।



चित्र 2 सीएए के साथ पंजीकृत खेतों के कुल क्षेत्रफल का जिलेवार प्रतिशत योगदान

तालिका 3. गोवा में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण


	जिले–वार फार्म – गोवा और राज्य के कुल में उनका योगदान											
क्र.सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %					
1	उत्तरी गोवा	19	85.5	63.29	44.2	57.5	59.1					
2	दक्षिणी गोवा	24	63.3	43.75	55.8	42.5	40.9					
	कुल	43	148.8	107.04	100.0							

गुजरात

- राज्य में सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर और पोरबंदर के तटीय जिलों में फैले नौ डीएलसी हैं और इन्होंने कुल 4151 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 947 फार्मों के पंजीकरण का सहयोग किया है।
- सबसे अधिक फार्म (38.3%) सूरत में हैं, इसके
 बाद नवसारी (32.2%) और वलसाड (14%) में हैं।
- हालांकि, सूरत की तुलना में नवसारी में कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए अधिक है। गुजरात में, 75 प्रतिशत फार्म 2.1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र श्रेणी में हैं और 24% 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के छोटे फार्म हैं। राज्य में 5 हेक्टेयर क्षेत्र से ऊपर के बड़े फार्म भी हैं।
- 2020–21 में 50,526 टन उत्पादन के साथ गुजरात ने राष्ट्रीय कुल का 6% योगदान दिया है। गुजरात 2017–18 से लगातार समुद्री राज्यों में तीसरे स्थान पर है।







चित्र 3. सीएए के साथ पंजीकृत खेतों का जिलेवार कुल क्षेत्रफल (टीए) और राज्य के कुल में उनका प्रतिशत योगदान

गुजरात के तटीय जिले

- राज्य ने 2019–20 में 73,842 टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया, जो राष्ट्रीय कुल का 9.9% है। 2009–10 के बाद से झींगा उत्पादन में वृद्धि शानदार रही है, जिससे रैंकिंग में 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
- चार तटीय जिलों में फैली 09 बीज उत्पादन इकाइयां (8 हैचरियां और एक एनआरएच) हैंय पोरबंदर (3 सं.), गिर—सोमनाथ (3 सं., जूनागढ़ (2 सं.) और वलसाड
- (01 सं.) जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1095 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है।
- पोरबंदर में प्रतिवर्ष 560 मिलियन बीज की उच्चतम क्षमता है, जो राज्य की क्षमता में 51% का योगदान देती है। गिर सोमनाथ में राज्य की एकमात्र एनआरएच है, जो दो हैचरियों के साथ राज्य की उत्पादन क्षमता का 37% योगदान देती है।

तालिका 3. गुजरात में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

	जिले–वार फार्म – गुजरात और राज्य के कुल में उनका योगदान												
क्र. सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %						
1	सूरत	368	1304.58	946.22	38.3	31.2	31.6						
2	नवसारी	310	1659.62	1187.14	32.2	39.7	39.7						
3	वलसाड	135	512.56	388.49	14.0	12.3	13.0						
4	भरूच	118	581.39	388.52	12.3	13.9	13.0						
5	अमरेली	12	58.65	39.85	1.2	1.4	1.3						
6	जूनागढ़	12	44.53	28.25	1.2	1.1	0.9						
7	गिरसोमनाथ	5	13.54	10	0.5	0.3	0.3						
8	भावनगर	1	5	3.2	0.1	0.1	0.1						
9	पोरबंदर	1	2	1.6	0.1	0.0	0.1						
	कुल	962	4181.87	2993.27									






तालिका 4. गुजरात में सीएए में पंजीकृत जिला-वार हैचरियों और एनआरएच का विवरण

क्र.सं.	राज्यधीजला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियनध् वार्षिक)	अनुमत एनआरएच की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	एचएटी + एनआरएच संख्या	एचएटी + एनआरएच क्षमता
जूनागढ़	2	95	2800	-		2	95
वलसाड	1	40	1200	-		1	40
गिर-सोमनाथ	2	300	7200	1	100	3	400
पोरबंदर	3	560	13600	-		3	560
कुल	8	995	24800	1	100	9	1095

कर्नाटक

- राज्य स्तरीय समिति के अलावा उडुपी, उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ में तीन डीएलसी हैं जिन्होंने 464 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 315 फार्मों के पंजीकरण का सहयोग किया है।
- हालांकि उडुपी में फार्मों की संख्या सबसे अधिक (51%) है, लेकिन कल्चर के तहत क्षेत्र उत्तर कन्नड़ (66%) में सबसे अधिक है।
- राज्य में अधिकांश (85%) फार्म 2 हेक्टेयर से कम के छोटे फार्म हैं। 2.1 से 5 हेक्टेयर आकार के फार्म कुल फार्मों का 13 प्रतिशत योगदान करते हैं और बाकी 5 हेक्टेयर से ऊपर हैं।
- झींगा का कुल उत्पादन 3,145 हेक्टेयर से 3,186 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया था, जो 1.01 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की उत्पादकता को दर्शाता है
- उत्तर कन्नड़ में एक सीएए पंजीकृत हैचरी है जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 60 मिलियन बीज है। कोई नौपली पालन हैचरियां नहीं हैं।त्मंतपदह भंजबीमतपमेण



चित्र 4 कर्नाटक राज्य के कुल कृषि क्षेत्र में विभिन्न जिलों के कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान

तालिका 5. कर्नाटक में सीएए में पंजीकृत जिला-वार फार्मों का विवरण

जिला–वार फार्म – कर्नाटक और राज्य के कुल में उनका योगदान											
जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %					
उडुप्पी	159	135.782	111.39	50	29	32					
उत्तर कन्नड़	128	305.62	222.76	41	66	63					
दक्षिण कन्नड़	28	22.61	18.61	9	5	5					
कुल	315	464.012	352.76								








तालिका ६. कर्नाटक में सीएए में पंजीकृत जिला–वार हैचरियों और एनआरएच का विवरण

राज्य	जिला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियनध्वार्षिक)	अनुमत ब्लडस्टॉक की संख्या (सं.)
कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	1	60	1600

केरल

नौ तटीय जिले एर्नाकुलम, त्रिशूर, अलप्पुझा, कन्नूर, कोल्लम, कोझिकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, कासरगोड हैं और प्रत्येक जिले में किसानों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए एक समिति है और एसएलसी भी है।

- सीएए में 2896 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 1432 फार्म पंजीकृत किए गए हैं। अधिकांश फार्म (80%) 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के हैं, जबकि 17% 2.01 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र श्रेणी के भीतर हैं और 2% से अधिक 5 हेक्टेयर क्षेत्र से ऊपर हैं।
- सबसे अधिक फार्म एर्नाकुलम (26.6 प्रतिशत) में हैं, इसके बाद त्रिशूर (24 प्रतिशत) और अलप्पुझा (20.6 प्रतिशत) हैं।
- 2,971 हेक्टेयर क्षेत्र से कुल झींगा उत्पादन 1,868 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है, जो 0.63 मीट्रिक टन / वर्ष की उत्पादकता को दर्शाता है। 2011-12 में 8138 टन के उच्चतम स्तर से, एक दशक में राज्य में कृषि झींगा उत्पादन घट रहा है।
- केरल में कोई सीएए पंजीकृत हैचरी नहीं है।



चित्र 5 जिले में सीएए पंजीकृत खेतों का कुल क्षेत्रफल (टीए) (हेक्टेयर) और राज्य के कुल में उनका प्रतिशत योगदान





तालिका 7. केरल में सीएए में पंजीकृत जिला-वार फार्मों का विवरण

जिले-वार फार्म - केरल और राज्य के कुल में उनका योगदान


जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %
एर्नाकुलम	381	850.38	630.2	26.6	29.4	31.6
त्रिशूर	344	704.91	555.78	24.0	24.3	27.9
अलपुझा	295	442.43	254.8	20.6	15.3	12.8
कन्नूर	213	633.61	384.9	14.9	21.9	19.3
कोल्लम	136	140.09	80.72	9.5	4.8	4.1
कोझीकोड	28	62.16	44.09	2.0	2.1	2.2
मलपुरम	16	19.1	13.51	1.1	0.7	0.7
तिरुवनंतपुरम	11	24.41	14.31	0.8	0.8	0.7
कासरगोड	8	19.35	13.46	0.6	0.7	0.7
कुल	1432	2896.4	1991.8			

महाराष्ट्र

- राज्य स्तरीय समिति और तटीय जिलों ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि और पालघर में पांच डीएलसी आवेदन पत्रों की जांच के लिए जिम्मेदार हैं। कुल 304 फार्मों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 2310 हेक्टेयर है।
- फार्मों की अधिकतम संख्या ठाणे जिले में 66.3% है, इसके बाद रायगढ़ (21%) है।
- अधिकांश फार्म (43%) 2.01 से 5.0 हैक्टेयर क्षेत्र श्रेणी
 में हैं, इसके बाद छोटे फार्म (2 हेक्टेयर क्षेत्र तक) हैं

- जो कुल का 40% हैं। 5.01 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच के फार्म कुल पंजीकृत फार्मों का 8% और शेष (7%) 10.1 से 40 हेक्टेयर के बीच हैं।
- पालन किए गए झींगा का कुल उत्पादन 1,183 हेक्टेयर क्षेत्र से 4,204 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया था, जो 3.55 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की उत्पादकता को दर्शाता है। सबसे अधिक उत्पादन 2016-17 में 6842 टन था लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई है।
- महाराष्ट्र में कोई सीएए पंजीकृत हैचरियां या नौपली पालन हैचरियां नहीं हैं।





चित्र 6 महाराष्ट्र में जिलेवार कुल कृषि क्षेत्र (टीए) और उनका योगदान तालिका 8. महाराष्ट्र में सीएए में पंजीकृत जिले-वार फार्मों का विवरण

महाराष्ट्र के तटीय जिले

	जिले–वार फार्म – महाराष्ट्र और राज्य के कुल में उनका योगदान											
क्र. सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मी का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %					
1	थाणे	117	1530.9	940.27	38.5	66.3	64.2					
2	रायगढ़	75	486.65	309.61	24.7	21.1	21.1					
3	सिन्धुदुर्ग	55	131.98	95.66	18.1	5.7	6.5					
4	रत्नागिरि	44	135.38	102.61	14.5	5.9	7.0					
5	पालघर	13	25.76	17.51	4.3	1.1	1.2					
	कुल	304	2310.67	1465.66								


ओडिशा

- राज्य समिति के अलावा बालासोर, भद्रक, पुरी, जगतिसंहपुर, केंद्रपाड़ा, गंजम और खोरधा में सात जिला स्तरीय समितियां हैं। ओडिशा में 10773 पंजीकृत फार्म हैं और ये सीएए (एपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा) में पंजीकृत कुल फार्मों में 26.9% योगदान देते हैं। कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए क्रमशः 13358 हेक्टेयर और 8221 हेक्टेयर है।
- बालासोर में सबसे अधिक खेत (31%) हैं, इसके बाद भद्रक में हैं। हालांकि, कल्चर के तहत क्षेत्र बालासोर (29%) की तुलना में भद्रक (34%) में अधिक है।
- ओडिशा के सभी जिलों में अधिकांश (94%) फार्म 2 हेक्टेयर से कम के छोटे फार्म हैं और लगभग 4%

- फार्म 2.01 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच हैं। बड़े फार्म 1% हैं।
- 11,200 हेक्टेयर क्षेत्र से पालन किए गए झींगा का कुल उत्पादन 44,555 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है जो 3.98 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की उत्पादकता को दर्शाता है। यह राज्य राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्थान पर है।
- राज्य में एल. वननामेई उत्पादन 2013–14 तक ही शुरू हुआ था। लेकिन 2020–21 में राज्य का उत्पादन 95% इस प्रजाति का था।
- राज्य में सीएए में पंजीकृत सात बीज उत्पादन इकाइयां हैंय 632 मिलियन बीज प्रति वर्ष की कुल उत्पादन क्षमता के साथ छह हैचरियां और एक एनआरएच गंजम (5 हैचरियां और एक एनआरएच) और पुरी (एक हैचरी) में स्थित है।







ओडिशा के तटीय जिले

चित्र ७ सीएए के साथ पंजीकृत खेतों का जिलेवार कुल क्षेत्रफल (टीए) (हेक्टेयर) और राज्य के कुल योगदान का प्रतिशत

तालिका ९. ओडिशा में सीएए में पंजीकृत जिले-वार फार्मों का विवरण

	जिले–वार खेत – ओडिशा और राज्य के कुल में उनका योगदान											
क्र. सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %					
1	बालासोर	3460	4079.95	2436.61	31	30	29					
2	भद्रक	3187	4817.19	2887.752	29	36	34					
3	पुरी	2120	2142.66	1372.01	19	16	16					
4	जगतसिंहपुर	944	1018.764	684.13	9	8	8					
5	केन्द्रपारा	788	926.24	701.8	7	7	8					
6	गंजम	574	494.77	339.49	5	4	4					
7	खोरधा	7	11.44	6.82	0	0	0					
	कुल	11080	13491.01	8428.612								

तालिका १०. ओडिशा में सीएए में पंजीकृत जिला-वार हैचरियों और एनआरएच का विवरण

क्र. सं.	राज्य ध् जिला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियनध् वार्षिक)	अनुमत ब्लडस्टॉक की संख्या (सं.)	अनुमत एनआरएच की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	एचएटी + एनआरएच संख्या	एचएटी + एनआरएच क्षमता
1	पुरी	1	90	2400	0	0	1	90
2	गंजम	5	492	12000	1	50	6	542
	कुल	6	582	14400	1	50	7	632








तमिलनाडु

- एसएलसी के अलावा चेंगलपट्ट, कुड्डालोर, कन्याकुमारी, मयिलाद्थ्रई, नागपट्टिनम, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम तंजावुर, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, थूथुकुडी, विल्लुपुरम, तिरुनेलवेली के तटीय जिलों में 13 डीएलसी हैं।
- राज्य में 1939 फार्म हैं और सबसे अधिक फार्म नागपट्टिनम जिले (45%) में हैं, इसके बाद तंजावुर (15%) में हैं। यही प्रभुत्व कुल क्षेत्रफल और जल प्रसार क्षेत्र में देखा गया था।
- 2 हेक्टेयर से कम के छोटे फार्मों ने 58% फार्मी का गठन किया, इसके बाद 2.01 से 5 हेक्टेयर (34%) के थोड़े बड़े फार्म थे। 5.01 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र वाले फार्मों में 7 प्रतिशत और 10.1 से 40 हेक्टेयर के बड़े फार्मों का गठन एक प्रतिशत था।
- 8,630 हेक्टेयर क्षेत्र से कुल उत्पादन 44,816 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया था, जो 5.19 मिलियन टन /हेक्टेयर/वर्ष की उत्पादकता को दर्शाता है। वननामेई

- खेती 2011–12 में शुरू हुई थी और अब 99.7% क्षेत्र का उपयोग एल. वननामेई खेती के लिए किया जाता है।
- 2015–16 में उत्पादन उच्चतम 49054 टन था (राष्ट्रीय कुल में 8.9% का योगदान दिया था।)
- राज्य में झींगा बीज उत्पादन के लिए दूसरी सबसे बड़ी सुविधा है, जिसमें 74 हैचरियों और 12 एनआरएच के साथ 86 इकाइयां हैं, जिनकी संयुक्त बीज उत्पादन क्षमता 17949 मिलियन प्रति वर्ष है। विल्लुपुरम में बीज उत्पादन क्षमता सबसे अधिक 14640 मिलियन प्रति वर्ष है (चेंगलपट्टू (13%) के बाद राज्यों के कुल का 83 प्रतिशत)
- हैचरियां छह जिलों में वितरित की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक विल्लुपुरम (39 सं.) में हैं, इसके बाद चेंगलपट्ट (२७ सं.), नागपट्टिनम (४ सं.), कुड्डालोर (1 सं.), रामनाथपुरम (1 सं.), चेंगलपट्टू (2 सं.) हैं। एनआरएच विल्लुपुरम (७ सं.), कांचीपुरम (४ सं.) और नागपट्टिनम (1 सं.) में वितरित किए गए हैं।



तमिलनाडु के तटीय जिले

चित्र ८ सीएए के साथ पंजीकृत खेतों के कुल क्षेत्र (टीए) (हेक्टेयर) का जिलेवार विवरण और राज्य क्ल में उनका प्रतिशत योगदान





तालिका ११. तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत जिले-वार फार्मों का विवरण

जिला-वार फार्म - तिमलनाडु और राज्य के कुल में उनका योगदान

क्र.सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %
1	नागपट्टिनम	876	2139.79	1614.72	45	39	42
2	तंजावुर	301	828.14	618.86	15	15	16
3	तिरुवरुर	154	527.08	394.45	8	10	10
4	कुड्डालोर	151	379.95	252.26	8	7	7
5	रामनाथपुरम	128	719.765	306.08	7	13	8
6	विल्लुपुरम	98	182.08	128.82	5	3	3
7	तिरुवल्लूर	97	292.82	217.96	5	5	6
8	चेंगलपट्टू	81	180.753	102.47	4	3	3
9	पुडुकोट्टई	57	161.63	121.15	3	3	3
10	तूतीकुडी	22	131.16	88.38	1	2	2
11	कन्याकुमारी	1	0.6	0.5	0	0	0
	कुल	1966	5543.7	3845.6			

तालिका 12. तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत जिला–वार हैचरियां और एनआरएच का विवरण

क्र.सं.	राज्यधीजला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियनध वार्षिक)	अनुमत एनआरएच की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	एचएटी + एनआरएच संख्या	एचएटी + एनआरएच क्षमता
1	विल्लुपुरम	39	12965	7	1675	46	14640
2	कांचीपुरम	27	2069	4	260	31	2329
3	नागपट्टिनम	4	550	1	60	5	610
4	कुड्डालोर	1	120	0	0	1	120
5	रामनाथपुराण	1	50	0	0	1	50
6	चेंगलपट्टू	2	200	0	0	2	200
	कुल	74	15954	12	1995	86	17949








पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी)

- कुल 3715 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 3908 फार्मों के साथ राज्य में देश के कुल सीएए पंजीकृत फार्मों का 9.76% है। क्षेत्र-वार, 95% फार्म 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे फार्म हैं और शेष 5 प्रतिशत 2.01 से 5 हेक्टेयर समूह के बीच हैं।
- 54582 टन के उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल 0.97 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/वर्ष की उत्पादकता के साथ कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 6.5% योगदान देने के साथ दूसरे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय झींगा उत्पादन में राज्य का प्रतिशत योगदान 2009-10 में 34.5% से घटकर 2020-21 में 6.5% हो गया है, हालांकि उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई थी।
- एसएलसी के अलावा तीन डीएलसी, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में हैं जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण में सहयोग करते
- सीएए पंजीकृत फार्मों में से अधिकांश (47 प्रतिशत) पूर्व मेदिनीपुर में हैं, इसके बाद दक्षिण 24 परगना (30 प्रतिशत) और उत्तर 24 परगना (23 प्रतिशत) हैं। एल

वननामेई की खेती 2013-14 में ही शुरू की गई थी।

राज्य में एक सीएए पंजीकृत हैचरी है जो प्रति वर्ष 250 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता के साथ पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है



चित्र 9 विभिन्न जिलों के क्ल कृषि क्षेत्र का राज्य के योग में योगदान का प्रतिशत

तालिका 13. पश्चिम बंगाल में सीएए में पंजीकृत जिला-वार फार्मों का विवरण

	जिले–वार फार्म दृ पश्चिम बंगाल और राज्य के कुल में उनका योगदान								
क्र. सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %		
1	पूर्वी मेदिनीपुर	1952	1368.082	1026.014	47	35	39		
2	दक्षिण 24 परगना	1254	1311.436	771.7932	30	34	29		
3	उत्तर 24 परगना	961	1230.764	850.735	23	31	32		
	कुल	4167	3910.282	2648.542					





तालिका 14. पश्चिम बंगाल में सीएए में पंजीकृत जिला-वार हैचरियों और एनआरएच का विवरण


क्र.सं.	राज्य/जिला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन६ वार्षिक)	अनुमत ब्लडस्टॉक की संख्या (सं.)
पश्चिम बंगाल	पूर्व मेदिनीपुर	1	250	6000

केंद्र शासित प्रदेशरू

पुडुच्चेरी, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार

- तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से, केवल पुडुच्चेरी में झींगा जलकृषि बड़े पैमाने पर प्रचलित है। यानम, कराईकल और पुडुच्चेरी जिलों में तीन डीएलसी हैं और केंद्र शासित प्रदेश में 74 फार्म हैं जो 120 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को कवर करते हैं। अधिकांश (40%) फार्म यानम जिले में हैं, इसके बाद कराईकल (39%) और पुडुचेरी (21%) में हैं। 93 प्रतिशत फार्म छोटे हैं, 2 हेक्टेयर से कमय 5 प्रतिशत 2.01 से 5 हेक्टेयर के बीच और शेष 5.01 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र समूह के बीच है।
- दमन और दीव में 2008-09 में सीएए में 12 फार्म पंजीकृत थे और 2011-2013 की अवधि के दौरान 4 फार्मों में पंजीकृत थे।
- किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई हैचरी नहीं है।

- ए एंड एन द्वीप समूह से पांच फार्म पंजीकृत किए गए थे।
- लक्षद्वीप में कोई सीएए पंजीकृत फार्म नहीं हैं।



चित्र 10. केंद्र शासित प्रदेशों के कुल कृषि क्षेत्र में सीएए पंजीकृत खेतों के कुल क्षेत्रफल टीए (हेक्टेयर) का जिलेवार प्रतिशत योगदान

तालिका 15. प्ड्चेरी में सीएए में पंजीकृत जिले-वार फार्मों का विवरण

	जिले–वार फार्म – पुडुचेरी और राज्य के कुल में उनका योगदान							
क्र. सं.	जिला का नाम	फार्मों की कुल सं.	कुल क्षेत्र	जल प्रसार क्षेत्र	राज्य के कुल फार्मों का %	राज्य के कुल दृ टीए का %	राज्य के कुल दृ डब्ल्यूएसए का %	
1	यानम	31	46.61	37	42	39	40	
2	कराईकल	25	49	35.88	34	41	39	
3	पुदुचेरी	18	25.04	18.81	24	21	21	
	कुल	74	120.65	91.69				









(i). वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन वित्तीय वर्ष 2020—21 से संबंधित लेखाओं का लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय), चेन्नई द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट अनुलग्नक में प्रस्तुत की गई है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार, सीएए द्वारा किए गए बजट अनुमान के आधार पर सहायता अनुदान, पशुपालन, डेयरी और

मुख्य शीर्ष 2405

मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के बजटीय प्रावधानों के तहत 2 (दो) किस्तों में प्रदान किया गया था। प्रशासनिक मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 450 लाख रुपये के जीआईए को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने 300 लाख रुपए के संशोधित अनुमानों को स्वीकार किया है और इस कार्यालय ने पूरी राशि का उपयोग किया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानध्संशोधित अनुमान और व्यय निम्नलिखित हैंरू

उप शीर्ष – 131731 सहायता अनुदान (सामान्य)

– 131736 सहायता अनुदान (वेतन)

(₹ लाखों में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट अनुमान	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित अनुमान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अव्यय शेष
450	300	300	300	0.00

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप–शीर्ष	बीई 2021-22
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	131731 सहायता अनुदान (सामान्य) 131736 सहायता अनुदान (वेतन)	400

(ii). वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखाओं का विवरण

वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखाओं का विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत किया गया है







प्राधिकरण के कर्मचारी और वर्तमान संगठनात्मक संरचना

वर्तमान में, सीएए को 21 पद स्वीकृतकिए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यरत कर्मचारी निम्नानुसार हैंक

क्र.सं.	समृह	पद	मंजूर पदों की सं.	प्रारंभ मं स्टाफ की संख्या	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित स्टाफ की सं.	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए स्टाफ की सं.	वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	1	0	0	1
		सहायक निदेशक	1	0	0	0	0
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधि ाकारी	1	0	0	1	1
2	ख	अधीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखाकार	1	0	0	0	0
		स्टैनो ग्रेड 'ग'	2	0	0	0	0
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	0	0	0	0
		स्टैनो ग्रेड 'घ'	1	1	0	0	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	0	0	1
		स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	0	1
		एमटीएस	4	4	0	0	4
		कुल	21	13	0	1	14









क्र. सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान छोड़कर गए की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान नए जोड़े गए	वित्तीय वर्ष के अंत में
1	परामर्शदाता	3	0	9	12
2.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	1	0	0	1

मैनपावर एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर

क्र. सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान छोड़कर गए की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान नए जोड़े गए	वित्तीय वर्ष के अंत में
1.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	0	0	1	1
2.	सहयोगी स्टाफ	1	0	0	1

भर्ती / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन / प्रतिनियुक्ति

- डॉ. वी. कृपा, प्रधान वैज्ञानिक, सीएमएफआरआई, कोच्चि ने 22.04.2020 से सीएए के सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
- श्री डी. कनकसबापति, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने 31 अगस्त, 2020 में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यग्रहण किया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2020–21 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अधीन कुल 14 (चौदह) आवेदन प्राप्त हुए थे। मांगी गई सूचना भेज दी गई थी।

अनुलग्नक

सीएए की वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष 2020 - 21 के लिए सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट









तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 तक तुलन पत्र

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पसध्पूंजी निधि एवं देयताएं			
कॉर्पसध्यूंजीगत निधि	1	(54,26,122)	59,71,178
भारत सरकार – अनुदान	1	-	1,44,00,280
निर्धारितध्संचयी निधियां	2	12,54,12,520	9,56,08,528
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	3,14,45,424	1,70,42,137
कुल		15,14,31,822	13,30,22,124
परिसंपत्तियां			
अचत परिसंपत्तिया	4	62,84,327	71,23,198
निवेश — निर्धारितध्संचयी निधियां	5	10,50,29,122	3,225,916
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	6	4,01,18,374	12,26,73,010
कुल		15,14,31,823	13,30,22,124
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	15		





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा


	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
अनुदानध्सब्सिडियां	7	2,98,05,684	3,09,78,615
शुल्कध्अंशदान	8	170	860
निवेशों से आय (निर्धारितध्संचयी से निवेश पर आय। निधियों में अंतरण की गई निधियां)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	7,33,555	6,09,716
अन्य आय	11	-	17,475
कुल (क)		3,05,39,409	3,16,06,666
व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,62,75,760	1,34,15,055
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	1,63,46,187	1,75,63,560
अनुदानों पर व्यय, सब्सिडियां आदि		-	-
कुल (ख)		32,621,947	3,09,78,615
व्यय पर आय की अधिकताध्कमी) होते हुए शेष (क-ख)		(20,82,538)	6,28,051
मूल्यहास	4	10,33,187	11,96,022
पूर्व अवधि मदें			
– टेलीफोन		2,42,589	-
– डाक और टेलीग्राम		76,28,016	-
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक विनिर्दिष्ट)			
सामान्य आरक्षित कोध्से अंतरण			
कॉर्पसध्पूंजी निधि को अधिशेष/(घाटा) होते हुए शेष ले जाया गया शेष		(1,09,86,330)	(5,67,971)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	15		











मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 को समाप्त अवधिध्वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

	(राष्ट्रि	(राशि–रू.)		
प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		
l) प्रारंभिक शेष				
क) हाथ में रोकड़	-	-		
ख) बैंक शेष				
i) चालू खातों में	-	-		
ii) जमाराशि खातों में	-	-		
iii) बचत खाते	9,77,91,945	8,53,77,602		
अंतरण में निधियां	2,26,00,000	-		
iv) आईओबी — ₹10000	-	-		
प्रारंभिक शेष – समायोजन	-	(172)		
II) प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार से –				
पूंजीगत प्राप्तियां	1,94,316	1,03,250		
राजस्व प्राप्तियां				
जीआईए वेतन	1,50,00,000	2,15,00,000		
जीआईए सामान्य	1,48,05,684	2,33,96,750		
ख) राज्य सरकार से	-	-		
ग) अन्य स्रोत से	-	-		
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग—से दर्शाये जाएंगे)				
III) निम्न से निवेश पर आय				
क) निर्धारितध्संचयी निधियां (एफडीआर ब्याज)	-	-		
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)	-	-		
IV) प्राप्त ब्याज				
क) बैंक जमाराशियों पर	7,33,555	6,09,716		
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-		
ग) निर्धारित निधि पर	23,63,778	47,57,317		





	(राष्ट्रि	ਾ–ਲ.)
प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
पीओ से रियायत	-	-
विविध आय	-	-
त्योहार अग्रिम	-	-
आरटीआई शुल्क	170	860
एमटीएस आवेदन शुल्क	-	-
जमाराशि की वापिसी – सीपीडब्ल्यूडी सीसीडी	-	-
कबाड़ की बिक्री		28,599
संसद व्यय की हिस्सेदारी – ईपीएफओ	-	-
VI) उधार ली गई राशि		
बी.डी.ओ.	-	-
VII) कोई अन्य प्राप्तियां (ब्योरे दें)		
जमानत धनराशि जमा		10,000
त्योहार अग्रिम वसूली	8,840	-
हाथ में स्टांप	-	-
साख पत्र	-	-
संचयी निधि (प्रक्रिया शुल्क)	1,28,86,490	27,84,100
आवेदन शुल्क — 30%	34,270	3,16,540
राज्य फिशरीज – आंध्र प्रदेश	-	-
प्रतिभूति जमा	-	20,800
फीड उत्पाद	53,90,000	72,82,750
एनपीएस – श्रीनिवासन बाबू	-	-
प्रोफेशनल टैक्स	-	-
टीडीएस	45,040	-
स्टाफ कटौती एवं परेषण	2,48,397	60,442
मुथु सॉफ्ट लैब्स		
सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन लेखा से निधि अंतरण		
अग्रिम वापिसी		
क) बैटक के लिए अग्रिम	50,618	1,052
ख) कम्पेन सप्ताह के लिए अग्रिम	-	-









	(राष्ट्रि	ī– ফ .)
प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ग) क्राकरियों के लिए अग्रिम	-	-
घ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	-
ड.) स्वतंत्रताध्गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	-	-
च) हिंदी सम्मेलन के लिए अग्रिम	-	-
छ) स्टांपों के लिए अग्रिम	-	-
ज) यात्रा/दौरा व्ययों के लिए अग्रिम	-	-
झ) पूजा व्ययों के लिए अग्रिम	-	-
ञ) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	-
ट) परामर्शदाता और प्रोग्रामर जमा के लिए अग्रिम	-	-
ठ) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	
ड) स्टाफ कल्याण के लिए अग्रिम	-	225
ढ) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	-
ण) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	-
प्रत्यक्ष व्यय वापिसी		
क) स्थापना व्यय	-	1,41,779
ख) प्रशासनिक व्यय	67,172	-
कुल	17,22,20,275	14,63,91,611





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 को समाप्त अवधिध्वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

	(राशि	–ক.)
भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
l) व्यय		
क) स्थापना व्यय	1,39,74,661	1,17,20,831
ख) प्रशासनिक व्यय	68,93,618	1,20,61,468
II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान (निधि अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के विवरण के साथ दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
III) किए गए निवेश और जमाराशियांक) निर्धारितध्संचयी निधियों में सेख) स्वयं की निधियों में से	9,95,00,000	-
IV) अचल परिसंपत्तियों और प्रगतिधीन पूंजी पर व्यय क) अचल परिसंपत्तियों पर खरीद ख) प्रगतिधीन पूंजी पर व्यय	1,94,316	1,03,250 -
V) अधिशेष धनराशिष्ऋणों की वापिसी		
क) भारत सरकार को	-	-
ख) राज्य सरकार को	-	-
VI) वित्त प्रभार (ब्याज)		
क) पीएओ, एग्री को ब्याज वापिसी	-	2,79,782
VII) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) देय किराया	-	2,17,888
ख) प्रदर्शन सुरक्षा जमाराशि वापिसी	-	-
ग) बैंक प्रभार (निर्धारित निधि)	-	15
घ) पूर्वभुगतान व्यय	-	2 20 000
ड.) निर्धारित निधि में से व्यय	-	3,20,000
च) चिकित्सा अग्रिम	-	-
छ) एलएसपीसीध्सीपीसी बकाया ज) पोस्ट मास्टर, सेंट थॉमस माउंट		_
ज) पास्ट मास्टर, सट थामस माउट झ) हाथ में स्टांप	_	
ञ) देय बोनस	-	_
ट) निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय		-
ह) त्योहार अग्रिम	2,00,000	-
ड) टीडीएस	10,48,502	9,07,083
ढ) एनपीएस – के श्रीनिवासन बाबू	67,510	-
ण) प्रोफेशनल टैक्स	-	-
त) जीपीएफ आईडीबीआई	4,35,316	-









	(राशि-	-रू.)
भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
थ) ईएमडी	10,000	-
द) टीएनपीडब्ल्यूडी	41,70,000	-
ध) प्रक्रिया शुल्क	1,30,000	-
VIII)ऋण और अग्रिम	-	81,349
क) बैठक के लिए अग्रिम	1,07,000	-
ख) क्रॉकरियों के लिए अग्रिम	-	-
ग) स्थानांतरण अग्रिम	-	75,000
घ) हिंदी सप्ताह के लिए अग्रिम	-	-
ड.) गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	-	-
च) कैम्पेन सप्ताह के लिए अग्रिम	-	-
छ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	-
ज) स्टांपों के लिए अग्रिम	-	-
झ) हिंदी सम्मेलन के लिए अग्रिम	-	-
ञ) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	-
ट) पूजा व्ययों के लिए अग्रिम	-	-
ठ) स्टाफ कल्याण के लिए अग्रिम	-	33,000
ड) यात्राध्दौरा व्ययों के लिए अग्रिम	-	1,00,000
ढ) एलटीसी अग्रिम	-	1,00,000
ण) परामर्शदाता और प्रोग्रामर साक्षात्कार के लिए अग्रिम	-	-
त) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	-
थ) आकरिमक व्यय के लिए अग्रिम	-	-
द) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	-
भारत सरकार को निधि वापिसी	1,50,05,567	
IX) अंत जमाशेष		
क) हाथ में रोकड़	-	-
ख) बैंक जमाशेष		
i) चालू खातों में	-	-
ii) जमाराशि खातों में	-	-
iii) बचत खाते	3,04,83,785	9,77,91,945
iv) अंतरण में निधियां	-	2,26,00,000
कुल	17,22,20,275	14,63,91,611





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 तक तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1 – कॉर्पसध्यूंजी निधिरू

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्ष के प्रारंभ में जमाशेष	59,71,178	1,28,75,112
प्रारंभिक जमाशेष — समायोजन		
घटायें: बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियां		17,52,847
घटायें: ईएमएफ अनुसूची में गलती से बुक किया गया अनुदान व्यय		20,80,346
घटायें: बैंक प्रभार		172
घटायें: सीएटी वेतन		8,62,835
घटायें: वेतन तथा भत्ता — मार्च २०१९ प्रावधान		9,81,086
घटायें: अव्ययित जमाशेष (अलग से प्रकट)		4,82,145
जोड़ेंरू कॉर्पस/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अनुदान	1,94,316	1,03,250
जोड़ेंक्त आईओबी — खाता 209501000010000	-	-
घटायेंरू पीएओ, एग्री को वापिस किया गया ब्याज	6,05,287	2,79,782
घटायेंरू आय एवं व्यय खाते से अंतरण की गई आय पर व्यय	55,60,207	65,39,150
जोड़ेंरू आय एवं व्यय लेखा से अंतरण किए गए व्यय पर आय की अधिकता	(1,09,86,330)	(5,67,971)
वर्ष के अंत में जमाशेष	(54,26,122)	59,71,178
	Current Year	Previous Year
ख – भारत सरकार – अनुदान के ब्योरे		
प्रारंभिक जमाशेष	1,44,00,280	4,82,145
जोड़ेरू वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	3,00,00,000	4,50,00,000
घटायेंरू व्यय	3,00,00,000	3,10,81,865
घटायेंरू वापिस की गई निधि	1,44,00,280	-
31.03.2021 तक अव्ययित जमाशेष	-	1,44,00,280







21_02_2021 वक्ट वल्बन पत्र की शवस्त्रियाँ

मक्स्यपालन विभाग, मक्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई—600035

तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

31-03-2021 तक तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 2 – निर्धारितध्संचयी निधियांरू

				 테닌	निधि–वार ब्रेकअप				₩	कुल
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रक्रिया शुल्क (एल.वी फार्मस)	प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. हैचरी)	<u>5</u>	फीड उत्पाद	अन्य प्राप्तियां	पंजीकरण शुल्क – डीएलसी/ एसएलसी	लेखा अंतर–अंतरण (देय/प्राप्तियोग्य)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक जमा शेष	44,09,921	90,92,343	3,26,31,791	64,32,454	4,12,88,832	77,710		16,75,478	9,56,08,528	7,51,22,432
प्रारंभिक जमाशेष – समायोजन									1	1
बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियां									1	17,52,847
ईएमएफ अनुसूची में गलती से बुक किया गया अनुदान व्यय									,	20,80,346
मुख्य खाते में देय										17,16,928
ख) निधियों में परिवर्धनरू									•	•
і) दानध्अनुदान	T								•	T
ii) निर्धारित निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	•	•	•	23,63,778					23,63,778	•
ііі) शुल्क	34,270	84,490	1,26,72,000		53,90,000		69,56,249		2,51,37,009	1,51,40,707
іу) अंशदान									•	,
पंचयी निधियों में अंतरण की गई ब्याज प्राप्तियां				•					•	T
vi) व्याज निधि से अंतरण की गई व्याज प्राप्तियां	95,414	1,97,020	9,72,640		10,38,132				2,303,206	1,56,733
vii) वर्ष के दौरान प्राप्त									٠	50,50,000
कुल (क्ख)	45,39,605	93,73,853	4,62,76,431	87,96,232	4,77,16,964	77,710	69,56,249	16,75,478	16,75,478 12,54,12,520	10,10,19,993





				निधि−व	निधि-वार ब्रेकअप				क्रिल	ন
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रक्रिया शुल्क (एल.वी फार्मस)	प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. हैचरी)	<u>ल</u> स्र	फीड उत्पाद	अन्य प्राप्तियां	पंजीकरण शुल्क – डीएलसी/ एसएलसी	लेखा अंतर-अंतरण (देय/प्राप्तियोग्य)	वर्तमान वर्ष	पिछ्ला वर्ष
ग) उपयोगिताध्यय के प्रति धन के उद्देश्य										
i) पूंजीगत व्यय										
– अचल परिसंपत्तियां	1	ı	,	ı	1			1	1	1
– अन्य – निपटान	•	1			1			1	1	1
कुल	I	1	ı	,	1			•	1	1
ii) राजस्व व्यय									•	•
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	•	•	ı	•	•			•	•	٠
– फार्मों के निरीक्षण आदि पर यात्रा व्यय	•	•	٠	•	•			•	٠	•
 जेआईएफएसएएन प्रशिक्षण व्यय 	1	•	ī	r	•			•	•	•
– सेमिनाएध्सम्मेलन आदि व्यय	•	•	ı	•					•	3,20,000
– वर्ष के दौरान समायोजित निर्धारित निष्धि में से व्यय								,	ı	15
कुल	•	•	1	•	•			•	•	٠
घ) वर्ष के दौरान भुगतान									•	5,091,450
कुल (ग)	•	•	,	•	٠			•	٠	54,11,465
वर्ष के अंत तक निवल जमाशेष (कृख–ग)	45,39,605	93,73,853	4,62,76,431	87,96,232	87,96,232 4,77,16,964	77,710	69,56,249	16,75,478	16,75,478 12,54,12,520	9,56,08,528
टिप्पणियां										

- **प्रमाणचा** 1) अनुदानों के साथ संतग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीपों के अधीन प्रकटन किए जाएंगे 2) केंद्रीयख्लज्य सरकारों से प्राप्त योजना निवियों एथक निवियों के रूप में दशीये जाते हैं और किन्हीं अन्य निवियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।









तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 तक तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 3 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान

	वर्तम	ान वर्ष	पिछल	ना वर्ष
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदातारू				
प) सामानों के लिए	-	-	-	-
पप) अन्य		31,194		31,194
क. मुथ्यु सॉफ्ट प्रयोगशालाएं	31,194		31,194	
3. प्रदर्शन प्रतिभूति जमा		24,462		24,462
क) ऐश्वर्या कंस्ट्रक्शन	3,662		3,662	
ख) स्टडी टैक्नॉलजी	20,800		20,800	
4. जमानत धनराशि जमा		50,000		60,000
क) मेरिट एन्टरप्राइजिज	-		-	
ख) ऑर्बिट टेक्नॉलिजज	-		-	
ग) डे एन डे सर्विसस (प्रा.) लि.	30,000		30,000	
घ) बॉयो–इनकॉर्पध्एलिगेन्ट टैक्नॉलिजज	-		-	
ड.) सिवा कैब्स	-		-	
च) ब्रॉडलाइन	5,000		5,000	
छ) मुथ्थु सॉफ्ट लैब्स	5,000		5,000	
ज) नुकुम टैक्नॉलजी	5,000		5,000	
झ) श्री विग्नेश कैब्स	5,000		5,000	
जे) देनाब – देना	-		10,000	





	वर्तम	गन वर्ष	पिछल	ग वर्ष
 निम्नलिखित पर प्रोद्भृत लेकिन देय नहीं ब्याजरु 				
क) सुरक्षित ऋणध्उधारियां				
ख) असुरक्षित ऋणध्उधारियां				
6. सांविधिक देयताएंरू				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)	41,021	41,021	93,990	93,990
7. प्रतिभूति जमा				
क) हिताची सिस्टम माइक्रो क्लिनिक प्रा. लि.	7,293	7,293	7,293	7,293
8. राज्य मत्स्यपालन – आंध्र प्रदेश	50,700	50,700	50,700	50,700
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. कैट – देय वेतन	57,92,287	57,92,287	53,20,558	53,20,558
11. टीएनपीडब्ल्यूडी के लिए इंटीरियर कार्य		-	41,70,000	41,70,000
12. एनपीएस कटौती – श्री के श्रीनिवासन बाबू		-	1,09,737	1,09,737
13. सीपीसीध्लएसपीसी बकाया राशियां	14,45,845	14,45,845	14,45,845	14,45,845
14. टीएनपीडब्ल्यूडी को देय अनुरक्षण	45,31,028	45,31,028	15,31,028	15,31,028
16. देय किराया एफवाई 2019–2020 (टीएनपीडब्ल्यूडी)	66,13,320	66,13,320	24,13,320	24,13,320
17. स्टाफ कटौती और परेषण	2,29,112	2,29,112	1,87,725	1,87,725
18. देय वेतन और भत्ता	8,49,649	8,49,649	7,15,995	7,15,995
19. शुल्क और कर	60,320	60,320		-
20. देय परामर्शदाता शुल्क	3,86,419	3,86,419	-	-
21. जयरमन एलएसपीसीध्जीपीएफ	3,80,290	3,80,290	3,80,290	3,80,290
22. देय छुट्टी लाभ – प्रावधान	51,27,808	51,27,808		
23. देय ग्रेच्युटी लाभ – प्रावधान	34,70,376	34,70,376		
24. बकाया आयकर	18,54,300	18,54,300		
कुल		3,14,45,424		1,70,42,137







(टाशि - ₹)

31-03-2021 तक तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 4

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिङ ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई—600035

तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

			सक	सकल प्रखंड									
			वर्ष वे अतिरिक्त	वर्ष के दौरान ारिक्त					मूल्यहास			निवल प्रस्वंड	प्रत्यंड
描	मृत्यहास की दर	वष का शुरूआत में लागतः मूल्यांकन	सितंबर तक	सितंबर के बाद	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मृत्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पर	रु. 5,000 के कम की परिसंपतियों की खरीद पर 100:	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
संयंत्र और मशीनरी	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	83,66,999	3,66,087	•		82,33,086	20,74,495	24,40,582
संयंत्र और मशीनरी – प्रयोगशाला उपकरण	15%	52,54,588		1,18,000		53,72,588	35,49,168	2,64,663			38,13,831	15,58,757	17,05,420
कार्यालय उपकरण	15%	46,18,029				46,18,029	33,88,189	1,84,476			35,72,665	10,45,364	12,29,840
মঞ	15%	3,19,736				3,19,736	3,19,736	,			3,19,736	1	1
फर्नींचर और जुड़नार	10%	46,29,523				46,29,523	29,75,373	1,65,415			31,40,788	14,88,735	16,54,150
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	40%	34,80,300		76,316		35,56,616	33,95,873	49,034			34,44,907	1,11,709	84,427
पुस्तकालय पुस्तकें और तकनीकी पुस्तकें	40%	23,58,882				23,58,882	23,50,103	3,512	1		23,53,615	5,267	8,779
चाल् वर्ष का जोड़		3,14,68,639	1	1,94,316	•	3,16,62,955	2,43,45,441	10,33,187	•	•	2,53,78,628	62,84,327	71,23,198
पिछला वर्ष													
ख. पूंजीगत प्रगतिर निन													
कुल												62,84,327	71,23,198





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 तक तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 5 – निर्घारितध्संचयी निधियों से निवेश

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अचल जमाराशियां प्राप्तियां	10,50,29,122	32,25,916
कुल	10,50,29,122	32,25,916

अनुसूची 6 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि


	Current Year	Previous Year
क. वर्तमान परिसंपत्तियारू		
1. बैंक जमाशेषरू		
क) अनुसूचित बैंकों मेंरू		
– बचत खातों पर	3,04,83,785	9,77,91,945
– अंतरण में निधियां		2,26,00,000
2. हाथ में स्टांप		
क) स्टांप (फ्रौंकिंग मशीन)	1,31,710	4,09,757
ख) स्टांप (डाक)	17,350	17,558
ग) पोस्ट मास्टर	-	-
कुल (क)	3,06,32,845	12,08,19,260
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
निम्न के लिए नकदी अथवा वस्तु में वसूली योग्य		
अग्रिम और प्राप्त होने वाली अन्य राशियांरू	-	-
क) पूर्वभुगतान (अनुबंध—1)	1,28,300	1,28,300
ख) एलटीसी अग्रिम	-	-
ग) बैठक के लिए अग्रिम	28,530	10,000
घ) यात्रा के लिए अग्रिम (अनुबंध — 1)	190	190
घ) वसूलीयोग्य वेतन	39,782	39,782
च) टेलीफोन जमाराशियां	16,75,478	16,75,478
छ) ईएमएफ खाते से वसूलीयोग्य	6,57,000	
ज) पीडब्ल्यूडी को अग्रिम	69,56,249	
झ) पंजीकरण शुल्क — प्राप्तियोग्य डीएलसीध्एसएलसी	94,85,529	18,53,750
कुल (ख)	4,01,18,374	12,26,73,010
कुल (क. ख)		











मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 को समाप्त अवधिध्वर्ष के लिए आय एवं व्यय अनुसूचियां

अनूसूची 7 – अनुदानध्सिब्सिडियां (अवसूलीयोग्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडियां)

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) केंद्रीय सरकार	2,98,05,684	3,09,78,615
कुल	2,98,05,684	3,09,78,615

अनुसूची ८ – शुल्कध्अंशदान

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) निविदा शुल्क	-	-
2) आरटीआई शुल्क	170	860
3) एमटीएस आवेदन शुल्क	-	-
कुल	170	860
टिप्पणी – प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियां प्रकट नहीं की जाती हैं		

अनुसूची ९ – निवेशों से आय

(निधियों में अंतरण की गई निर्धारितध्संचयी निधियों से निवेश पर आय)

	निर्धारित निधि से निवेश	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
इंडियन बैंक में सावधि जमाराशि पर ब्याज	-	-
कुल	-	-
निर्धारितध्संचयी निधियों में अंतरण	-	-

अनुसूची 10 - अर्जित ब्याज

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमाराशियों पररू		
क) अनुसूचित बैंकों में		
2) बचत खातों पररू		
क) अनुसूचित बैंकों में	7,33,555	6,09,716
कुल	7,33,555	6,09,716





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 को समाप्त अवधिध्वर्ष के लिए आय एवं व्यय की अनुसूचियां

अनुसूची 11 – अन्य आय

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विविध आय	-	-
अन्य आय – कार की बिक्री पर लाभ	-	17,475
कुल		17,475


अनुसूचियां 12 – स्थापना व्ययम

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,45,16,589	1,17,34,888
ख) बोनस	69,080	82,896
ग) एलटीसी सुविधा	3,38,813	-
घ) पीएफ अंशदान	67,618	1,70,668
ड.) टयूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	-	-
च) चिकित्सा व्यय	46,492	62,135
छ) स्टाफ कल्याण	-	1,32,735
ज) छुट्टी नकदीकरण	-	240
झ) जीएसएलआई	-	10,06,718
र) पेंशन अंशदान	-	-
ट) बाल शिक्षा भत्ता	-	1,89,000
ठ) मानदेय	2,16,000	-
s) छु <u>ट्</u> टी লা भ	51,000	-
ढ) ग्रेच्युटी लाभ	4,83,450	-
एम) लाभ छोड़ें	4,86,718	-
एन) ग्रेच्युटी लाभ	-	-
कुल	1,62,75,760	1,34,15,055









मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

31-03-2021 को समाप्त अवधिध्वर्ष के लिए आय एवं व्यय अनुसूची

अनुसूची 13 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	92,982	1,61,749
2. घरेलू यात्रा व्यय	4,38,298	9,77,558
3. अन्य व्यय		
मरम्मतें और अनुरक्षण	30,40,698	73,27,628
बिजली और पावर		3,24,782
ईंधन प्रभार		3,000
किराया, दरें और टैक्स	42,00,000	38,24,860
जल प्रभार	12,890	4,460
डाकव्यय, टेलीग्राम	2,78,255	1,58,882
मुद्रण, स्टेशनरी और उपभोज्य	4,77,547	3,47,754
कंप्यूटर अनुरक्षण	12,744	2,42,590
टेलीफोन व्यय	1,41,264	2,06,332
प्रोफेशनल प्रभार	24,800	10,81,718
विदेशी यात्रा व्यय	1,78,324	1,00,000
वाहन किराया प्रभार	7,06,504	5,09,309
बैठक व्यय	66,902	3,10,083
विविध व्यय	65,763	-
सम्मेलनध्कार्यशालाएंध्रशिक्षण व्यय	1,93,950	1,72,337
अन्य सांविदिक सेवा	2,64,195	-
स्थानांतरण व्यय		2,95,336
प्रयोगशाला रसायन	24,522	1,82,664
एएमसी व्यय (ए.सी., कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण आदि)		79,674
वाहन		-
परामर्शदाता शुल्क	39,67,552	8,65,170
समाचारपत्र और पत्रिका	23,800	5,904
सॉफ्टवेयर विकास	1,75,518	3,23,240
प्रयोगशाला उपकरण		35,482
हिंदी सप्ताह समारोहध्प्रतियोगिता	21,180	-
स्वतंत्रताध्गणतंत्र दिवस समारोह		-
बैंक प्रभार	(86)	982
लेखापरीक्षा व्यय		22,066
स्टाफ कल्याण	59,645	35,775
परिवहन प्रभार	24,640	-
आयकर प्रावधान	18,54,300	
कुल	1,63,46,187	1,75,63,560

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

अनुबंध-1

स्टाफ त्योहार अग्रिम

क्र.सं.	नाम	31.03.2021	31.03.2020
1	श्रीमती जी. प्रिया, एसटीए	-	-
2	श्री रमेश कुमार, एसटीए	-	-
3	कुमारी एस. प्रिया, स्टैनो ग्रेड डी	-	-
4	श्री वी. सेल्वम, स्टाफ कार ड्राईवर	-	-
5	श्री इलावरसन, एमटीएस	-	-
6	श्री पी. राजेश, एमटीएस	-	-
7	श्री वी. प्रसाद, एमटीएस	-	-
8	श्रीमती जयंती, कनिष्ठ लिपिक	-	-
	कुल	-	-

क्र.सं.	अन्य अग्रिम		
1	पूर्व भुगतान व्यय	-	-
2	बैठक के लिए अग्रिम	-	-
3	एलटीसी अग्रिम	-	-
4	यात्रा के लिए अग्रिम – श्री जयरमन	28,530	10,000
	कुल	28,530	10,000









भारत सरकार मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

अनुसूची – 14

लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत सामान्यतरू स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (जीएएपी), आईसीएआई द्व ारा जारी लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों (एएस) और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीजीए द्वारा यथा निर्धारित संगत प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय की सभी मदों के संबंध में लेखाकरण की उपार्जन विधि का अनुसरण करता है, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया है।

2. अचल परिसंपत्तियां

- क) अचल परिसंपत्तियों का विधिवत निरीक्षण किए जाने के बाद इनका हिसाब रखा जाता है।
- ख) अचल संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यझस लागत पर कहा जाता है जिसमें खरीद मूल्य, आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा इसके इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को उसकी कामकाजी परिस्थितियों में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है। अर्हक अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहणधनिर्माण से संबंधित वित्तपोषण लागत को भी उस सीमा तक शामिल किया जाता है जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।
- ग) पूर्ववर्ती जलकृषि प्राधिकरण की अचल संपत्तियों को भी ज्ञात परिसंपत्तियों के मूल्य के लिए सीएए द्वारा अधिग्रहण की तारीख से खरीदने की तारीख तक की अविध के लिए लागत कम मूल्यझस पर ध्यान में रखा गया था। परिसंपत्तियों के अज्ञात मूल्य के मामले में, सीएए के बही—खातों में पूंजी डालने के लिए 1/— रुपये के कल्पित मूल्य पर विचार किया गया है।
- घ) गैर—मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को पूंजीगत निधि के अनूरूप क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। निरूशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को रु.1/— के नाममात्र मूल्य पर ध्यान में रखा गया है।
- ड.) विशिष्ट सहायता अनुदान पर अर्जित अचल परिसंपत्तियां प्राधिकरण के खाते में अचल संपत्ति के रूप में शामिल हैं। सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों की लागत पूंजी निधि में जमा की जाती है। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यझस भी आयकर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दरों पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है और आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त है।

3. मूल्यहास

- क) मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धनध्कटौतियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अर्जित परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिदष्ट दरों पर पूर्ण मूल्यहास लगाया जाता है तथा वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में अर्जित परिसंपत्तियों पर 50% मूल्यहास लगाया जाता है।
- ग) 5000/— रुपये और उससे कम की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों की प्रत्येक मद का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण रूप से अवमूल्यन किया जाता है।
- घ) वित्त अधिनियम २०१७ में नवीनतम संशोधन के अनुसार पुस्तकों और कंप्यूटरों के संबंध में मूल्यह्रास की दर 31.03.2021 तक ब्लॉक के डब्ल्यूडीवी के 40% तक सीमित थी।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





4. पट्टा / किराया

पट्टेधिकराया किराये का हिसाब पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में रखा जाता है।

5. परिसंपत्तियों की हानि

एक परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि का शुल्क उस वर्ष के लिए आय तथा व्यय विवरण से लिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों की पहचान बिगड़ा हुआ है। क्षति हानि को पहचाना या पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि माना गया है।

सरकारी अनुदान/सडियां

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यहासीय परिसंपत्तियों की लागत को 'पूंजी निधि' खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से होने वाले राजस्व व्यय को "आय और व्यय खाते" में डेबिट किया जाएगा। व्यय की तुलना में अनुदान की अधिकता वर्ष के अंत में पूंजी निधि खाते में अंतरण कर दी जाती है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

- क) नई पेंशन योजना के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किए गएध्देय प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त है।
- ख) सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन के संबंध में देयताओं का निर्धारण डीओपीटीएम सं. 7/5/2012—पी एंड पीडब्ल्यू (एफ)ध्बी दिनांक 26.08.2016, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972, केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमों और प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार प्रतिवर्ष किया जाता है।
- ग) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयता का प्रावधान प्रत्येक वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाएगा और आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त होगी।

८. कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी या किसी अन्य कर के संबंध में संघ ध्राज्य को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, वर्तमान और स्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री से जुड़े प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बिहर्वाह होगा। आकिस्मक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकिस्मक परिसंपत्तियां न तो मान्यता प्राप्त है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई है।

10. आय और व्यय

इस अनुच्छेद में बाद में निर्दिष्ट आय को छोड़कर वर्ष की सभी आय और व्यय, खातों के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत उपार्जन आधार पर हिसाब किया जाता है:

- क) पिछले वर्ष की आय या व्यय, जो एक या अधिक पूर्व अविधयों में प्रावधान करने / देयता बनाने में चूक की त्रुटियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, को ष्पूर्व अविध समायोजनर खाते के तहत रखा जाता है।
- ख) यदि वास्तविक व्यय या आय व्यय के आधार पर सृजित देयताधिकए गए प्रावधान से अधिक है, तो इसका हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।
- ग) वार्षिक खातों और असाधारण मदों को अंतिम रूप देने की तारीख के बाद लिए गए निर्णय के कारण प्राधिकरण को प्राप्त होने वाला व्ययध्आय। यदि कोई पूर्वव्यापी प्रभाव है, तो उसका नकद आधार पर हिसाब रखा जाता है।







घ) तुलन पत्र औरध्या आय तथा व्यय खाते में किसी मद के प्रकटीकरण के लेखाकरण उपचार और तरीके का निर्धारण करते समय, भौतिकता की अवधारणा पर उचित विचार किया जाता है और इसलिए प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये तक की पूर्व—भुगतानध्पूर्व अविध मदों का नकद आधार पर खाता के प्राकृतिक शीर्षों में लेखाबद्ध किया जाता है।

11. राजस्व मान्यता

- क) प्राधिकरण डीएलसीध्एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में एकत्र किया गया शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण लिटोपेनेयस वैननामेई फार्म्स और हैचरी और फीड उत्पादों के लिए प्रक्रिया शुल्क वसूल कर रहा है। प्राधिकरण की बाहर निकलने की नीति के अनुसारय शुल्क को प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारितध्बंदोबस्ती निधि के रूप में रखा जाता है और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाता है।
- ख) ब्याज आय को नकद आधार पर बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

12. पृथक प्रकटन

आय और व्यय खाते में निम्नलिखित के संबंध में पृथक प्रकटन किए जाते हैंरू

- क) "पूर्व अविध" मदें जिनमें आय या व्यय की भौतिक मदें शामिल होती हैं जो वर्तमान अविध में त्रुटियों या व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं जो वर्तमान अविध में उत्पन्न होती हैं या एक या अधिक पूर्व अविधयों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में चूक की त्रुटियां होती हैं।
- ख) "असाधारण" मदें, जो आय या व्यय की भौतिक वस्तुएं हैं जो घटना या लेनदेन से उत्पन्न होती हैं जो इकाई की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग हैं। इसलिए, बार—बार या नियमित रूप से पुनरावृत्ति की उम्मीद नहीं है।
- ग) "विविध आय" शीर्ष के तहत कोई भी वस्तु जो 50,000/— रुपये से अधिक है, आय और व्यय खाते में एक उपयुक्त खाता शीर्ष के सामने दिखाया गया है।
- घ) "विविध व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो 50,000/— रुपये से अधिक है, उसे आय और व्यय खाते में उपयुक्त खाता मद के सामने दर्शाया जाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई—600035

अनुसूची - 15

आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2021 तक आकस्मिक देयता का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है।

अचल परिसंपत्तियां

पूर्व जलकृषि प्राधिकरण की अचल संपत्तियों को भी ज्ञात परिसंपत्तियों के मूल्य के लिए सीएए द्वारा अधिग्रहण की तारीख से खरीदने की तारीख तक की अविध के लिए लागत घटाव मूल्यहास पर ध्यान में रखा गया था। अज्ञात परिसंपित्तयों के मूल्य के मामले में, सीएए के बही—खातों में पूंजीकरण के लिए 1/— रुपये के किल्पत मूल्य पर विचार किया गया है। आयकर नियमों में निर्धारित दर पर सभी परिसंपित्तयों पर मूल्यहास की गणना की गई है और वित्त वर्ष 2020—21 के लिए आय और व्यय खाते में शूल्क लगाया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

इस प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और उस प्राधिकरण द्वारा डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदने के अलावा एकमुश्त राशि के लिए टिकटों से भरा जाता है, इस तरह भुगतान की गई राशि को हाथ में डाक टिकट के रूप में दिखाया जाता है। स्टाम्प की दैनिक खपत के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर के आधार पर, डाक टिकटों पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ के खाते में टिकटों के तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा संबंधित व्यय मद में डेबिट किया जाता है। 31 मार्च, 2021 तक 1,49,060/— रुपये की राशि के डाक टिकट हाथ में थे।

वर्तमान देयताएं

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त 24,462/— रूपये की प्रतिभूति जमा राशि इसकी वारंटी अवधि के पूरा होने तक रखी जाएगी।

कराधान

यह प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, वर्तमान और आस्थिगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदान/संग्रहीत शुल्क

पूंजीगत व्यय अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्यहासीय परिसंपत्तियों की लागत को श्पूंजी निधिश खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से होने वाले राजस्व व्यय को ध्आय और व्यय खातेष् में डेबिट किया जाएगा। व्यय से अधिक आय 31 मार्च, 2021 को वर्ष के अंत में पूंजी निधि खाते में अंतरण कर दी जाती है।







प्राधिकरण डीएलसीध्एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए संग्रहीत शुल्क डीएलसीध्एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में प्राप्त कर रहा है। उसके अलावा प्राधिकरण एल.वी. फार्मों और हैचरी के लिए प्रक्रिया शुल्क संग्रहीत कर रहा है। प्राधिकरण की बाहर निकलने की नीति के अनुसारय शुल्क को प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारितध् वृत्ति निधि के रूप में रखा जाता है और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने हेतु रखा जाता है।

पिछले वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा निर्धारित लेखाकरण प्रक्रिया, तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा रसीद एवं भुगतान खाते में पिछले वर्ष के आंकड़ों को दिखाने के लिए निर्दिष्ट करती है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2021 तक तुलन पत्र

पूंजी निधिध्देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सीपीएफ निधि प्रारंभिक जमाशेष व्यय पर आय की अधिकताध्(कमी)	12,41,370 (2,11,091) 10,30,279	11,28,053 1,13,317 12,41,370
कुल	10,30,279	12,41,370
अचल परिसंपत्तियां निवेश वर्तमान परिसंपत्तियां बैंक में रोकड़ – इंडियन बैंक – आईओबी	- 8,95,358 1,32,990 1,931	12,39,417 1,953
कुल	10,30,279	12,41,370

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सीपीएफ अंशदान ब्याज सावधि जमा ब्याज	4,92,604 27,502 19,165	48,438 64,938
कुल	5,39,271	1,13,376
व्यय बैंक प्रभार निपटानध्अंतरण किया गया सीपीएफ व्यय पर आय की अधिकताध्कमी)	86 7,50,276 (2,11,091)	59 - 1,13,317
कुल	5,39,271	1,13,376

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 अविध के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा


प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक जमाशेष – इंडियन बैंक – आईओबी सीपीएफ अंशदान ब्याज	12,39,417 1,953 4,92,604 27,502	11,26,109 1,944 48,438 64,938
कुल	17,61,476	12,41,429
बैंक प्रभार निपटानध्अंतरण किया गया सीपीएफ सावधि जमा में निवेश अंत जमाशे	86 7,50,276 8,76,193	12 20 417
– इंडियन बैंक – आईओबी	1,32,990 1,931	12,39,417 1,953
क्ल	17,61,476	12,41,429











मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च 2021 तक तुलन पत्र

पूंजी निधिध्देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ निधि प्रारंभिक जमाशेष व्यय पर आय की अधिकताध्(कमी)	16,23,984 1,85,540 18,09,524	13,89,125 2,34,859 16,23,984
कुल	18,09,524	16,23,984
अचल परिसंपत्तियां निवेश वर्तमान परिसंपत्तियां बैंक में रोकड़ – इंडियन बैंक – आईओबी	5,31,427 2,466	16,21,512 2,472
कुल	18,09,524	16,23,984

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ अंशदान ब्याज सावधि जमा ब्याज	1,30,000 29,995 25,631	1,43,000 91,918
कुल	1,85,626	2,34,918
व्यय बैंक प्रभार निपटानध्अंतरण किया गया जीपीएफ व्यय पर अय की अधिकताध्कमी)	86 - 1,85,540	59 - 2,34,859
क्ल	1,85,626	2,34,918

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 अविध के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक जमाशेष – बैंक जमाशेष – आईओबी जीपीएफ अंशदान ब्याज मुख्य खाते से प्राप्त	16,21,512 2,472 1,30,000 29,995 4,35,316	13,86,681 2,444 1,43,000 91,918
कुल	22,19,295	16,24,043
बैंक प्रभार निपटानध्अंतरण किया गया जीपीएफ भुगतान किया गया परामर्शदाता शुल्क सावधि जमा में निवेश अंत जमाशेष — इंडियन बैंक — आईओबी	86 4,35,316 12,50,000 5,31,427 2,466	59 - 16,21,512 2,472
कुल	22,19,295	16,24,043

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21





तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई-600035

पेंशन निधि

31 मार्च 2021 तक तुलन पत्र

पूंजी निधिध्देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन निधि प्रारंभिक जमाशेष व्यय पर आय की अधिकताध्(कमी)	1,60,13,595 7,08,128 1,67,21,723	1,51,11,154 9,02,441 1,60,13,595
कुल	1,67,21,723	1,60,13,595
अचल परिसंपत्तियां निवेश वर्तमान परिसंपत्तियां बैंक में रोकड़ – इंडियन बैंक – आईओबी	1,65,36,768 1,56,702 28,253	1,59,86,159 27,436
कुल	1,67,21,723	1,60,13,595

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन अंशदान ब्याज सावधि जमा ब्याज	3,71,446 3,36,768	9,02,500
कुल	7,08,214	9,02,500
व्यय बैंक प्रभार निपटान की गईध्अंतरण की गई पेंशन व्यय पर आय की अधिकताध(कमी)	86 - 7,08,128	59 - 9,02,441
कुल	7,08,214	9,02,500

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

	•	
प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक जमाशेष — इंडियन बैंक — आईओबी पेंशन अंशदान	1,59,86,159 27,436	1,50,84,600 26,554
ब्याज	3,71,446	9,02,500
कुल	1,63,85,041	1,60,13,654
बैंक प्रभार निपटान की गईध्अंतरण की गई पेंशन सावधि जमा में निवेश अंतिम जमाशेष	1,62,00,000	-
— इंडियन बैंक — आईओबी	1,56,702 28,253	1,59,86,159 27,436
कुल	1,63,85,041	1,60,13,654









भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) CHENNAI



दिनांक: 07.07.2022

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28-117/2022-23/

सेवा में, सचिव, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय मत्स्यपालन् विभाग, कृषि भवंन, नई दिल्ली-110001। महोदय,

विषय: वर्ष 2020-21 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में।

मैं यहां वर्ष 2020-21 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखाओं के विवरण के साथ अग्रेषित करना चाहता हं।

कृपया वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए संसद में लेखाओं की प्रस्त्ति की तारीख के बारे में इस कार्यालय को सूचित करें। कृपया यह भी स्निश्चित करें कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट संसद में वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट पटल पर रखने से पहले पटल पर रखी जाए। इसके अलावा, संसद में यथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति भी यथासमय इस कार्यालय को भेज दी जाए।

कृपया संलग्नकों के साथ इस पत्र की पावती भेज दें।

संलग्नः उपर्युक्त

भवदीय,

हस्ता./

निदेशक/सीई

लेखापरीक्षा भवन. 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.



"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI - 600 018.

18. Amrit Mahotsav Phone : 91-044 - 2431 6406, Fax: 91- 044 - 24338924, E.mail : dgacchennal@cag.gov.in

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21



दिनांक: 07.07.2022



सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28-117/2022-23/60

वर्ष 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ इसकी प्रति सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई को भेजी जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद में यथा प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हिंदी संस्करण की प्रति और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति यथाशीघ्र भेजें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट संसद में वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट पटल पर रखने से पहले पटल पर रखी जाए। यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए संसद में लेखे प्रस्तुत किए जाने की तारीखों के बारे में भी जानकारी भेजें।

निदेशक/सीई







31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021 तक आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भ्गतान लेखा तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के संलग्न त्लन पत्र की लेखापरीक्षा की थी। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

- 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों की पृष्टि, लेखाकरण मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखाकरण संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहल्ओं, यदि कोई हो, के अन्पालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।
- हमने भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि तथा प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्त्ति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।
- हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि: 4.
- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अन्मोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।





iii हमारी राय में तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में यथा अपेक्षित लेखा बहियों तथा अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से दिखाई देता है।

iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. लेखाओं में संशोधन का प्रभाव तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखाओं को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान के खातों में, परिसंपत्तियों/देनदारियों में 0.76 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी और व्यय पर आय का घाटा 0.12 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.09 करोड़ रुपये हो गया था।
- ख. सहायता अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त 3.00 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान और पिछले वर्ष के 1.44 करोड़ रुपये के अव्ययित अनुदान (कुल 4.44 करोड़ रुपये) में से प्राधिकरण ने 3.00 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया था, 31 मार्च 2021 तक जमाशेष को शून्य छोड़ते हुए 1.44 करोड़ रुपये वापस कर दिए थे।
- v. पिछले अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्प्णियों के साथ पढ़े गए उक्त वित्तीय विवरण, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यत: स्वीकार किए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।
 - क. जहां तक यह 31 मार्च 2021 तक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और
 - ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के सी एंड एजी के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (मध्य), चेन्नई

स्थान: चेन्नई तारीख: 07.07.2022







अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इस हद तक अपर्याप्त थी कि वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

3. अचल संपित्तयों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2020-21 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2020-21 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भगतान में नियमितता

प्राधिकरण सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित था।





वर्ष 2020-21 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्पष्टीकरण

अवलोकन	उत्तर
क. लेखाओं में संशोधन का प्रभावी होना तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखाओं को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आध् गर पर संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान के खातों में परिसंपत्तियोंध्देयताओं में 0.76 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और व्यय की तुलना में आय का घाटा 0.12 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.09 करोड़ रुपये हो गया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई अवलोकन नहीं दिया गया है इसलिए इसे शून्य माना जाए।
ख. सहायता अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त 3.00 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान और पिछले वर्ष के 1.44 करोड़ रुपये के अव्ययित अनुदान (कुल 4.44 करोड़ रुपये) में से प्राधि ाकरण ने 3.00 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया था, 31 मार्च 2021 तक शून्य शेष राशि छोड़कर 1.44 करोड़ रुपये वापस कर दिए थे।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई अवलोकन नहीं दिया गया है इसलिए इसे शून्य माना जाए।

वर्ष 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक पर स्पष्टीकरण

44 2020 21 47 Kite 3447 Cical acidit icalo	a organism to enorate t		
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वर्ष 2020—21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।	सीएजी द्वारा पैनल में शामिल की गई फर्म मैसर्स प्रिज्म एंड एसोसिएट्स को आंतरिक		
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इस हद तक अपर्याप्त थी कि वर्ष 202–21 के दौरान प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।	लेखापरीक्षा सेवा प्रदान करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा किया है और वर्ष 2020–21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।		
3. अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन। वर्ष 2020-21 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।			
4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वर्ष 2020–21 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई अवलोकन नहीं दिया गया है इसलिए इसे शून्य माना जाए।		
5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता यह प्राधिकरण सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित था।			

संदभर्रु पीडीए (सी)ध्सीईध्वीध्28-117-22-23 दिनांक 07.07.2022





ANNUAL REPORT 2020-21

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY





GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT OF FISHERIES

5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

Website: https://www.caa.gov.in



Published by

Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing

Kripa Vasant Antony Xavier A Kanakasabapathi D Priya G Ramesh Kumar S

Printed by

Contents

	Preface	129
	Executive Summary	131
1	About CAA	136
	Composition of Authority during 2020-21	138
	Aims and Objectives of the Authority	140
	Powers and Functions of the Authority	140
	Regulation of SPF Litopenaeus vannamei culture in India	142
	Certification of Antibiotic free inputs	143
2	Targets and Performance	145
	Annual Targets and performance	146
3	Authority Meetings & Expert Committee Meetings	148
	Meeting of the Authority	149
	Meetings of the Expert Committees Constituted by the Authority	151
	Meetings on the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility	151
	Meeting of the expert Committee constituted by DoF to review establishment and operation of NBCs and BMCs in the Country	152
4	Registration and Renewal of Registration of Coastal Aquaculture Farms	153
	State wise CAA registered farms from 2006 to March 2021	155
	Registration of farms during April 2020 to March 2021	161
	Renewal of Registration of coastal aquaculture farms	162
	State-wise details of renewed farms during the current year (April 2020 to March 2021)	163
	State-wise performance of SPF L.vannamei farming	164
5	Registration and Renewal of Registration of hatcheries	168
	Empanelment of overseas broodstock suppliers and import by Indian hatcheries	171
	Import of SPF <i>L. vannamei</i> broodstock	171
	Growth of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries in India	171
	Registration and renewal of Registration of hatcheries in 2020-21	172
	Major accomplishment related to seed production	172
	Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) for SPF <i>L. vanname</i> i Seed Production	173
6	Regulations on aquaculture inputs	175
7	Environmental Monitoring	179
8	Surveillance	181
	Screening of Decapod iridescent virus 1 or DIV1 infections	181
	Action taken Against Overseas Suppliers of SPF broodstock	181
	Action taken Against Hatcheries for non-compliance of CAA guidelines in <i>L. vannamei</i> seed production	182

	Surprise inspections to check unauthorized <i>L. vannamei</i> seed production	182
	Scrutiny of biosecurity measures in Hatcheries and NRHs	183
	Action taken against the Aqua Input Manufacturers	183
9	Outreach activities	184
10	New initiatives	186
	Facilitation Centre at Vijayawada	186
	Identity card (ID) for Coastal Aqua Farmers	186
11	Targets for 2021-22	188
12	Participation in national and international events	190
13	In-house activities	192
	Hindi week celebrations	192
	Swatchatha Pakwada	192
	Vigilance week	193
14	State-wise review of shrimp farming 2006-2021	195
	Andhra Pradesh (AP)	196
	Goa	198
	Gujarat	198
	Karnataka	200
	Kerala	201
	Maharashtra	202
	Odisha	203
	Tamil Nadu	205
	West Bengal (WB)	207
	Union Territories	208
	Administrative and Accounts matters	
15	Finance: Summary of Actual Financial	209
16	Staff and existing organisational structure of the Authority	210
17	Recruitment / Retirement / Repatriation	211
18	Right to Information Act	211
	Annexure: Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2020-21	212
1	Balance Sheet	213
2	Income and Expenditure Accounts	214
3	Receipt and Payment Accounts	215
4	Schedule of Balance Sheet (1 to 11)	220
5	Schedules of Income and Expenditure (12 -13)	228
6	Accounting Policies	231
7	Contingent Liabilities & Notes on Accounts	234
8	Contributory Provident Fund / General Provident Fund / Pension Fund	236
9	Separate Audit Report of the CAG	241
10	Clarifications to the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal	244

Abbreviations

AISHA All India Shrimp Hatcheries Association

A&N Andaman and Nicobar

AQF Aquatic Quarantine Facility

AQCS Aquatic Quarantine and Certification Services

BMC Broodstock Multiplication Centre

CIBA Central Institute of Brackishwater Aquaculture
CMFRI Central Marine Fisheries Research Institute

CRZ Coastal Regulation Zone

DAHD&F Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

DIV1 Decapod Iridescent Virus 1
DLC District Level Committee
DoF Department of Fisheries

EIA Environment Impact Assessment
EMP Environment Management Plan
ETS Effluent Treatment System

GIS Geographic Information System

GST Goods and Service Tax

ID Identity Card

IHHNV Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus

IP Internet Protocol
LoP Letter of Permission
MoA Ministry of Agriculture

MoFAH&D Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
MPEDA Marine Products Export Development Authority

NBC Nucleus Breeding Centre

NBFGR National Bureau of Fish Genetic Resources

NFDB National Fisheries Development Board

NRCP National Residue Control Program

OIE World Organization for Animal Health (formerly the Office International des

Epizooties (OIE))

PPL Parent Post Larvae

RGCA Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture

SLC State Level Committee
SPF Specific Pathogen Free

TFA Total Farm Area
WSA Water Spread Area

डॉ. वि. कृपा सदस्य सचिव Dr. V. KRIPA Member Secretary



तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय चेन्नई.६०००३५, तमिलनाडु, भारत

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Chennai - 600 035, Tamil Nadu, India



PREFACE

The Coastal Aquaculture Authority has completed 15 glorious years of service to the nation in 2020. The enactment of Coastal Aquaculture Authority Act (24 of 2005) on 23rd June 2005 by the Government of India led to the establishment of CAA for regulating activities connected with aquaculture in coastal areas and also to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to environment.

Coastal Aquaculture Authority (CAA) under the administrative control of the Department of Fisheries, Government of India, is the regulatory arm of the Central Government for all the coastal aquaculture activities. Over the past 15 years several reforms have been brought out by the organization, keeping in view the spirit of the mandate given under the Coastal Aquaculture Act, 2005 and the subordinate legislations. The regulations have made much impact on the way aquaculture activities have progressed in the country, and as a modernday regulator, there has been constant handholding measures extended to the stakeholders to ensure that a healthy regulation also facilitates good growth of the aquaculture sector. The revival of the shrimp farming sector especially with the permission to farm the exotic species L. vannamei by the Government of India since 2009 under the strict regulatory control of CAA on all aspects starting from import of SPF broodstock from overseas empanelled suppliers, seed production and eco-friendly practices has saved the livelihood of thousands of coastal villagers and has supported the nation to reach second position in global aquaculture production with 843361tonnes of farmed shrimp in 2020-21.

It can be confidently stated CAA has upheld the Hon'ble Supreme Court's verdict of 1996 (Ref S Jagannath vs Union of India, 1996) and has not permitted conversion of mangroves, saltpans and agriculture land for shrimp aquaculture. Similarly, the DLCs have not recommended any forest reserve area, sanctuaries or turtle nesting area for farming. All these points have protected the coastal ecosystem during the last 15 years and India is one of the few nations which has given significant importance to protection of ecologically sensitive and fragile areas and has successfully maintained a balance between aquaculture development and environment conservation. CAA guidelines on coastal aquaculture have also supported social harmony in coastal communities by ensuring strict compliance to issues related to common resource use in farming areas during the last 15 years.

During the year 2020-21, the COVID 19 Pandemic affected the smooth functioning

of CAA due to frequent lock downs and restrictions on number of staff attendance in office. However, CAA staff and the Monitoring Assistants strived hard to meet the targets. Inspections for hatchery renewals were carried out in time across the maritime states as per schedule which supported the industry in continuing their operations especially those related to import of SPF broodstock.

I place on record my sincere appreciation to CAA team and also to the members of the inspection committee from State Fisheries Departments, CIBA and AISHA who also joined the field visits and inspections in spite of the hardships caused due to COVID - 19 restrictions. The collectors of coastal districts and the DLCs have also processed the farm registration and renewal applications and recommended the same to CAA. CAA places on record the deep appreciation for these committees who have supported the stake holders by timely action.

CAA diligently fulfilled its obligations during the year and continued to have influence on the regulatory as well as promotion aspects of aquaculture. There were notable achievements during the year under review, which have been captured in this report. Salient features of the overall achievements of CAA during the past 15 years are also summarized. Apart from this, a state-wise review of coastal aquaculture is also presented. To cite a new initiative, CAA has started issuing identity card to registered farmers and other stakeholders.

Interaction with the stake holders at various levels during 2020-21 has indicated need for changes in CAA Act and Rules. In the coming years, aquaculture sector would diversity and also bring in more profitable and eco-friendly technologies. The responsibility of CAA is bound to increase and more efforts would be put in to strictly develop more need-based advisories and implement the CAA guidelines which are framed on the Precautionary principle of Environmental law

CAA was able to discharge the mandated responsibilities only through the support of Hon'ble Union Minster for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Shri. Giriraj Singh and Hon'ble Minister of State for Fisheries Dr. Sanjeev Kumar Balyan for which I record my sincere gratitude. The smooth functioning of the CAA was possible only because of the cooperation and guidance of Fisheries Secretary, Dr. Rajeev Ranjan, IAS, Joint Secretaries Dr. J. Balaji, IAS and Shri. Sagar Mehra and the team of DoF staff. I wholeheartedly acknowledge this support on behalf of all staff of CAA.

The Authority of CAA has also given timely advice on the functioning of CAA and I place on record respectful gratitude to the esteemed members of the Authority. With continued support from Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, CAA would continue to discharge the mandated duties in the years to come.

'Jai Hind'

Executive Summary

he Coastal Aquaculture Authority which was set up under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act No. 24 of 2005) enacted by the Parliament of India, completed 15 glorious years of service to the nation in the year 2020. Till 2019 February, CAA was under the Ministry of Agriculture. With the formation of separate Ministry for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying vide Cabinet Secretariat's Notification F.No.1/21/21/2018-Cab dated 05.02.2019, CAA started functioning under the Department of Fisheries, New Delhi.

During the period 2005 to 2021, the CAA was successful in maintaining a balance between economic development through coastal aquaculture and protection of the coastal environment which provides a productive habitat for a rich and diverse group of fauna and flora. The CAA has followed the precautionary principle of environmental law and has enforced the guidelines formulated based on scientific advisories which are ecofriendly and more efficient than the destructive and unregulated practises followed two decades back.

With the support of 66 Districts and 12 States / UTs level committee, having representations from Departments of Agriculture, Forests, Fisheries and Revenue of respective state/UT and also from MPEDA, the registration of farms in coastal area has been carried out following the guidelines prescribed by CAA. During the 15-years period through 65 meetings of the Authority, CAA has registered 40,780 farms covering a total area of 61,917 ha with a water spread area of 42,287 ha.

In 2020-21, 1646 farms with 2210 ha total area and 1449 ha water spread area was approved by the committees and registration certificates were issued to the respective farmers Also 1680 farms with total area 3387 ha and 2370 water spread area were renewed. Along with this, 48 shrimp farms with water spread area

of 58.75 ha were approved for the culture of SPF *L. vannamei*, post inspection and prompt scrutiny.

With the approval of Government of India, the exotic species, L.vannamei popularly known as the white leg shrimp began to be farmed in the coastal villages. Seed being the most important input, the CAA drafted the guidelines for import of Specific Pathogen Free (SPF) broodstock from CAA empanelled international suppliers after a strict quarantine in the Aquatic Quarantine facility at Neelankarai which is operated and managed by RGCA under MPEDA. In this 15th year of CAA, we can proudly say that 293 hatcheries with a production capacity of 95,150 million seed per annum have been registered by CAA. There are also 147 Nauplii rearing centres with a production capacity of 13605 million seed per annum. During 2020-21, fifteen new hatcheries were permitted and 209 were renewed for SPF L. vannamei seed production. Altogether 293 hatcheries were issued Letter of Permission (LoP) for importing 5,20,100 pairs of broodstock of SPF L. vannamei.

CAA has played a major role in empanelling SPF broodstock suppliers. The technical committee with experts from CIBA, NBFGR, AQCS and NFDB along with CAA representative have critically evaluated the facility and processes of potential broodstock suppliers and had empanelled 14 suppliers, 12 for *L. vannamei* and 2 for *P. monodon*. List of empanelled overseas suppliers list were posted in CAA website for the benefit of shrimp hatchery operators and AQF management team.

List of hatcheries who have imported SPF broodstock was also updated in CAA website periodically. This is for the benefit of farmers who can contact the hatchery for getting quality seed. During 2020-21, 2,76,346 numbers of broodstock were imported to the country by the hatchery operators and the AQF

has meticulously quarantined all the stock in spite of severe lock down and health threats to personnel.

Antibiotic usage in farm and hatchery operations has been a threat to the industry, especially during export. CAA has banned use of 20 anti-biotics and these are listed in CAA guidelines and also uploaded in the website. However, the incorporation of antibiotic in aquaculture inputs other than seed and utilization of these by the farmers can also lead to presence of antibiotic resides in the farmed produce. CAA started issuing the certificate that the products are antibiotic free since 2015. Based on the scrutiny of documents indicating the production process and product quality 3,574 products under eight categories from 13 states are registered as antibiotic-free inputs, of which 104 were registered during the reporting period.

CAA has conducted surprise inspections and actions were taken against defaulters by

issuing show-cause notices and by destruction of spurious stocks. The biosecurity measures and ETS in hatcheries and farms were inspected periodically.

Water samples were collected from farms/ hatcheries of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Goa and Karnataka as a part of the monitoring program. These were analysed in Government /University laboratories with required facilities.

Two meetings of the Authority were convened and all the Registrations recommended by DLCs were approved. Two meetings of Technical Committee constituted to oversee and monitor the functioning of the AQF were organised and important decisions were taken to resolve issues of stakeholders.

Awareness programs were organised in different coastal districts by following all the protocols prescribed by the respective states for controlling spread of COVID - 19 pandemic.











Justice Dr. A.K. Rajan Chairperson CAA (06.01.2006 to 05.01.2012)



Justice K. Raviraja Pandian Chairperson CAA (20.05.2013 to 19.05.2016)



Dr. Y.S. Yadava Member Secretary, CAA (22.12.2005 to 15.11.2007)



Member Secretary, CAA (16.11.2007 to 30.04.2008 (I/C) (01.05.2014 to 30.09.2014 (I/C) (01.10.2014 to 30.06.2016)



Dr. R. Paul Raj Member Secretary, CAA (01.05.2008 to 30.04.2014)



Dr. K.N. Kumar, IAS Member Secretary, CAA (01.07.2016 to 16.09.2016 (I/C)



Member Secretary, CAA (17.09.2016 to 22.10.2017 (I/C)




Member Secretary, CAA (23.10.2017 to 18.05.2019)



Dr. I. Rani Kumudini, IAS Member Secretary, CAA (22.05.2019 to 02.03.2020 (I/C)
















ABOUT CAA











About CAA

Genesis of Coastal Aquaculture Authority

The Supreme Court in its verdict in Writ Petition No. 561 of 1994 (Jagannathan vs Union of India) raised concern on the environmental protection of coastal areas and directed the Central Government to constitute an authority to protect the ecologically sensitive coastal areas and seashore as well as to promote sustainable and responsible coastal aquaculture development in the country.

Coastal Aquaculture Authority was set up under The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 enacted by the Parliament of India, which received the assent of the President on 23rd June, 2005.

As per CAA Act, Coastal aquaculture is defined as 'culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture'. Coastal area means 'area of land within a distance of two kilometres from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters.

The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment following responsible coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

THE COASTAL AQUACULTURE **AUTHORITY ACT, 2005**

Act No. 24 of 2005


An Act to provide for the establishment of a Coastal Aquaculture Authority for regulating the activities connected with coastal aquaculture in the coastal areas (2km from the HTL) and for matters connected therewith or incidental thereto.



ANNUAL REPORT 2020-21







Composition of the Authority during 2020-21

As per Section 4 (3) of the CAA Act, 2005, the Authority shall consist of eleven members who will be appointed by the Central Government and notified in the Gazette. During the period April 2020 to March 2021, the following members constituted the Authority of CAA.

Chairperson Vacant

Coastal Aquaculture Authority

Dr. K K Vijayan Member

Director

Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai Indian Council of Agricultural Research, New Delhi (Expert in the field of Coastal Aquaculture) (Re-appointed with effect from 2nd November, 2018)

Dr. G. Dharani Member

Scientist 'F'

National Institute of Ocean Technology, Chennai Ministry of Earth Sciences, Government of India, (Expert in the field of Coastal Ecology) (With effect from 2nd November, 2018)

Dr. W. Bharat Singh

Scientist 'F'

Ministry of Environment, Forests & Climate Change, New Delhi Government of India (Expert in the field of Environmental Protection) (With effect from 2nd November, 2018)

Member







Dr. J. Balaji, IAS Member

Joint Secretary (Marine Fisheries)
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Government of India

Shri. K. S. Srinivas, IAS Member

Chairman, Marine Products Export Development Authority MPEDA House, Panampilly Avenue Cochin, Kerala

(With effect from 4th January, 2019)

Shri. N.B. Upadhyay, IAS Member

Secretary (Animal Husbandry Cow Breeding & Fisheries & Cooperative)

Government of Gujarat

(With effect from 2nd November, 2018)

Shri. Anoop Kumar, IAS Member

Secretary (Fisheries)

Department of Agriculture & ADF, Mumbai

Government of Maharashtra

(With effect from 2nd November, 2018)

Dr. K. Gopal, IAS Member

Principal Secretary

Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries

Government of Tamil Nadu, Chennai

(With effect from 2nd November, 2018)

Dr. Prabhat Kumar Mishra, IAS Member

Principal Secretary, Department of Fisheries

Government of West Bengal, Kolkata

(With effect from 2nd November, 2018)

Dr. (Mrs) V. Kripa Member

Member Secretary

Coastal Aquaculture Authority, Chennai

Department of Fisheries

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

Government of India

(With effect from 22nd April 2020)





Aims and Objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith.

The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation

of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries, monitor the impacts on environment, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, viz. seed, feed, growth supplements, chemicals, and other inputs used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.



Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March 2008. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries.

Special emphasis is given for the permission for farming and seed production of *Litopenaeus vannamei*, with due biosecurity in the country within the notified area. This is an ongoing process. Several measures have been initiated by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programs organised to sensitize the farmers.

It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms, new farms as well as for farms that may be







renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' that is, farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research Institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine

which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLCs) and the District Level Committees (DLCs) set up under the provision of the CAA Rules, 2005 which are the primary linkages on matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify compliance of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to the CAA for registration.



Additional functions required to be performed by the Authority: Section 5 of CAA Rules 2005


- Ensure that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- Survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable

- strategies for achieving eco-friendly development;
- Advise and extend support to the State/ UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- Fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- Carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of ecofriendly technologies;





District Level Committee (DLC)



The diverse nature of the constitution of the committee is to ensure that the guidelines which are mandatory are adhered to

- Collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- Prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and related activities;
- Give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- Constitute various technical committees, sub-committees and working groups for preparation of technical manuals and other technical brochures
- Direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- Order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- Cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- Deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;

 Make suitable recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time.

Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* **culture in India**

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, vide Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF Litopenaeus vannamei. The overseas broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackish water Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, preborder quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods, and other particulars are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries for import of SPF *L. vannamei* and for farming the species. These Guidelines contain the criteria for







Box 1

CAA and import of SPF Broodstock

Coastal Aquaculture Authority is authorized to empanel the SPF *L. vannamei* brood stock suppliers and to register hatcheries and to grant permission to eligible applicants for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei* from the empanelled suppliers, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), under the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended by Livestock Importation Act, 2001(Act 28 of 2001).

CAA is also empowered to monitor SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines issued through Notification under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009.

applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry-out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through confiscation and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

An amendment Notification was issued on 16th February 2015 whereby Guidelines have also been issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange. Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and

hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF L. *vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

Notification vide GSR No. 100 (E) dated 16th February 2015 by which Guidelines as Annexure -IV was issued amending the CAA Rules 2005 for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming through the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF *L. vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

Certification of Antibiotic free inputs


In view of the concerns raised regarding foodsafety issues of coastal aquaculture products, it was decided as per the provisions under the





Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and Rules and Guidelines thereunder to register all the aquaculture inputs which are free of antibiotics of concern. All manufacturers (indigenous) and distributors (imported) of aquaculture inputs are requested to submit the application for registration of each of their product and get it registered. The first list of

registered products was released in 2016. The application proforma and the terms and conditions of the registration is available in CAA website (www.caa.gov.in) Antibiotic free aquaculture inputs like larval feed, adult feed, feed additives, probiotics, chemicals, drugs and immune-stimulants are registered with CAA and the list is updated periodically in the CAA website.



TARGETS AND PERFORMANCE









Targets and Performance

As per the CAA rule, in the Annual report of CAA, the targets planned for the year have to be listed and the performance reported. Accordingly the Annual targets for 2020-21 and the achievements are given below. Details under each category are given in the subsequent sections

Annual Targets and performance


	Target	Achievement
1	Authority Meetings: Convening meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation	Two meetings of the Authority were held. More meetings could not be organized due to COVID -19 pandemic restrictions. All applications received were scrutinized, and Certificates issued to the all respective stakeholders
2	Registration and renewal of coastal aquaculture farms Additional 3,000 coastal aquaculture farms were expected to be registered subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District and State Level Committees	Target was achieved and 3326 certificates of registration, new/ renewal were issued.
3	Approval for <i>L.vannamei</i> farming Grant approval for <i>L.vannamei</i> farming after scrutiny of applications	48 shrimp farms with water spread area of 58.75 ha were approved for the culture of SPF <i>L. vannamei</i> , post inspection and prompt scrutiny
4	Empanelment of SPF broodstock suppliers Selection of broodstock suppliers by the Technical Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.	One supplier was added to the list of overseas suppliers list and the details were posted in CAA website for the benefit of shrimp hatchery operators and AQF management team.







5	Renewal and registration of hatcheries allocation of broodstock import quota based on their capacity.	15 new hatcheries were permitted and 209 were renewed for SPF <i>L. vannamei</i> seed production. Altogether 293 hatcheries were issued Annual Allocation Order for importing 5,21,050 pairs of broodstock of SPF <i>L. vannamei</i> from 12 suppliers empanelled by the CAA.
6	Registration of NRH Processing of the applications received for seed production of SPF L. vannamei by Nauplii Rearing Hatcheries	25 Nauplii Rearing Hatcheries were issued with Registration Certificate for SPF <i>L. vannamei</i> seed production with production capacity of 13,605 million seeds / year.
7	Surveillance of aquaculture activities Violations of CAA guidelines by hatchery operators can affect the quality of seed produced. Hence surveillance is given utmost priority by CAA.	During the year 2020-21CAA has conducted surprise inspections and actions were taken against defaulters by issuing show-cause notices and by destruction of spurious stocks.
8	Biosecurity and ETS Violations of CAA guidelines especially those related to biosecurity measure and ETS has to checked.	The biosecurity measures and ETS in hatcheries and farms were scrutinized in hatcheries and farms located in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha and Karnataka.
9	Functioning of AQF Organize meetings of high level expert committees.	Two meetings of expert committee on AQF were organised and important decisions were taken to resolve issues of stakeholders and those faced by AQF for its smooth functioning.
10	Antibiotic free aqua-inputs Registration of antibiotic free aquaculture inputs.	Based on the scrutiny of documents indicating the production process and product quality 3,574 products under eight categories were registered as antibiotic-free inputs.
11	Monitoring of water quality Sampling and testing of wastewater discharged from Effluent Treatment System (ETS) to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.	Water samples were collected from farms/ hatcheries of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha and Karnataka as a part of the monitoring program. These were analysed in Government /University laboratories.
12	Outreach programs Organising awareness programmes, in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms and on issues concerning banned drugs and other substances	Short programs were organised in different coastal districts by following all the protocols prescribed by the respective states for controlling spread of COVID-19 pandemic



AUTHORITY MEETINGS & EXPERT COMMITTEE MEETINGS









Authority Meetings

uring the period from April 2020 to March 2021, CAA conducted two Authority meetings through video conferencing, in addition to other high-level expert committee meetings with varying objectives as per the mandate of CAA were also organised. Details of these two categories of meetings are given below.

Meetings of the Authority

Two Authority meetings were convened; the details of the meetings and important decisions taken are summarized in table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as issuance of show-cause notices /closure orders to hatcheries violating the Guidelines of CAA, action on social problems due to aquaculture activities, action against unregistered

hatcheries, review of the registration process of hatcheries, monitoring of wastewater discharged from farms and hatcheries, global advertisements to identify the overseas shrimp broodstock suppliers, air freight connectivity for transportation of SPF *L. vannamei* from east coast to west coast and registration of coastal aquaculture inputs and other relevant technical and administrative matters related to CAA.

As the position of Chairperson, CAA was vacant, the Members present at the 64th meeting chose Shri K. Srinivas, Chairman, MPEDA to chair and preside over the Meeting of the Authority as provided under Section 7(2) of CAA Act to be read with Section 7 of CAA Regulations, 2008. For 65th Authority meeting Shri Anoop Kumar, Secretary, Government of Maharashtra was selected to Chairperson and preside over the meeting.

Table 1.1 Salient points from the Authority meeting of the Coastal Aquaculture Authority

64th Authority Meeting: Important decisions taken during the 64th Authority meeting held through Video conferencing on 9th September, 2020

- Approved the registration of 1075 shrimp farms recommended by DLCs/SLCs.
- Approved the renewal of registration of 1213 shrimp farms.
- Resolved to permit 18 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei* of Odisha, Andhra Pradesh and Goa
- Approved one hundred eighty three (183) hatcheries for renewal of registration and issuance of appropriate annual allocation based on the capacity
- Approved eleven (11) hatcheries for issuance of registration and for the issuance of appropriate annual allocation based on their capacity to import SPF *L. vannamei* broodstock.





- Empanelment of M/s. Sy Aqua America INC, Florida, USA for supply of SPF shrimp broodstock as recommended by the Technical Expert Committee was approved and ratified.
- Approved the issuance of certificate of standards for antibiotic-free aquaculture inputs for two hundred twelve (212) applications submitted by fifty-five (55) companies which were scrutinized by the CAA.
- Ratified the action taken to invoke the bank guarantee of the Hatchery which violated CAA guidelines as well to cancel the registration after providing an opportunity to be heard.
- The Authority approved the Annual Accounts of CAA for the Financial Year 2018-19.


65th Authority Meeting: Important decisions taken during the 65th Authority meeting held on 9th February, 2021 through Video conferencing.

- Approved five hundred and seventy-one (571) applications of coastal aquaculture farms for issuance of Registration Certificate
- Approved the renewal of registration of four hundred and sixty-seven (467) applications of coastal aquaculture farms and issuance of renewed Registration certificate.
- Approved all the thirty-one (31) shrimp farms for issuance of LoP for undertaking culture of SPF *L. vannamei* received from Tamil Nadu and Goa.
- Approved all the twenty-four (24) hatcheries for renewal of registration and for the issuance of appropriate annual allocation order for import of broodstock based on their infrastructure capacity.
- Approved fourteen (14) hatcheries for issuance of registration and for the issuance of appropriate annual allocation based on their capacity to import SPF *L. vannamei* broodstock.
- Approved twenty-five (25) Nauplii Rearing Hatcheries for issuance of Registration.
- Approved the renewal of registration of shrimp farms of three Government organizations;
 (i) ICAR-Central Institute of Fisheries Education (Deemed university), Kakinada centre, (ii)
 College of Fisheries science, Navsari Agricultural University and (iii) Fisheries College and
 Research Institute Thoothukudi as the applications scrutinized by CAA were found to be in order as per the Guidelines for registration of farms of Govt. research institutes,
- Approved the reconstituted Inspection Committee constituted by the Coastal Aquaculture
 Authority for inspecting the Finfish hatcheries for ascertaining the suitability of the
 hatcheries based on the facilities available to undertake finfish seed production
- Approved in principle, development of a comprehensive online registration system along with mobile application for registration and renewal of hatcheries, farms and inputs.
- Approved the proposal for identification and declaration of potential areas suitable for fish/ shrimp culture as aquaculture / coastal aquaculture zone in all the coastal states of India and mapping and zonation in collaboration with other institutes.
- Considering that CAA would require more Monitoring Assistants (MAs) to gear up
 the process of registration and renewal of farms more intensively and for sample
 collection, organizing awareness programs and other activities in all the coastal States
 and UTs, approved engagement of five (05) more Monitoring Assistants with the same
 remunerations and conditions as was fixed to the existing 12 MAs and one Consultant for
 Administration with appropriate remuneration









- Approved the CAA Annual Report for the year 2018-19 for placing before the Parliament by the Department of Fisheries, Govt. of India
- Approved and adopted the Annual Accounts of the Coastal Aquaculture Authority for the financial year 2019 -20.

Meetings of the Expert Committees/ Technical Committee Constituted by the Authority

The CAA regularly convenes meeting of expert Committees constituted by the Government of India in which representative from CAA is the Chairperson, or member convener. In 2020-2021, two meetings of the Technical Committee constituted vide Govt. of India order No. 35029/13/2008-Fy (T&E) dated 2nd June 2009 to oversee and monitor the functioning of the AQF at Chennai was convened and one meeting of the committee constituted by Govt. of India vide No j-15001/24/2020-Fy (E-17736) dated 2nd December, 2020, to review the establishment and operation of shrimp Nucleus Breeding Centre (NBC) and Broodstock Multiplication Centres (BMCs) in the country was convened.

Meetings on the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility

The Aquatic Quarantine Facility at Neelankarai, Tamil Nadu was established with financial support from NFDB and is managed and operated by the RGCA of the MPEDA. This facility is now used to quarantine imported broodstock Specific Pathogen Free (SPF) *L.vannamei* and SPF *P. monodon*. Quarantine of SPF Parent Post Larvae (PPL) is also done as and when required. The Technical committee is composed of members from NFDB, CIBA, MPEDA, RGCA, AQCS, DoF and CAA

The 19th and 20thmeetings of the expert Technical Committee constituted to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) at Neelankarai, Chennai were convened on 29th July 2020 and 1st December 2020 respectively. The objectives of these meetings were to discuss and resolve technical concerns and operations in the AQF and the main decisions taken are presented in Table 2.

Table 1.2. Major decisions of Technical Committee Meetings for Monitoring of Aquatic Quarantine Facility during 2020- 2021

Major decisions of the 19th meeting of the Technical Committee on Monitoring of AQF convened on 29th July, 2020 through video conferencing

- Considering the financial need to sustain the AQF operation as well as to reduce the monetary burden on MPEDA, the quarantine charges to be increased by 50% of the proposed hike with respect to normal and premium cubicles from the ensuing cubicle booking and accept the increase in user fee for *P. monodon* and Parent Post Larvae.
- The Committee recommended and requested the Chairperson of the committee Member Secretary, CAA to constitute a sub-committee consisting of suitable representatives from MPEDA, CIBA, RGCA, AISHA, AQCS and CAA to review the operational expenditure being incurred by the AQF, explore the possibilities of accommodating certain components of operational expenditure by availing funds from suitable schemes of the Govt.
- The committee was requested by RGCA to approve the collection of GST on the lab testing charges with retrospective effect from 1st of July 2017.






Major decisions of the 20th meeting of the Technical Committee on Monitoring of AQF convened on 1st December, 2020 through video conferencing

- It was decided that the enhancement of 50% of user fee as recommended in the 19thmeeting can be continued.
- Development of new software was initiated, which was expected to be operational by the end of January 2021. In this regard, a meeting to be organized at the earliest with the service provider and the stakeholders including CAA to give their inputs on the software which is being developed.
- IP restriction for online cubicle reservation shall be implemented with one booking per day from a single IP but not exceeding two bookings per quarter, with effect from 1st January 2021.
- Proposed to capture the bank accounts of the beneficiary hatcheries to permit booking through those bank accounts authorized for AQF booking in the new software.
- Proposal to strengthen the infrastructure of all cubicles at the AQF to hold 625 animals / 25kg biomass to receive maximum number of broodstock and for utilizing the capacity available at the AQF.
- It was decided that proper disinfection to be carried out by AQF to prevent any cross-contamination, if the cubicles reserved for *P. monodon* is utilized for L. vannamei with the requirement of 45 days' notice from *P. monodon* importers.
- A proposal for removal of the restriction of maximum of two cubicles in a quarter during the non-peak season to enhance the occupancy rate and to increase the effective utilisation of AQF capacity.
- It was also suggested that the hatchery operators shall be requested to exercise their option for new bags while booking cubicle and make necessary payments in advance so as to enable AQF to plan in advance.
- A proposal for forfeiting of user fee for *P. monodon* cubicles to be considered for implementation from the next financial year, i.e., April 2021

Meeting of the Expert Committee constituted by the DoF - to review establishment and operation of NBCs and BMCs in the Country

The Committee Chaired jointly by Joint Secretary (Marine Fisheries) and Joint Secretary (Inland Fisheries) was constituted by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to review the establishment and operation of NBCs and BMCs in the country. The first meeting of the committee was convened on 21st December 2020, through video conferencing with support from DoF, New Delhi by CAA since Member Secretary, CAA was the Member Convener. The Committee decided to prepare a draft on Guidelines for the operation and maintenance of SPF Broodstock production facilities in India. Accordingly, a draft on "Guidelines for the operation and maintenance of SPF Broodstock Production Facilities in India" was prepared and submitted to the Ministry for further necessary action.










Registration & Renewal of Registration of Coastal Aquaculture Farms

AA Act mandates registration of all coastal aquaculture farms of the country operating in the coastal area as defined in the Act. Detailed guidelines are in place for this purpose. The District Level Committees receive applications for new registrations and applications of farms with less than 2 ha area are recommended to CAA after due diligence. Applications of large farms (greater than 2 ha water spread area) are recommended to State Level Committee which meet all the

criteria laid down under CAA Rules. The SLC on satisfaction recommends the application to the CAA for consideration of registration.


The CAA guidelines clearly states that mangroves, agricultural lands, saltpan lands, ecologically sensitive areas like sanctuaries and marine parks should not be used for shrimp farming. The guidelines also give importance to heritage sites, common resource use, ground water and other environmentally







environment sustainability



The CAA scrutinizes the applications recommended and forwarded by the District and State Level Committees for registration of farms and places it in the Authority meetings held once in two months on a regular basis. In the current year, the Authority considered and approved 1646 applications for registration of farms and the certificates were issued directly to the farmers. The certificates returned/ undelivered were sent to the Member Conveners of the respective DLC/SLCs of the States as per the protocol adopted by the Authority. The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website www.caa.gov.in, which is updated periodically.

State wise CAA registered farms from 2006 to March 2021

Spread across the east and west coasts, there are 66 District level committees in 9 maritime states and three Union territories including the island union territories of A&N Islands. The 12 State / UT level committees have also been supporting CAA in registration and renewal of farms. Details of national level coastal aquaculture farm details during the last 15 years is given below

- During 2006-07, immediately after the formation of CAA, there were only 1334 farms with a total area 1856.61 ha and water spread area of 1352.3 ha. In 15 years this has increased to 40,780 registered farms covering a total area of 61,917 ha with a water spread area (WSA)of 42287 ha (Table 4.1)
- As of March 2021, more than 50 percent (50.8%) of registered farms are in Andhra Pradesh, followed by Odisha (26.9%), West Bengal (9.8%) and Tamil Nadu (4.8%). In all other states and UTs the number of farms was less than 4 percent of the national total.
- Total Area of the registered coastal aquaculture farms and their WSA was highest in Andhra Pradesh contributing to 47.2 percent and 48.8 percent of the national total. Other major contributors were Odisha, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal.
- Majority (93.9%) of the farms in the country are less than 2 ha WSA. Slightly bigger farms of size 2.01 to 5.0 ha were 5.2 percent and only 0.4 percent of the farms were in the category 5.01 to 10 ha and 0.26 percent were in larger size group of 10.01 to 40 ha. Only 15 farms were above 40 ha (Table 4.1)








Table 4.1. Details of Registration Certificates issued by CAA from 2005 - 2021

		1	No of fai	rms und	er total	area (ha)	Area o	of Farm
SI. No.	Name of states/ Union Territory	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA(ha)	WSA (ha)
1	A & N Islands (A&N)	3	1	0	0	0	4	22.18	5.29
2	Andhra Pradesh (AP)	19824	479	85	56	7	20451	29310.14	20458.73
3	Daman & Diu (DD)	0	12	0	0	0	12	60.00	38.40
4	Goa (GA)	24	14	3	1	0	42	139.20	101.79
5	Gujarat (GJ)	220	729	7	1	2	959	4165.52	2984.54
6	Karnataka (KA)	274	38	1	1	0	314	460.79	350.18
7	Kerala (KL)	1202	205	12	4	0	1423	2779.61	1912.03
8	Maharashtra (MH)	148	112	18	19	6	303	2310.37	1465.42
9	Odisha (OD)	10966	70	22	22	0	11080	13490.97	8428.61
10	Puducherry (PY)	68	5	1	0	0	74	120.65	91.69
11	Tamil Nadu (TN)	1448	454	48	4	0	1954	5163.46	3812.62
12	West Bengal (WB)	4154	10	0	0	0	4164	3894.38	2638.22
	Total	38331	2129	197	108	15	40780	61917.27	42287.52




Figure 1: Registration of coastal aquaculture farms (area-wise) in all coastal states from 2005-2021





A&N

ΑP

DD

GΑ

GJ




Figure 2: Registration of coastal aquaculture farms (State-wise) in all coastal states from 2005-2021

KL

 MH

OD

ΡU

WB

KA




Figure 3: No. of farms registered in Andaman and Nicobar Islands from 2005 to 2021




Figure 4: No. of farms registered in Andhra Pradesh from 2005 to 2021








Figure 5: No. of farms registered in Daman & Diu from 2005 to 2021




Figure 6: No. of farms registered in Goa from 2005 to 2021




Figure 7: No. of farms registered in Gujarat from 2005 to 2021








Figure 8: No. of farms registered in Karnataka from 2005 to 2021




Figure 9: No. of farms registered in Kerala from 2005 to 2021




Figure 10: No. of farms registered in Maharashtra from 2005 to 2021








Figure 11: No. of farms registered in Odisha from 2005 to 2021




Figure 12: No. of farms registered in Puducherry from 2005 to 2021




Figure 13: No. of farms registered in Tamil Nadu from 2005 to 2021










Figure 14: No. of farms registered in West Bengal from 2005 to 2021

Registration of farms during April 2020 to March 2021

During the reporting period 2020-21, 1646 farms were registered based on the applications received from all Maritime States and the Union Territory, Puducherry (Table 4.2). The total farm area was 2210.7 ha covering a WSA of 1449 ha.

- Maximum applications were from Odisha (731 nos) followed by Andhra Pradesh and West Bengal.
- Applicants owning small farms of size less than 2 ha area formed 94.8 percent, followed farms of 2.01 to 5 ha (4.7%). Larger farmer above 5 ha to 40 ha were formed less than one percent and there were no application of larger than 40 ha area.

Table 4.2. Details of Registration Certificates issued by CAA from **April 2020 - March 2021**

			No of fa	rms und	ler total	area(ha)		Area of	f farm
SI. No.	Name of States	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA(ha)	WSA (ha)
1	A & N ISLANDS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANDHRA PRADESH	448	1	0	0	0	449	456.10	309.11
3	DAMAN AND DIU	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GOA	1	1	1	0	0	3	16.42	10.78
5	GUJARAT	74	61	0	0	0	135	467.30	339.01
6	KARNATAKA	4	0	0	0	0	4	3.97	3.24
7	KERALA	35	3	0	0	0	38	51.30	41.45
8	MAHARASHTRA	14	1	0	0	0	15	30.09	19.23
9	ODISHA	731	2	2	4	0	739	927.63	564.10
10	PUDUCHERRY	11	0	0	0	0	11	12.99	10.59
11	TAMILNADU	34	8	2	0	0	44	126.18	69.48
12	WEST BENGAL	208	0	0	0	0	208	118.68	82.19
	Total	1560	77	5	4	0	1646	2210.7	1449.2








Figure 15: registration of Farms (Area-wise) in all coastal states from April 2020 to March 2021




Figure 16: registration of Farms (State-wise) in all coastal states from April 2020 to March 2021

Renewal of Registration of coastal aquaculture farms

Renewal of registration of coastal aquaculture farms is mandatory and has to be applied for the renewal two months prior to the expiry of the registration period. Application received by DLC after the expiry of the period of approval will be considered as a fresh application. Renewal of registration process is ongoing since September 2012 and about 9,368 farms with total area of 17,653 ha (WSA 12,300 ha) were approved for renewal of registration till March 2021 (Table 4.3).







Table 4.3. Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA from September 2012 to March 2021

			No of fa	rms un	der total	area (ha)	Area o	f farm
SI. No.	Name of States	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	11	0	0	0	0	11	9.86	6.23
2	Odisha	1733	75	6	7	1	1822	3036.6	1809.29
3	Andhra Pradesh	5503	139	17	14	4	5677	9208.69	6572.8
4	Tamil Nadu	837	210	17	3	0	1067	2569.217	1907.86
5	Puducherry	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
6	Kerala	193	67	3	0	0	263	430.57	323.9
7	Karnataka	90	8	1	0	0	99	152.77	121.71
8	Goa	22	10	2	0	0	34	96.63	69.8
9	Maharashtra	82	20	16	6	2	126	846.94	566.26
10	Gujarat	22	231	0	2	1	255	1241.35	881.81
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45	29
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	8498	769	62	32	8	9368	17653.107	12300.73

State-wise details of renewed farms during the current year (April 2020 to March 2021)

In total, 1,680 applications were received from farmers with a total area 3,388 ha (WSA 2,370 ha), (Table 4.4) and it was approved by

the Authority for renewal and endorsement to that effect has been made in the original registration Certificates.

State-wise details of renewed farms during the current year (April 2020 to March 2021) are depicted in Table 4.4.

Table 4.4. Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA from April 2020 to March 2021

			No of fai	rms und	er total	area (ha)	Area o	f farm
SI. No.	Name of States	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	ANDHRA PRADESH	1122	17	8	4	1	1152	1908.36	1346.34
2	GOA	5	4	1	0	0	10	29.00	21.30
3	GUJARAT	4	55	0	0	0	59	250.80	175.55
4	KARNATAKA	39	2	0	0	0	41	57.04	44.99
5	KERALA	14	0	0	0	0	14	16.46	10.92
6	MAHARASHTRA	6	0	0	0	0	6	12.22	9.72
7	ODISHA	144	3	3	1		151	290.47	170.71
8	TAMILNADU	183	49	12	3	0	247	823.45	591.20
	Grand Total	1517	130	24	8	1	1680	3387.80	2370.73








Figure 17: Renewal of farms (Area-wise) in all coastal states from April 2020 to March 2021




Figure 18: Renewal of farms (State-wise) in all coastal states from April 2020 to March 2021

State-wise performance of SPF *L vannamei* farming

During the year 2020-21, the Authority has registered 48 farms with total area of 80.49 ha and WSA of 58.75 ha. All the 48 farms were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming. SPF seeds (PL 12-15) supplied by the hatcheries approved by CAA were stocked in these farms and farming operations continued in biosecured conditions until harvest. CAA has so far registered and issued LoPs to 2,623 SPF *L vannamei* farms till March 2021, covering a total

area of 12,815 ha and WSA of 8,591 ha, the State-wise details of the farms are presented in Table 4.5.

The growth of *L. vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states during the years 2009-10 to 2020-21 is presented in Table 4.6. The country witnessed fast growth in farming too, starting initially with 107 farms with total farm area of 1,744.9 ha during 2009-10 which has grown steadily to 2,623 farms with total area of 12,815 ha and water spread area of 8,590 ha during 2020-21 within a period of twelve years.







Table 4.5: State-wise details of permissions granted for farming of SPF
L. vannamei since inception (December 2009) upto March 2021

S. No.	State	No of Farms	TFA(ha)	WSA(ha)
1	Andhra Pradesh (AP)	720	6,266.83	4,313.13
2	Tamil Nadu (TN)	214	1267.14	878.61
3	Gujarat (GJ)	97	1075.88	769.69
4	Maharashtra (MH)	55	1247.29	755.73
5	Karnataka (KA)	24	72.68	56.97
6	Odisha (OD)	1479	2702.58	1693.72
7	Goa (GA)	9	41.11	29.33
8	Puducherry (PY)	19	46.2	32.52
9	Daman & Diu (DD)	3	60	38.4
10	West Bengal (WB)	1	3	2
11	Kerala (KL)	2	32.56	20.46
	Total	2,623	12,815	8,591




Figure 19: State-wise details of farming of SPF L. vannamei since inception (December 2009 upto March 2021)

The state of Odisha contributed much to the growth and reached 1st place starting with five farms

with total farm area of 140.08 ha and water spread area of 83.78 ha during 2010-11 and reaching a level of 1479 farms with total farm area of 2702 ha and water spread area of 1693 ha during 2020-21 followed by Andhra Pradesh (2nd place) with 87 farms (TFA - 1236 ha and WSA 815 ha) during 2009-10 to 720 farms (TFA 6266 ha and WSA 4313 ha) during 2020-21 and Tamil Nadu (3rd place) with 38 farms having total area of 414 ha and water spread area of 258 ha during 2010-11 to 214 farms having total farm area of 1267 ha and water spread area of 878 ha during 2020-21.

In order to facilitate faster processing of proposals received from farmers for taking up SPF L. vannamei culture and issuance of CAA

registration to cope up with the faster development in the sector, CAA constituted District Level Teams (DLTs) in the Coastal States to inspect farms having water spread area below 5ha and to recommend eligible cases to CAA after verifying the essential bio security requirements.

On the basis of the recommendations of the Inspection Team and District Level Teams, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the farms are registered and LoPs are issued to the farmers.





Table 4.6. Number of LoPs issued for SPF L. vannamei farming in all Coastal States from 2009-10 to 2020-21

7			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14	
<u> </u>	State	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)									
—	Andhra Pradesh	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	Tamil Nadu	9	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	Gujarat	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
	Maharashtra	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
4	Karnataka	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	26.3	43.13
5	Odisha	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
9	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	9	31.11	22.09
7	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
8	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	09	38.4	ĸ	09	38.4
6	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
10	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	107	1744.93	1117.46	275	3744.77	2466.58	468	5921.64	3971.46	802	8436.12	5717.64	903	9152.06	6160.4




Table 4.6 Contd..





14.82 0 0 0 0 0 0 0 58.75 42.27 0.94 0.72 WSA (ha) 55.94 22.45 80.49 0 0 0 0 0 0 0 7 2020-21 TFA (ha) No.of Farms 0 0 0 22 0 0 0 0 48 1.72 0 0 0 0 0 1.72 0 0 0 0 0 WSA (ha) 0 0 0 0 0 2.36 0 0 0 0 0 2.36 TFA (ha) 4 4 0 No.of Farms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.38 25.82 79.39 11.68 0 145.77 6.5 0 0 0 0 WSA (ha) 122.83 39.36 214.77 0 0 0 15.77 0 0 0 2018-19 TFA (ha) 2 94 0 0 0 16 15 0 0 10 No. of Farms 137 66.609 11.26 0 636.04 6.49 1.80 WSA (ha) 17.95 980.09 1019.94 0 0 TFA (ha) 12 2 0 0 No.of Farms 727 749 987.8 38.4 799.26 742.73 20.46 7748.28 769.69 56.97 26.81 4289.8 WSA (ha) 32.56 1153.89 1228.13 1574.85 6238.5 1075.88 72.68 38.11 20.11 9 11497.71 TFA (ha) 11.26 66.609 636.04 0 0 6.50 0 0 0 1.80 WSA (ha) 60.086 1019.94 17.95 0 TFA (ha) 0 12 7 0 749 2015-16 0 0 ^ 0 No.of Farms 727 No.of Farms 2 3 1197 164 97 148 669 776.03 359.59 38.4 638.29 56.97 22.09 18.56 4131.25 724.51 WSA (ha) 5997.32 1123.82 1192.5 72.68 584.32 9 10018.6 904.51 20.11 29.26 TFA (ha) 1076 115 2 645 46 24 9 $^{\circ}$ No.of Farms 147 86 Name of the State Daman & Diu Maharashtra West Bengal Tamil Nadu Puducherry Karnataka Andhra Pradesh Gujarat Odisha Kerala Total Goa 유 10 4 9











Registration and Renewal of hatcheries

ealthy seed is the one of the key inputs for profitable and sustainable aguaculture. Hatcheries catering to the needs of coastal aquaculture farms are registered by CAA and they strictly follow the guidelines. Thus CAA registered private and Government hatcheries produce seed of *L.* vannamei, P.monodon, finfish and crab which are utilised by the coastal aquaculture farmers spread across the Indian coast.

In the case of *L.vannamei*, which is a non-native species (exotic) the SPF broodstock is imported from the overseas suppliers empanelled by CAA based on the recommendation of an expert committee consisting of members from National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), National Bureau of Fish Genetic Resources (NBFGR), Marine Product Export Development Authority (MPEDA) and CAA. The expert committee has also approved SPF

P. monodon broodstock suppliers. The guarantine of the imported broodstock is done at the Aquatic Quarantine Facility (AQF) operated by the RGCA of MPEDA. CAA heads a technical committee which monitors the functioning of AQF.

During the reporting period, applications from new hatcheries were scrutinised and approved. Also, hatcheries whose registration were due for renewal were considered. As provided in the Guidelines notified by the This Authority constituted an inspection committee headed by CAA, with representation from DLC, CIBA, MPEDA, NFDB, DOF and CAA to conduct inspection of the hatcheries for their status of compliance of the biosecurity and sanitary requirements for registration of the Hatcheries, Nauplii Rearing Hatcheries and annual allocation for the import of SPF broodstock for the registered hatcheries.








BOX -2

Important Regulations of SPF Litopenaeus vannamei culture in India –Notifications and Advisories issued from Gol /CAA



2008: Notification dated 15th October 2008 issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898 (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei*.

2009: The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009 Guidelines issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* laying down the criteria to breed *L. vannamei*, the technical requirements/procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and specific norms & regulations for approval and operation of farms.

2012: Notification in March, 2012 amending CAA Rules, 2005: To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, towards (i) permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10g for rearing to adult broodstock, (ii) sale of nauplii among the permitted hatcheries and (iii) shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through discard and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

2015: Notification dated 16th February 2015: Guidelines laid down for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange.

Amendment in November, 2015 to the Guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the CAA inconsonance with the provisions of CAA Act.







CAA implemented following measures to enhance production of improved quality SPF *L.* vannamei seeds

Amendment to guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of hatcheries was issued by DAHD&F so as to include all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the Coastal Aquaculture Authority.

- Simplified the procedures for registration of hatcheries by granting approvals based on the recommendation of the Inspection
- Introduced single window system for issuance of LoPs to hatcheries to dispose with the issue of LoP every year by which the DAHD&F issues SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.
- Advocated the use of CAA approved antibiotic-free aquaculture inputs only in seed production to augment supply of good quality antibiotic-free seeds to ensure food safety in the cultured produce.
- Continued approval of consortia of hatcheries based on the production capacity of the lead hatchery to help the partner hatcheries (which have poor maturation performance) to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.

Details of various activities related to seed production for coastal aquaculture are given below:

Empanelment of overseas broodstock suppliers and import by Indian hatcheries

The Technical Evaluation Committee constituted to empanel the overseas suppliers of SPF shrimp broodstock of *L. vannamei* and *P. monodon*, had evaluated the overseas suppliers through personal presentation by the suppliers during the meeting of the committee

convened in 2018 and 2019. CAA empanelled the suppliers of SPF *L. vannamei* & SPF *P. monodon* broodstock based on the genetic base and disease status in consultations with CIBA, NFDB and MPEDA. Based on the recommendations of the Committee, 14 suppliers (12 suppliers for SPF *L. vannamei* and 2 suppliers for SPF *P. monodon*) were empanelled for supply of SPF broodstock to CAA permitted hatcheries.

Import of SPF *L. vannamei* broodstock

The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, and quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods and other operational details are given in the Guidelines published by CAA. About 10,40,200 nos. of *L. vannamei* broodstock were permitted for the import by the registered hatcheries.

A total of 2,76,346 numbers of broodstock were imported from the empanelled overseas suppliers during the period from May, 2020 to March, 2021 (table 5.1). In April due to COVID 19 lockdown, broodstock were not imported. However, subsequently the import of broodstock started and the hatcheries used these for seed production.

Growth in number of SPF *L.vannamei* Hatcheries in India

Remarkable growth in *L. vannamei* hatcheries has been achieved in India in a short span of ten years. The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with nine from the commencement of the programme (July, 2009) and reached a level of 293 hatcheries in March 2021, with a production capacity of 95150 million seeds per annum. The growth of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (July, 2009) upto March, 2021 in the country and state wise growth in hatcheries during the period is presented in Table 5.1.





Table 5.1. Details of CAA approved *L. vannamei* hatcheries in India since inception (from July, 2009 upto March, 2021)

Year	No. of Hatcheries Permitted	Production Capacity (million Pl)	Permitted (Pairs)	Broodstock pairs supplied by BMC of RGCA	Imported (Pairs)
2008-09	9	0	0	0	0
2009-10	24	615	15,300	0	12,367
2010-11	21	1329	16100	0	10733
2011-12	74	5608	48720	0	18980
2012-13	105	8295	66360	0	64580
2013-14	117	8776	70,208	0	52,818
2014-15	183	13928	165156	0	99899
2015-16	259	24209	302632	9077	84729
2016-17	281	26783	339300	11065	102360
2017-18	298	29155	368300	16015	1,28,550
2018-19	310	31568	396700	9220	115570
2019-20	315	32518	407700	2025	1,24,957
2020-21	293	95150	520100	9455	1,38,173

Registration and renewal of hatcheries in 2020-21

In total, fifteen hatcheries and twenty five Nauplii Rearing Hatcheries were newly established at Tamil Nadu and Andhra Pradesh during the period from April, 2020 to March, 2021.

With special reference to renewal of registration of hatcheries during the COVID pandemic, the competent authority had given approval to extend the validity of the Registration of hatcheries which expired on 31.03.2020. In consultation with All India Shrimp Hatcheries Association (AISHA), CAA had decided to proceed with renewal of registration thereby receiving self-declaration on ownership of the hatchery in a non-judicial stamp paper to authenticate the hatchery proprietorship and for promptness in CAA inspection.

Of the 242 hatcheries whose registration expired on 31.03.2020, 225 hatcheries

expressed their readiness for inspection.
Among them, about 182 and 43 hatcheries at Andhra Pradesh, Odisha and Tamil Nadu were inspected during lockdown restricted period (March 2020) and post lockdown (June, 2020 to March, 2021) respectively, by the Inspection Committee of CAA. Considering the recommendations of the inspection committee, 209 hatcheries were renewed in the year 2020-2021 with validity extended upto 31.03.2025.

Major accomplishment related to seed production

- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, Annual Allocation Orders were issued to all the 293 hatcheries approved during 2020-21.
- LoPs for the 207 hatcheries were approved during the 64th and 65th meetings of the Authority held during 2020-21.
- The State-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in Table 5.2.









State	District	No. of Hatcheries	No. of Broodstock permitted	Production Capacity Million/Annum
Tamil Nadu	Chengalpattu	28	78400	200
	Cuddalore	1	3800	120
	Nagapattinam	4	19000	550
	Villupuram	34	114200	12965
Andhra	East Godavari	69	236200	7452
Pradesh	Guntur	10	46800	1753
	Nellore	63	213800	7455
	Prakasam	33	143600	5538
	Srikakulam	1	4200	240
	Visakhapatnam	30	110400	3312
	Vizianagram	8	30600	810
Odisha	Ganjam	6	14600	492
Gujarat	Gir-Somnath	3	9000	300
	Porbandher	2	9600	13600
West Bengal	Purba Medinipur	1	6000	6000
	Total	293	1040200	8789800

Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) for SPF *L. vannamei* Seed Production

During the period 2014-15, many registered hatcheries were not utilizing the maturation facilities even after huge investment in construction of maturation section due to delayed maturation and also due to lack of suitable technical persons. Some hatcheries depended on *L. vannamei* seed production by purchasing nauplii from nearby registered hatcheries without importing the allotted number of broodstock. Hence recognition of Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) as an authentic seed production unit was done and

as a result considerable growth of NRHs for SPF *L. vannamei* was achieved in India in a short span of five years. The number of NRHs has grown steadily, from five at the time of commencement of the programme (2015-16) and by March 2021 there were 147 units with a production capacity of 13605 million seeds per annum.


The trend in growth of Nauplii Rearing Hatcheries for SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (2015-16) up to March 2021 in the country is presented and the Year-wise growth of Nauplii Rearing Centers of the hatcheries are shown in Table 5.3.





Table5.3. Details of Nauplii Rearing Hatcheries in India since Inception (2015-16) upto March, 2021

ū				No	of NRHs	No of NRHs Permitted	pa			Ca	Capacity (in millions)	n million	S)	
S S	State	District	2015-	2016-	2017-	2018-	2019-	2020-	2015-	2016-	2017-	2018-	2019-	2020- 21
_	Andhra	East Godavari	_	9	15	51	70	84	40	675	885	3648	5212	7004
	ב מכת מכת מכת	Prakasam	2	_	m	∞	∞	6	125	40	415	885	885	985
		Nellore	0	(4	4	∞	=======================================	0	70	270	392	672	1032
		Visakhapatnam	0	0	_	∞	6	=======================================	0	0	100	822	922	1122
		Vizianagaram	0	0		5	5	5	0	0	09	440	440	440
		Krishna	0	0	—	9	4	9	0	0	09	294	177	297
		Guntur	0	0		m	m	m	0	0	80	258	258	258
		Srikakulam	0	0	0	0	_	m	0	0	0	0	160	320
7	Tamil	Villupuram	—	(5	0	9	7	100	30	1615	0	1645	1675
	5	Kancheepuram	0	0	0	2	4	4	0	0	0	110	260	260
		Nagapattinam	0	0	0		~		0	0	0	09	09	09
m	Kerala	Ernakulam	—	0	0	0	_	—	2	0	0	0	2	2
4	Gujarat	Gir-Somnath	0	~	0	0	—	—	0	0	0	0	100	100
Ŋ	Odisha	Ganjam	0	0	0	0	_	—	0	100	0	0	20	20
	To	Total	Ŋ	10	33	88	122	147	267	915	3485	6069	10843	13605









Regulations on Aquaculture Inputs

oncerns were raised by the DAHD&F and Department of Commerce as well as the Seafood Exporters Association over the reported large scale rejection of seafood meant for exports in recent times due to detection of antibiotics in the products. CAA as a Regulatory Authority is mandated to take strict measures to prevent use of antibiotics in shrimp hatcheries and farms.

Following a meeting held with the shrimp feed manufacturers at CAA on 24th July 2015; the issue was deliberated with the seafood exporters for developing standards for aquaculture inputs. A public notice to this effect was issued clarifying that the aqua farmers and hatchery operators will be permitted to use only the registered inputs in their facilities and consequently all manufacturers (indigenous) and distributors (imported) of aquaculture inputs were directed

to register each of their product with CAA by submitting test reports to the effect that they are free from the antibiotics of concern *viz.*, Chloramphenicol & Nitrofuran parent compounds and metabolites [Furazolidone-AOZ, Furaltadone-AMOZ, Nitrofuration-AHD and Nitrofurazone (Semicarbazide)-SEM.

During the year under review, CAA registered 104 Antibiotic Free Aquaculture inputs in eight categories such as feed additive, probiotic, larval feed, adult feed, chemical, disinfectant, immunostimulant and drugs, the list of which is uploaded in CAA website.

The total number of registration of antibiotic free inputs under the eight categories issued by the Authority in all the states is given in Table 6.1 and their state-wise and year-wise registration in terms of antibiotic free inputs is presented in Table 6.2.









Certificated Antibiotic free Aquaculture inputs by CAA since 2015-16



Table 6.1. Details of Registration of Antibiotic free inputs (Category-wise) issued by CAA from 2015 - 2021

SI. No.	Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	TOTAL
1	CHEMICAL	31	65	53	376	6	3	534
2	DISINFECTANT	11	35	55	180	5	6	292
3	DRUG	1	2	1	5	0	0	9
4	FEED ADDITIVE	72	281	208	859	60	54	1534
5	FEED ADULT	27	31	18	44	19	5	144
6	FEED LARVAL	37	11	14	23	2	4	91
7	IMMUNOSTIMULANT	4	12	19	57	3	1	96
8	PROBIOTIC	75	147	130	478	13	31	874
	Total	258	584	498	2022	108	104	3574



Table 6.2. Registration of Antibiotic free inputs issued by CAA from 2015 – 2021

SI. No.	State	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	TOTAL
1	Andhra Pradesh	23	120	176	805	28	47	1199
2	Delhi	0	2	0	4	0	0	6
3	Gujarat	0	0	39	77	1	8	125
4	Haryana	0	0	3	17	8	0	28
5	Karnataka	15	17	20	82	10	6	150
6	Madhya Pradesh	0	0	0	12	0	0	12
7	Maharashtra	36	97	29	140	5	13	320
8	Odisha	0	0	0	4	0	0	4
9	Tamil Nadu	117	151	136	198	39	12	653
10	Telangana	66	197	74	658	17	16	1028
11	Uttar Pradesh	0	0	11	12	0	0	23
12	Uttarakhand	0	0	0	3	0	0	3
13	West Bengal	1	0	10	10	0	2	23
	Total	258	584	498	2022	108	104	3574









Environmental Monitoring

n the year 2020-2021, twelve Monitoring Assistants (MAs) were appointed by CAA on a contractual basis for monitoring the registered farms and hatcheries, to aid in registration of unregistered farms and hatcheries, to collect samples of water and animal from farms and hatcheries and aguaculture inputs from farms, hatcheries and agua shops and to conduct awareness programme at various hotspots of coastal aquaculture in all the coastal states.

CAA teams visited 79 farms located at Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Karnataka and Goa (Table 7.1), for routine monitoring to verify the status of the farm. The main parameters analysed as per CAA Guidelines issued are pH, Suspended solids, Dissolved oxygen, Free Ammonia (as NH3-N), Biochemical Oxygen Demand-BOD, Chemical Oxygen Demand-COD, Dissolved Phosphate (as P) and Total Nitrogen (as N). The optimal ranges of each parameter are presented in Table 7.2.

Water samples collected from the final discharge point of ETS of hatcheries and farms and these were analysed in recognised labs in the same state.

Water samples were analysed in laboratories of Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University at Nagapattinam, Vaniyanchavadi and Thoothukodi, Mangalore Fisheries College in Karnataka, National Centre for Sustainable Aquaculture in coastal districts of Andhra Pradesh and Odisha, and ICAR- Central Coastal Research Institute, Goa. Analysis was done on payment from CAA.

The results indicated that the quality of water discharged from the aquaculture units including farms and hatcheries were within the limits and the coastal ecosystem is not polluted by aquaculture.

Apart from water quality monitoring, CAA participated in the NRCP program and visited 182 hatcheries located at Andhra Pradesh and Tamil Nadu along with MPEDA officials. The team collected seed samples from 45 hatcheries which were analysed by EIC in their laboratories for antibiotic residue.

ANNUAL REPORT 2020-21





Table 7.1. Details of water samples collected from hatcheries and farms in the year 2020-2021

CL No.	Name of District and State	Samp	les collected	Total Samples
Sl. No.	Name of District and State	Farms	Hatcheries	collected
1	Nagapattinam, Tamil Nadu	03	02	05
2	Ramanthapuram, Tamil Nadu	07	-	07
3	Chengalpattu, Tamil Nadu	-	10	10
4	Guntur, Andhra Pradesh	10	02	12
5	Krishna, Andhra Pradesh	05	-	05
6	West Godavari, Andhra Pradesh	05	-	05
7	East Godavari, Andhra Pradesh	20	19	39
8	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	05	05	10
9	Ganjam, Odisha	09	03	12
10	Udupi, Karnataka	04	-	04
11	Uttar Kannada, Karnataka	05		05
	Goa	06	-	06
	Total	79	41	120

Table 7.2. Standards for treatment of wastewater discharged from the aquaculture farms, hatcheries, feed mills and processing units as per CAA Rules

		Fin	al Discharge Point	
SI. No	Parameters	Coastal Marine Waters	Creek or estuarine courses when the same inland watercourses are used as water source & disposal point	
1	рН	6.0 - 8.5	6.0 - 8.5	
2	Suspended solids mg / 1	100	100	
3	Dissolved oxygen mg / 1	Not less than 3	Not less than 3	
4	Free Ammonia (as NH3-N) mg / 1	1.0	0.5	
5	Biochemical Oxygen Demand-BOD(5 days @ 20°C) mg / 1 Max	50	20	
6	Chemical Oxygen Demand-COD mg / 1 Max	100	75	
7	Dissolved Phosphate (as P) mg / 1 Max	0.4	0.2	
8	Total Nitrogen (as N) mg / 1	2.0	2.0	









Surveillance

he production facilities were inspected and the record/registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality, if any, spawning, eggs, nauplii, number of post larvae produced/sold, details of the farmers to whom the seeds were sold, validity of the CAA registration of hatcheries/farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold and other particulars as detailed in the guidelines were checked. The farmers and hatcheries were advised to maintain proper records as per the Guidelines and for submission of regular reports to CAA as prescribed. The farmers were also advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and indulge in production of seed and quality aquaculture products using CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs and Good Aquaculture Practices (GAqPs).

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedure and the quarantining of the broodstock has ensured use of only SPF L. vannamei broodstock free from OIE listed pathogen imported in to the country so far. Similarly, approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities as well as regular monitoring ensured that the guidelines are properly implemented for healthy production. Also, the wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries were monitored to

conform to the standard prescribed by CAA are maintained. All these efforts have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases.

Screening of Decapod iridescent virus 1 or DIV1 infections

All the empaneled international SPF broodstock suppliers and the importers in India especially hatchery operators were advised to screen SPF broodstock and other live material including Artemia cysts connected with shrimp Aquaculture Industry in India for Decapod iridescent virus 1 or DIV1 to ensure that they are free from Decapod iridescent virus 1 or DIV1 in addition to OIE listed pathogens, for the safety of Shrimp Aquaculture Industry in India.

Action taken against Overseas Suppliers of SPF broodstock

Action has been taken to incinerate the Parent Post Larval consignment of L. vannamei imported by M/s. BMR Blue Genetics Pvt. Ltd on 27-09-2020, from the supplier M/s. Blue Genetics, Mexico on detection of the OIE listed shrimp pathogen, the Infectious Hypodermal Haematopoetic Necrosis Virus (IHHNV), at the Aquatic Quarantine Facility, Neelankarai, Chennai. M/s. Blue Genetics, Mexico has been suspended from shipping both broodstock and Parent Post Larvae or any other form of shrimp genetic material to India till appropriate decisions are made on the empanelment to supply the same.







Action taken against Hatcheries for non-compliance of CAA guidelines in *L. vannamei* seed production

On the basis of complaints received by CAA, the committee designated by the Competent Authority, inspected and found seed production using pond reared broodstock in M/s. Sri Janani hatchery located at Vidavalur and Indukurpet Mandals, Nellore District of Andhra Pradesh on 03.06.2020. The committee destroyed the unauthorized stocks as provided under CAA Act, Rules and Regulations. Simultaneously, the bank guarantee of Rs.5.00 Lakhs (Rupees five Lakhs) was invoked as

provided under Rule 10 of the CAA Rules, 2005.

CAA has also initiated action on 52 hatcheries, for which the extended validity of registration expired on 30.06.2020, and was ordered to cease all their operations and remain closed until further orders.

Surprise inspections to check unauthorized *L. vannamei* seed production

The Inspection Committee of CAA found unauthorized seed production of *L. vannamei* in three hatcheries during its surprise check on 12.11.2020 at nine unregistered hatcheries









located at U. Kothapalli and Thondangi Mandals of East Godavari District, Andhra Pradesh. All the stocks were destroyed by the Committee and the hatchery operators were advised to take the help of DLC to submit their application for Registration.

The Inspection team consisting of members from CAA, DLC, MPEDA and CIBA had conducted a surprise check on 12.03.2021on thirteen unregistered hatcheries located at Chengalpattu District of Tamil Nadu for unauthorized seed production. One hatchery was found with unauthorized seed production and all the stocks were destroyed by the Committee. All the thirteen hatcheries were issued with an order to cease their operations and remain closed until further orders.

Scrutiny of biosecurity measures in Hatcheries and NRHs

CAA had issued an Advisory to the operators of hatcheries/NRHs emphasizing not to

produce and sell any species other than that are permitted specifically to the respective hatcheries in order to ensure appropriate biosecurity and also to avoid rearing of multiple species under a single roof compromising the bio-security.

On the direction of Hon'ble National Green Tribunal, Southern Zone, Chennai, CAA has participated in the field evaluation of Brackishwater Aquaculture farms located at Chittamuru, Vakadu and Kota Mandals of Nellore District, Andhra Pradesh and provided the required inputs on dealing with the issue to the district administration.

Action taken against the Aqua **Input Manufacturers**

Action has been initiated on six companies on receipt of lab reports showing the presence of antibiotics banned in aquaculture for Certificate of Standards for contravening a critical provision of 'Rule 5 (xii) and Sub Rule 11.7 & 11.8 of section II of CAA Rules 2005'.









Outreach Activities

During the period under report, CAA was actively involved in create awareness among farmers by visiting remote areas across the maritime states and for promotion of other good aquaculture practises. Thus, CAA has organised meetings with farmers in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal, Gujarat and Odisha.

Other states could not be covered due to the COVID-19 pandemic restrictions.

- Farmers were advised directly as well as through farmer group organizations on the need for farm registration /renewal coastal aquaculture farms with CAA and the consequences of non-registration
- Awareness programs on registration and renewal of farms for undertaking farming of shrimp (*P. monodon, SPF L. vannamei*), fin fishes, crabs, and other resources were conducted in coastal states and by sensitizing the farmers.
- Brochures /handout prepared in local languages were distributed to aqua

- farmers and related stakeholders highlighting the need for registration and renewal of coastal aquaculture farms in different coastal districts.
- Farmers and hatchery staff were educated about the ban on use of antibiotics and the consequences of detecting antibiotic residue in farmed stock or in larvae. Four Awareness programmes were organized along east coast to create awareness on the impact of usage of Antibiotic in the Aquaculture.
- A stakeholder's consultation with the hatchery operators from various regions on "World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)" was held on 23rd November, 2020 in the forenoon through video conferencing. In the meeting, various issues in the hatcheries including production of Antibiotic-free shrimp seeds have been discussed. Actionable points emerged during the meeting has been circulated to the stakeholders.



Coastal Aquaculture Authority





World Antimicrobial Awareness Week 2020 18-24 November 2020

> Stakeholders' Consultation Program 1 – Hatchery November 23rd, 2020

Strive for High Quality Antibiotic Free Seed

Coastal Aquaculture Authority
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
9th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department,











CAA Team in West Bengal: Creating awareness programme on Farm Registration and supporting famrs to register their farm with CAA



- A stakeholder's consultation with the farmers from various regions on World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) was held on 24th November, 2020 in the forenoon through video conferencing. In the meeting, various issues in the farms including production of Antibiotic free shrimp have been discussed. Actionable points emerged during the meeting has been circulated to the stakeholders.
- A meeting with representatives of All India Shrimp Hatcheries Association, Tamil Nadu Chapter was held on 11.02.2021. In this meeting, various issues related to the operation of hatcheries have been discussed.
- A meeting with representatives of Shrimp Farmers of Nagapattinam District, Tamil Nadu was held on 12.02.2021. In this meeting, various issues related to the Registration and Renewal of Registration been discussed.







New Initiatives

Facilitation Centre at Vijayawada


Understanding the need to have more stronger surveillances and implement CAA Rules and regulations and also to extend support to farmers in adopting CAA guidelines and regulations, CAA wanted to start units / facilitation centres in different coastal states. Based on this, CAA had requested the Commissioner of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh to provide an independent office space with a minimum area of around 750 sq. ft., free of cost for establishing a facilitation centre of CAA at Vijayawada, Andhra Pradesh. The Special Chief Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Andhra Pradesh visited CAA on 6th March, 2021 and approved to operationalize the first facilitation Centre of CAA at Vijayawada, Andhra Pradesh on 18th March, 2021.

As per the decision taken in the Authority meeting, the first Facilitation Centre of CAA has been operationalized at Vijayawada, Andhra Pradesh on 18.03.2021. The primary objective of the centre is to support the farmers and Department of Fisheries in speeding up the registration/ renewals of coastal aquaculture

farms, creating awareness among farmers on bio-security aspects, disease surveillance, monitoring, regular collection of water samples for monitoring environmental parameters, build up strong database and for regular monitoring of aquaculture units.

Identity card (ID) for Coastal Aqua Farmers

CAA had formally launched the new initiative for the issuance of ID Cards to coastal Aqua famers. All the DLCs of the State were requested to provide the personal details of the owners/operators of registered coastal aqua farmers to issue ID Cards to Coastal Aqua Farmers in India.



















Targets for 2021-22

The COVID-19 pandemic may affect normal functioning of CAA especially in organizing awareness programs in villages, but taking advantage of the technological advancements, CAA would ensure that the stakeholders are not affected. We have prepared a list of activities which we hope plan to implement in 2021-22.

Registration and renewal of coastal aquaculture farms

Registration and renewal of coastal aquaculture farms is a continuous process. Targeted efforts will be made to register more farms in all maritime states with more focus on top five shrimp production states, since a rapid survey and analysis of state-wise production indicated the need to contact more farmers and make them register / renew the farm registration with CAA.

Registration and renewal of hatcheries and NRHs

All hatcheries whose registration is to be renewed in 2021-22 will be contacted and their renewal process will be completed before March 2022. Applications for new hatchery construction will be scrutinised and followed up without any delay.

Approval for L. vannamei culture

Applications from farmers planning to shift to *L.vannamei* culture will be processed as per CAA guidelines and LoPs will be issued without delay at CAA.

Inspection and Environment Monitoring

Regular monitoring of the facilities especially those related to bio-security and effluent treatment will be undertaken in different maritime states. The operation of ETS, the quality of wastewater discharged from coastal aquaculture farms and hatcheries will be analysed to check whether they meet the optimum ranges prescribed in the CAA guidelines. These guidelines which are based on the main environment principles like the Precautionary Principle and Principle of sustainability are to be followed by the aquaculture stakeholders which would ensure preservation of natural biodiversity and ecosystem services.

Water Quality Analysis

Different Government and University laboratories which have facilities to analyse water samples will be identified and agreements will be made with them to analyse water samples collected by CAA from different areas across the east and west coasts. Water samples collected from across the coastal districts will be analysed at the nearest approved laboratories. This would reduce the burden of transporting samples, facilitate more linkages with different organizations in coastal states and ensure faster delivery of results for timely action.







Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs

Since the awareness on Antibiotic residue is being stronger among farmers and hatchery operators, more products are expected to be registered. Also renewal of products already registered is also expected in 2020-21. Apart from this sampling of products certified and inspections are also planned through the task force committee

Awareness Programmes

Awareness programmes on need for environment protection, farm registration and renewal, sustainable development of coastal aquaculture activities, good aquaculture practices and antimicrobial awareness programmes will be organised in different coastal districts.

Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on important matters from time to time to caution

stakeholders on unauthorised activities and for taking precautionary measures to avoid occurrence of diseases as well as advise the stakeholders on current affairs and happening in aquaculture sector towards achieving the goal of sustainable aquaculture.

Preparation of Manuals/ Brochures

Brochure and pamphlets highlighting salient features of CAA rules and regulations, good aquaculture practices and harmful impacts of anti-biotic use and other matter relevant to coastal aquaculture will be prepared.

Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would be shared. Meetings with DLC member conveners will also be organised to understand the problems in farm registration and renewal.







Participation in National and International Events by CAA

Participation of CAA members / officers in national and international meetings/ seminars/symposia organized by other institutes

Almost all meetings organised by other organisations were by video conferencing and the list of meetings attended by the Member Secretary and Director (Tech) during the period are given below

National

- Member Secretary participated in the 38th Executive Committee Meeting of NFDB held on 26.10.2020 through Video conference.
- Member Secretary attended the relaunching of BMC reared L. vannamei broodstock organised by MPEDA at Mamallapuram, Tamil Nadu on 09.01.2021.
- Member Secretary participated in the Webinar held on 08.03.2021 on the International Women's Day 2021 organised by Department of Fisheries, Govt. of India.
- Member Secretary participated in the International webinar held on 12.03.2021 on Sustainable Marine Fisheries and Aquaculture organised by University of Kerala, Department of Aquatic Biology and Fisheries – Delivered lead talk on

Vulnerability of fisheries sector to climate change and the need to increase the adaptive capacity and preparedness of coastal communities through Climate Smart Villages.

- Member Secretary and Director (Technical) attended the meeting organised by the Department of Commerce and Industries, Government of India with officials and stakeholders on 15.05.2020 to resolve the issues in NRCP samples collection from hatcheries.
- Member Secretary and Director (Technical) attended the meeting held on 07.09.2021 organised by Department of Fisheries, GoI to discuss the comprehensive strategy to ensure that the fisheries sector regains its momentum after being impacted by COVID 19 and achieves the envisaged target of doubling exports by 2024-25.
- Member Secretary and Director (Technical) attended the Review meeting held on 09.10.2020 on 'Dashboard of dashboards' with Additional Secretary to Prime Minister.
- Member Secretary and Director (Technical) attended the Meeting organised by Department of Commerce to discuss issues related to antibiotic residues on 20.10.2020.







- Member Secretary and Director (Technical) attended the Video conferencing on projects for the development of coastal fishery communities in convergence with Sagarmala Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) organised by Department of Fisheries, Govt. of India on 11.11.2020;
- Member Secretary and Director (Technical) attended the Meeting of the Committee to review establishment and operation of NBCs and BMCs in the country held on 21.12.2020;
- Member Secretary and Director (Technical) attended the 63rd Executive Committee meeting of RGCA through Video conferencing on 19.01.2021;

- Member Secretary and Director (Technical) attended the 18th meeting of Project Screening Committee constituted by Department of Fisheries, Govt. of India under the guidelines for establishment and operation of SPF shrimp BMC through Video conference on 17.02,2021.
- Director (Technical) attended the Meeting of the Expert Group reconstituted to review and finalized the draft Bill on the Fisheries and Aquaculture Council of India in the same line of Veterinary Council of India held on 28.10.2020.

International

 Member Secretary attended the FAO virtual Regional workshop held on 09.12.2020 & 10.12.2020 on Bivalve Molluscs Sanitation.









In-house Activities

CAA has organised various programs as per the instructions of Government of India. These activities were planned and implemented in a time bound manner with participation of all staff and monitoring assistants of CAA. We have not invited any chief guest from other organizations because of COVID -19 restrictions. However, all the programs were conducted within CAA following COVID-19 protocols like social distancing, use of sanitizers and wearing of face masks. A brief report of various activities is given below

Hindi week celebration

Every year a fortnight from 14
September the Rajbhasha Week
/ Hindi Week is celebrated. This
office celebrated Hindi Pakhwada
from 14.09.2020 to 28.09.2020 by
conducting various competitions
among officers and staff.
Competitions include Hindi Noting
and Writing format, Quiz, Short Story
Telling, Singing Song and Drama
in Hindi and they were conducted
individually and team-wise. The cash
prizes were given to the winners of
the competition.

Swatchatha Pakwada

The Swachh Bharat Abhiyan, launched on 02.10.2014, campaign launched by the Government of India is the most popular and significant drive to promote cleanliness in across the Nation. It is believed that a clean India would be the best tribute we could pay to Mahatma Gandhi, father of our Nation. This year CAA observed the Swatchatha pakwada by organizing a cleaniness drive within the organization in different sections.













Vigilance week celebration

Coastal Aquaculture Authority observed Vigilance Awareness Week from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020. As part of Vigilance Awareness Week, CAA officials have taken the Integrity pledge on 27th October, 2020; quiz and drawing Competitions were conducted to CAA officers and Staff on the subject "Vigilance



STATE-WISE COASTAL AQUACULTURE STATUS 2020-2021











State-wise Review of Shrimp Farming 2006-2021

quaculture is a growing sector, with economically viable technologies for farming of diverse aquatic species being developed and refined year after year. The R&D and promotional activities by different groups of researchers, planners and promoters has led to the adoption of various new types of farming in the country especially, cage culture of finfish, sea weed farming, crab fattening, bivalve farming and ornamental fish culture in addition to shrimp farming. However, shrimp farming still remains as the most popular coastal aquaculture activity and the fact that

this has led to a production of 843361 tonnes in 2020-21 is a valid indication of the popularity of these crustaceans as candidate species for aquaculture and also as a premier export product in the international market. Though there are fish and crab farms registered with CAA, majority of farmers registered with CAA during this 15 year period are practising shrimp farming in ponds in coastal area. Considering this fact, this section on shrimp aquaculture in the coastal states and UTs from 2006 to 2021 is presented.

COASTAL AQUACULTURE INDIA Global Rank of India 1st 2nd 2021 White-leg shrimp Tiger Shrimp Main resource Letopenaeus vannamei Penaeus monodon Shrimp Production 96.7% 3% 843361 tonnes 815745 tonnes 27, 615 tonnes

ANNUAL REPORT 2020-21





A review of the status of shrimp farming in the maritime states and UTs was done and the main findings are given below. Data on *L. vannamei* and *P.monodon* production published by MPEDA in their official web site was used in the analysis. Details pertaining to number of farms, area-wise farms in different states, the number of hatcheries and Nauplii Rearing Hatcheries and their seed production capacity in each district are from CAAs database. The state wise review presented is on alphabetical order.

Andhra Pradesh (AP)

 AP ranked first in shrimp production with 6,39,894 Mt with a productivity of 8.59 MT ha⁻¹ yr⁻¹ contributing to 76 percentage of national shrimp production

- Apart from the State Level Committee (SLC), there are nine District Level Committees (DLC) in the coastal districts of East Godavari, Guntur, Krishna, Nellore, Prakasam, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram and West Godavari which process the applications for coastal aquaculture farm registration and renewal
- With 20343 farms the state has 51 %
 of the total CAA registered farms in the
 country. Area wise, 93% of farms are small
 farms with less than 2 ha area and 6% are
 between 2.1 to 5 ha group.
- East Godavari district has the highest number of farms contributing to 26% of the states total, followed by Nellore and Krishna districts.




Fig 1 District wise Total area (TA) of farms registered with CAA and their percentage contribution to state total

- AP has the highest number of seed production units, 372 numbers including 240 hatcheries and 132 Nauplii Rearing Hatcheries. The seed production capacity is 38018 million per annum which forms 73% of the country's total shrimp seed production capacity.
- Hatcheries are established in all coastal districts except in West Godavari and
- Krishna districts. However, there are six NRH in Krishna district with a production capacity of 297 million seeds per annum.
- East Godavari district has the highest seed production capacity 14456 million seed per annum from 78 hatcheries and 84 NRHs followed by Nellore district 8487 million seed per annum from 74 hatcheries and 11 NRHs





Total





	District wise farms -AP and their contribution to state total											
SI.No	District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total- TA	% of state total- WSA					
1	EAST GODAVARI	5390	6795.17	4752.31	26.15	23.05	23.09					
2	GUNTUR	2503	3399.48	2618.49	12.14	11.53	12.72					
3	KRISHNA	3835	4604.02	2981.58	18.61	15.62	14.49					
4	NELLORE	3959	7585.97	4646.14	19.21	25.73	22.58					
5	PRAKASAM	2123	3496.55	2690.3	10.3	11.86	13.07					
6	SRIKAKULAM	665	904.49	723.85	3.23	3.07	3.52					
7	VISAKHAPATNAM	128	597.59	472.85	0.62	2.03	2.3					
8	VIZIANAGARAM	12	35.77	27.25	0.06	0.12	0.13					
9	WEST GODAVARI	1997	2059.14	1667.47	9.69	6.99	8.1					

Table 2. Details of District-wise hatcheries and NRHs registered with CAA in Andhra Pradesh

29478.18

20580.24

20612

SI. No.	State / District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	No of NRHs Permitted	Capacity (in millions)	HAT +NRH Number	HAT +NRH Capacity
1	Nellore	74	7455	11	1032	85	8487
2	Prakasam	36	5538	9	985	45	6523.33
3	Guntur	11	1753	3	258	14	2011
4	East Godavari	78	7452	84	7004	162	14456
5	Visakhapatnam	31	3312	11	1122	42	4434
6	Vizianagaram	8	810	5	440	13	1250
7	Srikakulam	2	240	3	320	5	560
8	Krishna			6	297	6	297
	Total	240	26560.3	132	11458	372	38018.3

ANNUAL REPORT 2020-21





Goa

- The State has DLCs in two districts, North Goa and South Goa in addition to the State level committee where the coastal aquaculture applications of farmers are processed and recommended to CAA for consideration of registration.
- The state has 43 farms registered with CAA covering a total area of 168 ha (120 WSA).
- Majority of the farms (53%) are small farms of less than 2 ha area and 36 percent are farms of size 2.1 to 5 ha area. The state has farms (11 %) with more than 5 ha area.
- There are no registered hatcheries or Nauplii Rearing Hatcheries in Goa.
- With a productivity of 2.44 Mt/ha/Yr the total production has been reported as 78 Mt in 2020-2021




Fig 2 District wise percetage contibution to state total area of farms registered with CAA

Table 3. Details of District-wise farms registered with CAA in Goa

	District wise farms - Goa and their contribution to state total										
SI.No	District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total-Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA				
1	NORTH GOA	19	85.5	63.29	44.2	57.5	59.1				
2	SOUTH GOA	24	63.3	43.75	55.8	42.5	40.9				
	Total	43	148.8	107.04	100.0						

Gujarat

- The state has nine DLCS spread across the coastal districts of Surat, Navsari, Valsad, Bharuch, Amreli, Junagadh, Gir somnath, Bhavnagar and Porbander and these have supported registration of 947 farms with a total area of 4151 ha.
- Maximum number of farms (38.3%) are in Surat, followed by , Navsari (32.2%) and
- Valsad (14 %). However, the Total area and WSA is higher in Navsari than Surat.

- In Gujarat, 75 percent of the farms are in the 2.1 to 5 ha area category and 24% are small farms of less than 2 ha area. The state has large farms above 5 ha area also.
- In 2020-21 with a production of 50,526 tonnes Gujarat contributed to 6% of the national total. Gujarat has ranked 3rd among the maritime states consistently since 2017-18.








Fig 3. District wise total area (TA) of farms registered with CAA and their percentage contribution to state total

Coatsal districts of Gujarat

- The state recorded highest production of 73,842 tonnes in 2019-20contributing to 9.9% of the national total. The growth in shrimp production has been spectacular since 2009-10 improving the ranking from 5th to 3rd position
- There are 09 seed production units (8 hatcheries and one NRH) spread across four coastal districts; Porbandher (3 nos),
- Gir-Somnath (3 nos), Junagadh (2 nos) and Valsad (01 no) with a total production capacity of 1095 million seed per annum.
- Porbander has the highest capacity 560 million seed per annum contributing to 51% of the states capacity. Gir Somanth has the states single NRH, which along with two hatcheries contribute to 37% of the state's production capacity.

Table 3. Details of District-wise farms registered with CAA in Gujarat

	District wise farms -Gujarat and their contribution to state total											
SI. No	District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total-Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA					
1	Surat	368	1304.58	946.22	38.3	31.2	31.6					
2	Navsari	310	1659.62	1187.14	32.2	39.7	39.7					
3	Valsad	135	512.56	388.49	14.0	12.3	13.0					
4	Bharuch	118	581.39	388.52	12.3	13.9	13.0					
5	Amreli	12	58.65	39.85	1.2	1.4	1.3					
6	Junagadh	12	44.53	28.25	1.2	1.1	0.9					
7	Girsomnath	5	13.54	10	0.5	0.3	0.3					
8	Bhavnagar	1	5	3.2	0.1	0.1	0.1					
9	Porbander	1	2	1.6	0.1	0.0	0.1					
	Total	962	4181.87	2993.27								





Table 4. Details of District-wise hatcheries and NRHs registered with CAA in Gujarat

District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	Number of broodstock permitted (nos.)	No of NRHs Permitted	Capacity (in millions)	HAT +NRH Number	HAT + NRH Capacity
Junagadh	2	95	2800	-		2	95
Valsad	1	40	1200	-		1	40
Gir-Somnath	2	300	7200	1	100	3	400
Porbandhar	3	560	13600	-		3	560
Total	8	995	24800	1	100	9	1095

Karnataka

- Apart from State Level committee there are three DLCs, in Udupi, Uttar Kannada and Dakshina Kannada which have supported the registration of 315 farms covering 464 ha area.
- Though the number of farms are highest, (51%) in Udupi, the area under culture is highest in Uttar Kannada (66%).
- Majority (85%) of the farms in the state are small farms of less than 2 ha. Farms of size 2.1 to 5 ha contribute to 13 percent of the total farms and the rest are above 5 ha.
- Total Production of shrimps was estimated as 3,186 Mt from 3,145 ha indicating a productivity of 1.01 Mt/ha/Yr
- There is one CAA registered hatchery in Uttar Kannada with a production capacity of 60 million seed per annum. There are no Nauplii Rearing Hatcheries.




Fig 4 Percentage contribution of total farmed area of different districts to the total farmed area the State of Karnataka

Table 5. Details of District-wise farms registered with CAA in Karnataka

District wise farms - Karnataka and their contribution to state total										
District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA				
UDUPI	159	135.782	111.39	50	29	32				
UTTAR KANNADA	128	305.62	222.76	41	66	63				
DAKSHINA KANNADA	28	22.61	18.61	9	5	5				
Total	315	464.012	352.76							









State	District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	Number of broodstock permitted (nos.)	
Karnataka	Uttar Kannada	1	60	1600	

Kerala

There are nine coastal districts Ernakulam, Thrissur, Alappuzha, Kannur, Kollam, Kozhikode, Malappuram, Thiruvananthapuram, Kasaragod and each district has a committee to scrutinize the applications received from farmers and there is also the SLC.

 About 1432 farms have been registered with CAA covering an area of 2896 ha. Most of the farms (80%) are less than2ha area, while 17% are within 2.01 to 5 ha area category and 2% above 5 ha area.

- Maximum number of farms are in Ernakulam (26.6%) followed by Thrissur (24%) and Alappuzha (20.6%).
- The total shrimp production has been estimated as 1,868Mt from an area of 2,971ha indicating a productivity of 0.63Mt/ ha/Yr.Farmed shrimp production in the state has been declining over the decade, from the highestof 8138 tonnes in 2011-12.
- There are no CAA registered hatcheries in Kerala.




Fig 5 District wiaw total area (TA) (ha) of CAA registered farms and their percentage contribution to state total





Table 7. Details of District-wise farms registered with CAA in Kerala

District wise farms -Kerala and their contribution to state total

District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA
ERNAKULAM	381	850.38	630.2	26.6	29.4	31.6
THRISSUR	344	704.91	555.78	24.0	24.3	27.9
ALAPPUZHA	295	442.43	254.8	20.6	15.3	12.8
KANNUR	213	633.61	384.9	14.9	21.9	19.3
KOLLAM	136	140.09	80.72	9.5	4.8	4.1
KOZHIKODE	28	62.16	44.09	2.0	2.1	2.2
MALAPPURAM	16	19.1	13.51	1.1	0.7	0.7
THIRUVANANTHAPURAM	11	24.41	14.31	0.8	0.8	0.7
KASARAGOD	8	19.35	13.46	0.6	0.7	0.7
Total	1432	2896.4	1991.8			

Maharashtra

- The state level committee and five DLCs in the coastal districts of Thane, Raigad, Sindhudurg, Ratnagiri and Palghar are responsible for scrutiny of the application forms. A total of 304 farms have been registered, with a total area of 2310 ha.
- Maximum number of farms are in Thane district, 66.3% followed by Raigad (21%).
- Majority of the farms (43%) are in the area category, 2.01 to 5.0 followed by small

- farms (upto 2 ha area) which form s 40% of the total. Farms between 5.01 to 10 ha area form 8% of the total registered farms and the rest (7%) between 10.1 to 40 ha.
- The total production of farmed shrimp was estimated as 4,204Mt from an area of 1,183ha indicating a productivity of3.55 Mt/ha/Yr. The highest production was in 2016-17, 6842 tonnes but thereafter it has decreased.
- There are no CAA registered hatcheries or Nauplii Rearing Hatcheries in Maharashtra.





THANE

RAIGAD




Fig 6 District wise total farmed area (TA) in Maharashtra and their contribution

Coastal districts of Maharashtra

SINDHUDURG

RATNAGIRI

PALGHAR

Table 8. Details of District-wise farms registered with CAA in Maharashtra

	District wise farms - Maharashtra and their contribution to state total										
SI. No	District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA				
1	THANE	117	1530.9	940.27	38.5	66.3	64.2				
2	RAIGAD	75	486.65	309.61	24.7	21.1	21.1				
3	SINDHUDURG	55	131.98	95.66	18.1	5.7	6.5				
4	RATNAGIRI	44	135.38	102.61	14.5	5.9	7.0				
5	PALGHAR	13	25.76	17.51	4.3	1.1	1.2				
	Total	304	2310.67	1465.66							

Odisha

- Apart from the state committee there are seven District level committees at Balasore, Bhadrak, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara, Ganjam and Khordha. There are 10773 registered farms in Odisha and these contribute to 26.9% of the total farms registered with CAA (second largest, after AP). The total area and WSA are 13358 ha and 8221 ha respectively.
- Balasore has the highest number of farms (31%) followed by Bhadrak. However, the area under culture is higher at Bhadrak (34%) than Balasore (29%).
- Majority (94%) of the farms in all the districts of Odisha are small farms of

- less than 2 ha and about 4% of farms are between 2.01 to 5 ha area. Larger farms form 1%
- The total production of farmed shrimp has been estimated as 44,555 Mt from an area of 11,200 ha indicating a productivity of 3.98 Mt/ha/yr. The state ranked 4th at the national level.
- L. vannamei production in the state started only by 2013-14. But in 2020-21 95% of the states production was this species.
- The state has seven seed production units registered with CAA; six hatcheries and one NRH with a total production capacity of 632 million seed per annum located in Ganjam (5 hatcheries and one NRH) and at Puri (one hatchery)

ANNUAL REPORT 2020-21








Fig 7 District-wise Total area (TA) (ha) of farms registered with CAA and the percentage contribution to state total

Table 9. Details of District-wise farms registered with CAA in Odisha

	District wise farms - Odisha and their contribution to state total										
SI. No	District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA				
1	BALASORE	3460	4079.95	2436.61	31	30	29				
2	BHADRAK	3187	4817.19	2887.752	29	36	34				
3	PURI	2120	2142.66	1372.01	19	16	16				
4	JAGATSINGHPUR	944	1018.764	684.13	9	8	8				
5	KENDRAPARA	788	926.24	701.8	7	7	8				
6	GANJAM	574	494.77	339.49	5	4	4				
7	KHORDHA	7	11.44	6.82	0	0	0				
	Total	11080	13491.01	8428.612							

Table 10. Details of District-wise hatcheries and NRHs registered with CAA in Odisha

SI. No.	State / District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	Number of broodstock permitted (nos.)	No of NRHs Permitted	Capacity (in millions)	HAT + NRH Number	HAT +NRH Capacity
1	Puri	1	90	2400	0	0	1	90
2	Ganjam	5	492	12000	1	50	6	542
	Total	6	582	14400	1	50	7	632









- Apart from SLC there are 13 DLCs in the coastal districts of Chengalpattu, Cuddalore, Kanyakumari, Mayiladuthurai, Nagapattinam, Pudukottai, Ramanathapuram Thanjavur, Thiruvallur, Thiruvarur, Thoothukudi, Villupuram, Tirunelveli.
- The state has 1939 farms and maximum number of farms are in Nagapattinam district (45%) followed by Thanjavur (15%).
 The same dominance was observed in total area and water spread area.
- Small farms of less than 2 ha formed 58% of the farms followed by slightly bigger farms of 2.01 to 5 ha (34%). Farms with area 5.01 to 10 ha formed 7 percent and larger farms 10.1 to 40 ha were one percent.
- The total production was estimated as 44,816 Mt from an area of 8,630 ha indicating a productivity of 5.19 Mt/ha/Yr.

- L. vannamei farming started in 2011-12 and now 99.7% of the area is used for L. vannamei farming
- The production was highest 49054 tonnes in 2015-16 (contributed to 8.9% of national total)
- The state has the second largest facility for shrimp seed production, with 86 units consisting of 74 hatcheries and 12 NRHs with a combined seed production capacity of 17949 million per annum. The seed production capacity is highest 14640 million per annum at Villupuram (83 percent of the states total followed by Chengalpattu (13%)
- The hatcheries are distributed in six districts with maximum in Villupuram (39 nos) followed by Chengalpattu (27 nos), Nagapattinam (4 nos), Cuddalore (1 no), Ramanathapuram (1 no), Chengalpattu (2 nos). NRH are distributed in Villupuram (7 nos), Kancheepuram (4 nos) and Nagapatinam (1no).




Fig 8 District wise details of Total area (TA) (ha) of farms reistered with CAA and their percentage contribution to state total

ANNUAL REPORT 2020-21

Total





Table 11. Details of District-wise farms registered with CAA in Tamil Nadu

	District wise farms – Tamil Nadu and their contribution to state total									
SI.No	District Names	Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA			
1	NAGAPATTINAM	876	2139.79	1614.72	45	39	42			
2	THANJAVUR	301	828.14	618.86	15	15	16			
3	THIRUVARUR	154	527.08	394.45	8	10	10			
4	CUDDALORE	151	379.95	252.26	8	7	7			
5	RAMANATHAPURAM	128	719.765	306.08	7	13	8			
6	VILLUPURAM	98	182.08	128.82	5	3	3			
7	THIRUVALLUR	97	292.82	217.96	5	5	6			
8	CHENGALPATTU	81	180.753	102.47	4	3	3			
9	PUDUKOTTAI	57	161.63	121.15	3	3	3			
10	THOOTHUKUDI	22	131.16	88.38	1	2	2			
11	KANYAKUMARI	1	0.6	0.5	0	0	0			

Table 12. Details of District-wise hatcheries and NRHs registered with CAA in Tamil Nadu

3845.6

5543.7

1966

SI. No	State / District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	No of NRHs Permitted	Capacity (in millions)	HAT +NRH Number	HAT +NRH Capacity
1	Villupuarm	39	12965	7	1675	46	14640
2	Kancheepuram	27	2069	4	260	31	2329
3	Nagapattinam	4	550	1	60	5	610
4	Cuddalore	1	120	0	0	1	120
5	Ramnathapuran	1	50	0	0	1	50
6	Chengalpattu	2	200	0	0	2	200
	Total	74	15954	12	1995	86	17949









- With 3908 farms covering a total area 3715 ha the state has 9.76 % of the total CAA registered farms in the country. Area wise, 95% of farms are small farms with less than 2 ha area and the rest 5 percent between 2.01 to 5 ha group.
- With a production of 54582 tonnes WB stood at 2nd position contributing to 6.5% of the total national production with a productivity of 0.97 MT /ha/yr
- The percentage contribution by the state to national shrimp production declined from 34.5% in 2009-10 to 6.5% in 2020-21, though there was marginal increase in production.
- Apart from the SLC there are three DLCs, Purba Medinipur, South 24 Parganas and North 24 Parganas which support in registration of coastal aquaculture farms.
- Majority (47%) of the CAA registered farms are in Purba Medinipur followed by South 24 Parganas (30%), and North 24 Parganas

- (23%). Farming of L vannamei was started only in 2013-14.
- The state has one CAA registered hatchery which is located at Purba Medinipur with a production capacity of 250 million seeds per annum




Fig 9 Percentage contribution of total farm area different districts to the state total

Table 13. Details of District-wise farms registered with CAA in West Bengal

	District wise farms – West Bengal and their contribution to state total								
SI. No	District Names	Total no of farms	Total area	Water spread area	% of state total- Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA		
1	PURBA MEDINIPUR	1952	1368.082	1026.014	47	35	39		
2	SOUTH 24 PARGANAS	1254	1311.436	771.7932	30	34	29		
3	NORTH 24 PARGANAS	961	1230.764	850.735	23	31	32		
	Total	4167	3910.282	2648.542					





Table 14. Details of District-wise hatcheries and NRHs registered with CAA in West Bengal

State	District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	Number of broodstock permitted (nos.)
West Bengal	Purba Medinipur	1	250	6000

Union Territories:

Puducherry, Daman and Diu, Andaman and Nicobar

- Among the three UTs, only in Puducherry shrimp aquaculture is practised in a large scale. There are three DLC s at Yanam, Karaikal and Puducherry districts and the UT has 74 farms covering a total area of 120 ha. Majority (40%) of farms are in Yanam district, followed by Karaikal (39%) and Puducherry (21%). 93 percent of farms are small, less than 2ha; 5 percent between 2.01 to 5 ha and the rest between 5.01 to 10 ha area group.
- In Daman and Diu there were 12 farms registered with CAA in 2008-09 and in 4 farms during 2011-2013 period.
- There are no hatcheries in any of the UTs

- Five farms were registered from A&N islands
- There are no CAA registered farms in Lakshadweep




Fig 10. District wise percentage contribution of total area TA (ha) of CAA registered farms to the UTs total farmed area

Table 15. Details of District-wise farms registered with CAA in Puducherry

	District wise farms – Puducherry and their contribution to state total									
SI. No		Total no. of farms	Total area	Water spread area	% of state total-Farms	% of state total-TA	% of state total-WSA			
1	YANAM	31	46.61	37	42	39	40			
2	KARAIKAL	25	49	35.88	34	41	39			
3	PUDUCHERRY	18	25.04	18.81	24	21	21			
	Total	74	120.65	91.69						









Finance

(i). Summary of actual financial results for financial year 2020-21

The Accounts pertaining to the financial year 2020-21 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grantin-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 2 (two) installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned GIA of Rs.450 lakhs for the financial year 2020-21. Ministry has admitted Revised Estimates for Rs.300 lakhs and this office utilized the full amount.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2020-21 are as follows:

Major Head 2405

Sub Head - 131731Grant-in-Aid (General)

- 131736 Grant-in-Aid (Salaries)

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
450	300	300	300	0.00

(₹ in Lakhs)

SI. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2021-22
1	Coastal Aquaculture Authority	131731Grant-in-Aid (General) 131736 Grant-in-Aid (Salaries)	400

(ii). Details of the Annual Accounts for the year 2020-21

The Details of the Annual Accounts for the year 2020-21 are presented in ANNEXURE







Staff and Existing Organizational Structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2020-21 is as follows:

SI. No	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No. of staff repatriated during the year	No. of new staff added during the year	Staff at the end of the year
1	Α	Director	1	1	0	0	1
		Asst. Director	1	0	0	0	0
		Sr. Admin. Officer	1	0	0	1	1
2	В	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech. Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	0	0	0	0
		Steno. Gr. 'C'	2	0	0	0	0
3	С	Sr. Clerk	2	0	0	0	0
		Steno. Gr. 'D'	1	1	0	0	1
		Jr. Clerk	2	1	0	0	1
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	4	0	0	4
		Total	21	13	0	1	14









SI. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
1	Consultants	3	0	9	12
2.	Computer Programmer	1	0	0	1

On contract through a Manpower Agency

SI. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
1.	Computer Programmer	0	0	1	1
2.	Support Staff	1	0	0	1

Recruitment / Retirement / Repatriation / Deputation

- **Dr. V. Kripa,** Principal Scientist, CMFRI, Kochi took charge as member secretary of CAA w.e.f. 22.04.2020.
- **Shri. D. Kanakasabapathi,** Senior Administrative Officer joined on deputation basis on 31st August, 2020.

18 Right to Information Act

Totally 14 (fourteen) applications were received under RTI Act during the year 2020-21. Information sought were furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts of CAA and Separate Audit Report of the C & AG for the year 2020-21









GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILIITES			
CORPUS /CAPITAL FUND	1	(54,26,122)	59,71,178
GOI - GRANT	1	-	1,44,00,280
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	12,54,12,520	9,56,08,528
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	3,14,45,424	1,70,42,137
TOTAL		15,14,31,822	13,30,22,124
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	62,84,327	71,23,198
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	5	10,50,29,122	3,225,916
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	6	4,01,18,374	12,26,73,010
TOTAL		15,14,31,823	13,30,22,124
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-Sr. Admin. Officer Sd/-Member Secretary

ANNUAL REPORT 2020-21





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Grants/ Subsidies	7	2,98,05,684	3,09,78,615
Fees/Subscriptions	8	170	860
Income from Investments (Income on Invest from earmarked/endow.Funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	7,33,555	6,09,716
Other Income	11	-	17,475
TOTAL(A)		3,05,39,409	3,16,06,666
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	1,62,75,760	1,34,15,055
Other Administrative Expenses etc.	13	1,63,46,187	1,75,63,560
Expenditure on Grants, Subsidies etc.,		-	-
TOTAL(B)		32,621,947	3,09,78,615
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		(20,82,538)	6,28,051
Depreciation	4	10,33,187	11,96,022
Prior Period Items			
- Software Development		2,42,589	-
- Employee Benefits		76,28,016	-
T ransfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(1,09,86,330)	(5,67,971)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-Sr. Admin. Officer Sd/-Member Secretary









GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

RECEIPTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount - ₹)

Possints	(Amou	(Amount-Rs.)	
Receipts	Current Year	Previous Year	
1. Opening Balances			
a) Cash in hand	-	-	
b) Bank Balances			
i) In current accounts	-	-	
ii) In deposit accounts	-	-	
iii) Savings accounts	9,77,91,945	8,53,77,602	
Funds in transit	2,26,00,000	-	
iv) IOB - '10000	-	-	
Opening Balance - Adjustment	-	(172)	
II. Grants Received			
a) From Government of India-			
Capital Receipts	1,94,316	1,03,250	
Revenue Receipts			
GIA Salary	1,50,00,000	2,15,00,000	
GIA General	1,48,05,684	2,33,96,750	
b) From State Government	-	-	
c) From Other Source	-	-	
(Grants for capital & revenue exp to be shown separately)			
III. Income on Investment from			
a) Earmarked/Endowment Funds(FDR Interest)	-	-	
b) Own Funds (other Investment)	-	-	
IV. Interest Received			
a) On Bank deposits	7,33,555	6,09,716	
b) Loans, Advances etc.	-	-	





Pagainto	(Amou	unt-Rs.)
Receipts	Current Year	Previous Year
c) On Earmarked fund	23,63,778	47,57,317
V. Other Income (Specify)		
Rebate from PO	-	-
Misc Income	-	-
Festival Advance	-	-
RTI Fees	170	860
MTS Application Fees	-	-
Refund of deposit - CPWD CCD	-	-
Sale of scrap		28,599
Share of parliament expenditure - Epfo	-	-
VI. Amount Borrowed		
D.D.O	-	-
∀II. Any other receipts (give details)		
Earnest Money Deposit		10,000
Festival Advance Recovery	8,840	-
Stamps in Hand	-	-
Letter of Credit	-	-
Endowment Fund (Processing Fees)	1,28,86,490	27,84,100
Application Fees - 30%	34,270	3,16,540
State Fisheries- Andhra Pradesh	-	-
Security Deposit	-	20,800
Feed Products	53,90,000	72,82,750
NPS - K Srinivasan Babu	-	-
Professional tax	-	-
TDS	45,040	-
Staff Deduction & Remittances	2,48,397	60,442
Muthu Soft labs		
Fund Transfer from CPF, GPF,Pension A/c		
Advance Refund		
a)Advance for Meeting	50,618	1,052
b)Advance for campain week	-	-









Desciute	(Amou	unt-Rs.)
Receipts	Current Year	Previous Year
c)Advance for crockeries	-	-
d)Advance for audit	-	-
e)Advance for Independence / republic day	-	-
f)Advance for hindi seminar	-	-
g)Advance for stamps	-	-
h) Advance for Travelling / Tour Expenses	-	-
i) Advance for pooja expense	-	-
j) Advance for repair and maintenance	-	-
k) Advance for consultant and programmer deposit	-	-
l) Advance for contingent expense	-	
m) Advance for staff welfare	-	225
n) Advance for telephone	-	-
o) Advance for MS seal	-	-
Direct Expenses reversal		
a) Establishment Expenses	-	1,41,779
b) Administrative Expenses	67,172	-
Total	17,22,20,275	14,63,91,611

Sd/-Sr. Admin. Officer Sd/-Member Secretary





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount - ₹)

Para sa	(Amou	ınt-Rs.)
Payments	Current Year	Previous Year
I. Expenses		
a) Establishment Expenses	1,39,74,661	1,17,20,831
b) Administrative Expenses	68,93,618	1,20,61,468
II. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	-	-
III. Investments and deposits made a) Out of Earmarked/Endowment funds b) Out of Own Funds	9,95,00,000	-
IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress a) Purchase of Fixed Assets b) Expenditure on Capital Work-in-progress	1,94,316	1,03,250 -
V. Refund of surplus money/loans		
a) To the Government of India	-	-
b) To the State Government	-	-
VI. Finance Charges (Interest)		
a) Interest Refund to PAO, Agri	-	2,79,782
VII. Other Payments (Specify)		
a) Rent payable	-	2,17,888
b) Performance security Deposit Refund	-	-
c) Bank charges (earmarked fund)	-	15
d) Prepaid Expenses	-	2 20 000
e) Expenditure out of Earmarked fund f) Medical Advance	-	3,20,000
g) LSPC/ CPC arrears	-	-
h) Post Master, St. Thomas Mount		
i) Stamps in Hand	_	
j) Bonus payable	-	_
k) Travelling expenses for Inspection	-	-
l) Festival Advance	2,00,000	_
m) TDS	10,48,502	9,07,083
n) NPS - K Srinivasan Babu	67,510	-
o) Professional Tax	-	-
p) GPF IDBI	4,35,316	-
q) EMD	10,000	-
s) TNPWD	41,70,000	-
t) Processing Fee	1,30,000	-









Downants	(Amount-Rs.) Current Year Previous Yea	
Payments	Current Year	Previous Year
VIII. Loans and Advances	-	81,349
a)Advance for Meeting	1,07,000	-
b)Advance for crockeries	-	-
c)Shifting advance	-	75,000
d)Advance for Hindi Week	-	-
e)Advance for republic day	-	-
f)Advance for campaign week	-	-
g)Advance for audit	-	-
h)Advance for stamps	-	-
i)Advance for hindi seminar	-	-
j)Advance for MS seal	-	-
k)Advance for pooja expenses	-	-
I)Advance for staff welfare	-	33,000
m)Advance for travelling / tour expenses	-	1,00,000
n)LTC Advance	-	1,00,000
o)Advance for consultant & Programmer Interview	-	-
p)Advance for Telephone	-	-
q)Advance for Contingent expense	-	-
r)Advance for repair and maintenance	-	-
Fund return to GOI	1,50,05,567	
IX. Closing Balances		
a) Cash in hand	-	-
b) Bank Balances		
i) In current accounts	-	-
ii) In Deposit accounts	-	-
iii) Savings accounts	3,04,83,785	9,77,91,945
iii) Funds in Transit	-	2,26,00,000
Total	17,22,20,275	14,63,91,611

Sd/-Sr. Admin. Officer Sd/-Member Secretary





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
A. Balance at the Begning of the year	59,71,178	1,28,75,112
Opening Balance - Adjustments		
Less: Bank Interest and Other Receipts		17,52,847
Less: Grant Expenditure wrongly booked in EMF Schedule		20,80,346
Less: Bank charges		172
Less: CAT salary		8,62,835
Less: Salary and Allowance - Mar 2019 provision		9,81,086
Less: Unspent balance (Disclosed separately)		4,82,145
Add : Grant received towards Corpus/Capital Fund	1,94,316	1,03,250
Add : IOB - Account 209501000010000	-	-
Less: Interest Refund to PAO, Agri	6,05,287	2,79,782
Less: Expenditure Over Income transferred from the Income & Expenditure A/c	55,60,207	65,39,150
Add: Excess of Income over Expenditure Transferrerd from Income & Expenditure A/c	(1,09,86,330)	(5,67,971)
BALANCE AS AT THE YEAR - END	(54,26,122)	59,71,178
	Current Year	Previous Year
B - Detail of GOI - Grant		
Opening Balance	1,44,00,280	4,82,145
Add: Fund Received during Year	3,00,00,000	4,50,00,000
Less: Expenditure	3,00,00,000	3,10,81,865
Less: Fund Returned	1,44,00,280	-
Unspent Balance as at 31.03.2021	-	1,44,00,280







MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai - 600 035 COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY GOVERNMENT OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021 Schedule 2: Earmarked/ Endowment Funds

				FUND-WISE BREAK UP	BREAK UP				_	TOTALS
	Farm Registration Fees	Processing Fees (L.V Farms)	Processing Fees (L.V Hatchery)	Interest	Feed Products	Other receipts	Registration fee - DLC/ SLC	Account Inter-transfer (Payable / Receivable)	Current Year	Previous
a) Opening balance of the funds	44,09,921	90,92,343	3,26,31,791	64,32,454	4,12,88,832	77,710		16,75,478	9,56,08,528	7,51,22,432
Opening Balance - Adjustments									,	1
Bank Interest and Other Receipts									1	17,52,847
Grant Expenditure wrongly booked in EMF Schedule									•	20,80,346
Payable to Main A/c									ı	17,16,928
b) Addition to the Funds:									1	Ī
i.Donations/grants	ı								1	1
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	•	ı	T	23,63,778					23,63,778	•
iii. Fees	34,270	84,490	1,26,72,000		53,90,000		69,56,249	1	2,51,37,009	1,51,40,707
iv. Contributions									,	ı
v. Interest receipts transferred to Endowment Funds				,					•	•
vi. Interest receipts transferred from Interest Fund	95,414	1,97,020	9,72,640		10,38,132				2,303,206	1,56,733
vii. Received during the year									1	20,50,000
TOTAL (a+b)	45,39,605	93,73,853	4,62,76,431	87,96,232	4,77,16,964	77,710	69,56,249	16,75,478	16,75,478 12,54,12,520 10,10,19,993	10,10,19,993





				FUND-WISE	FUND-WISE BREAK UP				Ė	TOTALS
	Farm Registration Fees	Processing Fees (L.V Farms)	Processing Fees (L.V Hatchery)	Interest	Feed Products	Other receipts	Registration fee - DLC/ SLC	Account Inter-transfer (Payable / Receivable)	Current Year	Previous
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds										
i. Capital Expenditure										
- Fixed Assets	1	1	ī	ı	1			1	1	1
- Others - Settlement	•	•	•	•	•			•	•	•
Total	r	1	ī	ı	1			r	1	1
ii. Revenue Expenditure									1	1
- Salaries, Wages and Allowances etc.	•	1	ī	ı	•			'	•	·
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	ı	•	1	•	•			•	•	•
- JIFSAN Training Expenses	r	1	1	1	1			r	•	1
- Seminar/conference etc Expenses	'	1	ı	1					•	3,20,000
- Expenses out of Earmarked Fund adjusted during the year								,	•	15
Total	•	•	•	•	•			•	•	•
d) paid during the year									1	5,091,450
TOTAL (c)	•	•	•	1	•			r	1	54,11,465
NETBALANCEASATTHEYEAR-END(a+b-c)	45,39,605	93,73,853	4,62,76,431	87,96,232	4,62,76,431 87,96,232 4,77,16,964	77,710	69,56,249	16,75,478	16,75,478 12,54,12,520	9,56,08,528

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds Notes:









MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

Schedule 3: Current Liabilities and Provisions

(Amount-₹)

	Curre	nt Year	Previo	us Year
A. CURRENT LIABILITIES				
1.Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
i) For Goods	-	-	-	-
ii) Others		31,194		31,194
a. Muthu soft labs	31,194		31,194	
3. Performance Security Deposit		24,462		24,462
a) Aishwarya Construction	3,662		3,662	
b) Stuby Technology	20,800		20,800	
4.Earnest Money Deposit		50,000		60,000
a) Merit Enterprises	-		-	
b) Orbit Tecnologies	-		-	
c) Day N Day services(P) Ltd	30,000		30,000	
d) Bio-incorp/Agilent Technology	-		-	
e) Siva Cabs	-		-	
f) Broadline	5,000		5,000	
g) Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) Nucum Technology	5,000		5,000	
i) Sri Vignesh Cabs	5,000		5,000	
j) Denab - Dena	-		10,000	
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans borrowings				





	Curre	nt Year	Previo	us Year
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)	41,021	41,021	93,990	93,990
7. Security Deposit				
a) Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	7,293	7,293	7,293
8. State fisheries- Andhra Pradesh	50,700	50,700	50,700	50,700
9. Other Provision (Contingent)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. CAT - Salary payable	57,92,287	57,92,287	53,20,558	53,20,558
11.Interior Work to TNPWD		-	41,70,000	41,70,000
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu		-	1,09,737	1,09,737
13. CPC / LSPC Arrears	14,45,845	14,45,845	14,45,845	14,45,845
14. Maintaines payable to TNPWD	45,31,028	45,31,028	15,31,028	15,31,028
16. Rent payable FY 2019-2020 (TNPWD)	66,13,320	66,13,320	24,13,320	24,13,320
17. Staff Deduction & Remittances	2,29,112	2,29,112	1,87,725	1,87,725
18. Salary and Allowance payable	8,49,649	8,49,649	7,15,995	7,15,995
19. Duties and taxes	60,320	60,320		-
20. Consultant fees payable	3,86,419	3,86,419	-	-
21. Jayaraman LSPC / GPF	3,80,290	3,80,290	3,80,290	3,80,290
22. Leave Benefits Payable - Provision	51,27,808	51,27,808		
23. Gratuity Benefits Payable - Provision	34,70,376	34,70,376		
24. Income tax Outstanding	18,54,300	18,54,300		
TOTAL		3,14,45,424		1,70,42,137







(Amount-₹)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021 Schedule 4: Fixed Assets

			gic	Gross Block				Č				1 2	<u> </u>
		******	Additic the	Addition during the year		.		a	Depreciation			Net block	X SOC
E	Rate of Dep.	Valuation as at Beginning of the Year	up to Sep	after Sep	Deduction during the Year	Valuation at the Year end	As at the Beginning of the Year	on Addition during the Year	at 100% on purchase of assets below Rs. 5,000	On Deduction during the Year	Total upto the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
Plant & Machinery	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	83,66,999	3,66,087	1		87,33,086	20,74,495	24,40,582
Plant and Machinery - Lab Equipments	15%	52,54,588		1,18,000		53,72,588	35,49,168	2,64,663			38,13,831	15,58,757	17,05,420
Office Equipment	15%	46,18,029				46,18,029	33,88,189	1,84,476			35,72,665	10,45,364	12,29,840
Car	15%	3,19,736				3,19,736	3,19,736	•			3,19,736	•	ı
Furniture & Fixtures	10%	46,29,523				46,29,523	29,75,373	1,65,415			31,40,788	14,88,735	16,54,150
Computers & Peripherals	40%	34,80,300		76,316		35,56,616	33,95,873	49,034			34,44,907	1,11,709	84,427
Library Books & Technical Books	40%	23,58,882				23,58,882	23,50,103	3,512	•		23,53,615	5,267	8,779
TOTAL of Current Year		3,14,68,639	•	1,94,316	,	3,16,62,955	2,43,45,441	10,33,187	r	•	2,53,78,628	62,84,327	71,23,198
Previous Year													
B. Capital Work- In-Progress													
TOTAL												62,84,327	71,23,198





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

Schedule 5: Investments from Earmarked/ Endowment Funds

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	10,50,29,122	32,25,916
Total	10,50,29,122	32,25,916

Schedule 6: Current Assets, Loans, Advances etc.

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Savings Accounts	3,04,83,785	9,77,91,945
- Funds in Transit		2,26,00,000
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	1,31,710	4,09,757
b) Stamps (Postal)	17,350	17,558
c) Post Master	-	-
TOTAL (A)	3,06,32,845	12,08,19,260
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	-	-
b) LTC Advance	1,28,300	1,28,300
c) Advance for meeting	-	-
d) Advance for Travel (Annexure - 1)	28,530	10,000
e) Salary recoverable	190	190
f) Telephone deposits	39,782	39,782
g) Receivable from EMF A/c	16,75,478	16,75,478
h) Advance to PWD	6,57,000	
i) Registration fee - DLC/SLC receivable	69,56,249	
TOTAL (B)	94,85,529	18,53,750
TOTAL (A+B)	4,01,18,374	12,26,73,010









GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2021

Schedule 7 : Grants/Subsidies

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
Central Government	2,98,05,684	3,09,78,615
Total	2,98,05,684	3,09,78,615

Schedule 8 : Fees / Subscriptions

	Current Year	Previous Year
1) Tender Fees	-	-
2) RTI Fees	170	860
3) MTS Application Fees	-	-
Total	170	860
Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed		

Schedule 9: Income from Investments

(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund	
	Current Year Previous Year	
Interest on Fixed Deposit with Indian Bank	-	-
Total	-	-
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	-	-

Schedule 10: Interest Earned

	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	7,33,555	6,09,716
Total	7,33,555	6,09,716

Note: Tax deducted at source to be indicated





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2021

Schedule 11: Other Income

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
Miscellaneous Income	-	-
Other Income - profit on sale of car	-	17,475
TOTAL		17,475

Schedule 12: Establishment Expenses

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	1,45,16,589	1,17,34,888
b) Bonus	69,080	82,896
c) LTC facility	3,38,813	-
d) PF Contribution	67,618	1,70,668
e) Reimbursement of Tution Fees	-	-
f) Medical expenses	46,492	62,135
g) Leave encashment	-	1,32,735
h) GSLI	-	240
i) Nps	-	10,06,718
j) Pension contribution	-	-
k) Children Education Allowance	-	1,89,000
j) Children Education Allowance	2,16,000	-
k) Sitting fee	51,000	-
l) Honorarium	4,83,450	-
m) Leave benefits	4,86,718	-
n) Gratuity benefits	-	-
TOTAL	1,62,75,760	1,34,15,055









GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR PERIOD / THE YEAR ENDED 31.03.2021

Schedule 13: Other Administrative Expenses etc.

(Amount-₹)

		(3
	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	92,982	1,61,749
2. Domestic Travelling Expenses	4,38,298	9,77,558
3. Office Expenditure		
Repairs and maintenance	30,40,698	73,27,628
Electricity and Power		3,24,782
Fuel Charges		3,000
Rent, Rates, and Taxes	42,00,000	38,24,860
Water Charges	12,890	4,460
Postage, Telegram	2,78,255	1,58,882
Printing, Stationery and Consumables	4,77,547	3,47,754
Computer Maintenance	12,744	2,42,590
Telephone Expenses	1,41,264	2,06,332
Professional Charges	24,800	10,81,718
Foreign Travel Expenses	1,78,324	1,00,000
Vehicle Hire Charges	7,06,504	5,09,309
Meeting Expenses	66,902	3,10,083
Miscellaneous Expenses	65,763	-
Seminar/Workshops/Training Expenses	1,93,950	1,72,337
Other Contractual Service	2,64,195	-
Shifting expenses		2,95,336
Lab Chemicals	24,522	1,82,664
AMC Expenses(A.C, Computers, Office Equipment Etc)		79,674
Conveyance		-
Consultant Fees	39,67,552	8,65,170
Newspaper and Magazine	23,800	5,904
Software Development	1,75,518	3,23,240
Lab equipments		35,482
Hindi Week Celebration / competition	21,180	-
Independence / republic day celebration		-
Bank Charges	(86)	982
Audit Expenses		22,066
Staff welfare	59,645	35,775
Transprtaton charges	24,640	-
Income Tax Provision	18,54,300	
<u>TOTAL</u>	1,63,46,187	1,75,63,560





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

Annexure-1

STAFF FESTIVAL ADVANCE

S.No	Name	31.03.2021	31.03.2020
1	Smt G. Priya ,STA	-	-
2	Shri. Ramesh Kumar,STA	-	-
3	Kumari.S.Priya, StenoGr D	-	-
4	Shri. V.Selvam,Staff Car Driver	-	-
5	Shri.Elavarasan,MTS	-	-
6	Shri.P.Rajesh, MTS	-	-
7	Shri.V.Prasad, MTS	-	-
8	Smt.Jayanthi,Jr.clerk	-	-
	Total	-	-

S.NO	Other Advances		
1	Prepaid Expenses	-	-
2	Advance for Meeting	-	-
3	LTC Advance	-	-
4	Advance for travel - Mr. Jayaraman	28,530	10,000
	Total	28,530	10,000









MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULE - 14

ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles(GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority Follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and

Income except where otherwise stated.

2. FIXED ASSESTS

- a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.
- b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/ construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.
- c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.
- d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of Rs.1/-
- e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. DEPRECIATION

- a) Depreciation is provided on written down value method as per rates Specified in Income tax Act.1961
- b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.
- c) Each item of fixed assets costing Rs.5000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.
- d) As per latest amendment in Finance Act 2017 the rate of depreciation in respect of books and Computers were limited to 40% of the WDV of the block as at 31.03.2021.





4. LEASE/ RENT

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. GOVT. GRANTS / SUBSIDIES

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

7. RETIREMENT BENEFITS

- a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.
- b) The liabilities in respect of Retirement benefits viz., Gratuity, leave encashment, pension are ascertained annually as per DOPTM No.7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016, Central Civil Service Pension rules, 1972, Central Civil Service leave rules and as approved by the authority.
- c) Provision for liability towards retirement benefits of employees shall be accrued on the basis of actuarial valuation for every year and recognized in the income and expenditure account.

8. TAXATION

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGEMENT ASSETS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. INCOME AND EXPENSES

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

- a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "prior period Adjustment" account.
- b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.
- c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items. if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.







d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to Rs.1,000 in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. REVENUE RECOGNITION

- a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* Farms and Hatchery and Feed Products. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.
- b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. SEPARATE DISCLOSURE

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

- a) "Prior period" items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.
- b) "Extra-ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and. Therefore, are not expected to recur frequently or regularly.
- c) Any item under the head "Miscellaneous Income "which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.
- d) Any item under the head 'Miscellaneous Expenses' which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

SCHEDULE - 15

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS.

Contingent liabilities

As on 31st March, 2021, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2020-21 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount in addition to that Authority purchase Govt. Postal stamp from Post Office, The amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March, 2021 the stamps in hand amounted to Rs.1,49,060/-

Current Liabilities

Security deposits of Rs.24,462/- received in previous years as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income –tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/Fees Collected

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account. Excess of Expenditure over income is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31st March, 2021.

Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for L.V Farms and Hatchery. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/ Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.







Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account & Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

Contributory Provident Fund BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
CPF Fund Opening balance Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	12,41,370 (2,11,091) 10,30,279	11,28,053 1,13,317 12,41,370
Total	10,30,279	12,41,370
Assets Fixed Assets Investments Current Assets Cash at Bank - Indian Bank - IOB	- 8,95,358 1,32,990 1,931	- - 12,39,417 1,953
Total	10,30,279	12,41,370

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2021

Income	Current Year	Previous Year
CPF Contributions Interest Fixed Deposit Interest	4,92,604 27,502 19,165	48,438 64,938
Total	5,39,271	1,13,376
Expenditure Bank charges CPF Settled/Transferred Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	86 7,50,276 (2,11,091)	59 - 1,13,317
Total	5,39,271	1,13,376

Receipts and Payments account for the period: 1st April 2020 to 31st March 2021

Receipts	Current Year	Previous Year
- Indian Bank - IOB	12,39,417 1,953	11,26,109 1,944
CPF Contributions Interest	4,92,604 27,502	48,438 64,938
Total	17,61,476	12,41,429
Payments Bank charges CPF Settled / Transferred Investment in Fixed Deposit Closing Balances - Indian Bank - IOB	86 7,50,276 8,76,193 1,32,990 1,931	59 - 12,39,417 1,953
Total	17,61,476	12,41,429









MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA

General Provident Fund BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
GPF Fund Opening balance Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	16,23,984 1,85,540 18,09,524	13,89,125 2,34,859 16,23,984
Total	18,09,524	16,23,984
Assets Fixed Assets Investments Current Assets Cash at Bank - Indian Bank - IOB	5,31,427 2,466	- - 16,21,512 2,472
Total	18,09,524	16,23,984

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2021

Income	Current Year	Previous Year
GPF Contributions Interest Fixed Deposit Interest	1,30,000 29,995 25,631	1,43,000 91,918
Total	1,85,626	2,34,918
Expenditure Bank charges GPF Settled/Transferred Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	86 - 1,85,540	59 - 2,34,859
Total	1,85,626	2,34,918

$Receipts and Payments account for the period: 1^{st} April 2020 to 31^{st} March 2021$

Receipts	Current Year	Previous Year
- Indian Bank - IOB GPF Contributions Interest Received from Main A/c	16,21,512 2,472 1,30,000 29,995 4,35,316	13,86,681 2,444 1,43,000 91,918
Total	22,19,295	16,24,043
Payments Bank charges GPF Settled / Transferred Investment in Fixed Deposit Closing Balances - Indian Bank - IOB	86 4,35,316 12,50,000 5,31,427 2,466	59 - 16,21,512 2,472
Total	22,19,295	16,24,043





COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES 5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 035

Pension Fund BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
Pension Fund Opening balance Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,60,13,595 7,08,128 1,67,21,723	1,51,11,154 9,02,441 1,60,13,595
Total	1,67,21,723	1,60,13,595
Assets Fixed Assets Investments Current Assets Cash at Bank - Indian Bank - IOB	1,65,36,768 1,56,702 28,253	- - 1,59,86,159 27,436
Total	1,67,21,723	1,60,13,595

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2021

Income	Current Year	Previous Year
Pension Contributions Interest Fixed Deposit Interest	3,71,446 3,36,768	9,02,500
Total	7,08,214	9,02,500
Expenditure Bank charges Pension Settled/Transferred Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	86 - 7,08,128	59 - 9,02,441
Total	7,08,214	9,02,500

Receipts and Payments account for the period: 1st April 2020 to 31st March 2021

Receipts	Current Year	Previous Year
- Indian Bank - IOB	1,59,86,159 27,436	1,50,84,600 26,554
Pension Contributions Interest	3,71,446	9,02,500
Total	1,63,85,041	1,60,13,654
Payments Bank charges Pension Settled / Transferred Investment in Fixed Deposit Closing Balances - Indian Bank - IOB	1,62,00,000 1,56,702 28,253	59 - 1,59,86,159 27,436
Total	1,63,85,041	1,60,13,654











भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) CHENNAI

No. PDA(C)/CE/V/28-117/22-23/

Dated: 07.07.2022

To

The Secretary to Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry& Dairying Department of Fisheries, Krishi Bhavan, New Delhi - 110 001.

Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2020-21 - Reg.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2020-21 along with the statement of accounts.

The date of presentation of the accounts to Parliament for the years 2019-20 and 2020-21 may please be intimated to this office. It may also please be ensured that previous year Report is laid first before laying of current year Report in Parliament. In addition, a copy of the report as presented to Parliament may also be sent to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

-Sd-

Director/CE

लेखापरीक्षा भवन. 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.



"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI - 600 018.

Phone: 91-044 - 2431 6406, Fax: 91-044 - 24338924, E.mail: dgacchennai@cag.gov.in





No. No. PDA(C)/CE/V/28-117/22-23/60

Copy of the Separate Audit Report for the year 2020-21 is forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai. It is requested to furnish a copy of the Hindi version of the Separate Audit Report and one copy of Annual Report as presented to Parliament at an early date. It may please be ensured that previous year Report is laid first before laying of current year Report in Parliament. It is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the years 2019-20 and 2020-21.


Director/CE

Dated: 07.07.2022









We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31 March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- Based on our audit, we report that:
- i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.





iv We further report that:

A. Effect of Revision in Accounts

The accounts of the Coastal Aquaculture Authority were revised based on audit comments as a result of which, in the Institute accounts, Assets/Liabilities were increased by ₹0.76 crore and the deficit of Income over Expenditure increased from ₹0.12 crore to ₹1.09 crore.

B. Grants in aid

Out of the grants-in-aid of ₹3.00 Crore received during the year, and the unspent grant of ₹1.44 crore of previous year (total ₹4.44 crore), the Authority utilised a sum of ₹3.00 Crore, refunded ₹1.44 crore leaving NIL balance as on 31st March 2021.

- v Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
- In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31 March 2021; and
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India.

Place: Chennai

Date: 07.07.2022

Principal Director of Audit (Central), Chennai







Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit was not conducted for the year 2020-21.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system was deficient to the extent that internal audit of the Authority was not conducted during the year 2020-21.

3. Physical verification of fixed assets.

Physical verification of fixed assets was done for the year 2020-21.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was done for the year 2020-21.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory dues.





Clarifications to the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority for the year 2020 -21

Observation	Reply
A. Effective of Revision in Accounts	
The accounts of the Coastal Aquaculture Authority	
were revised based on audit comments as a result of	
which, in the Institute accounts, Assets / Liabilities were	
increased by Rs.0.76 crore and the deficit of Income over	No observation made by audit
Expenditure increased from Rs.0.12 crore to Rs.1.09 crore	hence may be treated as Nil.
B. Grants in aid	
Out of the grants-in-aid of Rs.3.00 Crore received during	
the year, and the unspent grant of Rs.1.44 crore of	No observation made by audit
previous year (total Rs.4.44 crore), the authority utilized a	hence may be treated as Nil.
sum of Rs.3.00 crore, refunded Rs.1.44 crore leaving NIL	
balance as on 31st March 2021.	

Clarifications to Annexure of Separate Audit Report for the year 2020-21

1. Adequacy of Internal Audit System Internal Audit was not conducted for the year 2020-21.	
2. Adequacy of Internal control System Internal control system was inadequate to the extent that internal audit of the Authority was not conducted during the year 2020-21.	A CAG empaneled firm M/s. Prism & Associates has been engaged as Internal Auditors for providing internal audit service. The internal auditors have conducted the audit and submitted its report for the year 2020-21.
3. Physical verification of fixed assets. Physical verification of fixed assets was done for the year 2020-21.	
4. System of Physical Verification of Inventory Physical verification of inventory was done for the year 2020-21.	No observation made by audit hence may be treated as Nil.
5. Regularity in payment of statutory dues The Authority was regular in payment of statutory dues.	

Ref: PDA(C)/CE/V/28-117-22-23 dated 07.07.2022





तटीय जलकृषि प्राधिकरण मत्स्यपालन विभाग मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्पलेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई–600 035, तमिलनाडु, भारत

5th Floor, Integrated Office Complex For Animal Husbandry and Fisheries Department Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600035, Tamilnadu, India.

फोन / Phone : + 91 44 24353502 / 24353784 ई.मेल/ E-mail : caaheadoffice@caa.gov.in वेबसाइट / website: http://www.caa.gov.in